

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XXXII, Fifteenth Session, 2018/1940 (Saka)
No. 9, Tuesday, July 31, 2018/ Shravana 09, 1940 (Saka)**

S U B J E C T

P A G E S

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

* Starred Question Nos. 181 to 184 15-66

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos. 185 to 200 67-145

Unstarred Question Nos. 2071 to 2300 146-668

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Function to confer outstanding Parliamentarian Award 669

PAPERS LAID ON THE TABLE 671-694

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 695-697

**STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND
FERTILIZERS**

49th to 52nd Reports 698

STATEMENTS BY MINISTERS

- (i) Status of implementation of the recommendations contained in the 21st Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2018-19), pertaining to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

Shri C.R. Chaudhary 699

- (ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 37th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare

Shrimati Krishna Raj 700

**MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON
CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2016**

- EXTENSION OF TIME 701

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS - (2018- 2019) 702

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS - (2015-2016) 702

MATTERS UNDER RULE 377 758-790

(i) Need to revise the pension of bank employees

Dr. Kirit P. Solanki 759

(ii) Regarding provision of houses to differently-abled
persons under Pradhan Mantri Awas Yojana

Shri Prahlad Singh Patel 760

(iii) Regarding permanent teachers in Eklavya model
Residential School in Gujarat and additional Eklavya
model Residential Schools in Bharuch
Parliamentary Constituency in Gujarat

Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 761

- (iv) Need to improve BSNL mobile and landline telephone service in Amreli Parliamentary Constituency, Gujarat

Shri Naranbhai Kachhadia

762

- (v) Need to include names of people found eligible in Socio-Economic Caste Census, 2011 in Balaghat Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh in official records

Shri Bodh Singh Bhagat

763

- (vi) Need to run Singarauli - Delhi train and Singrauli Bhopal train on daily basis

Shrimati Riti Pathak

764

- (vii) Regarding price of coffee

Kumari Shobha Karandlaje

765

- (viii) Need to extend Chitrakoot-Kanpur Intercity Express upto Lucknow

Shri Bhairon Prasad Mishra

766

- (ix) Regarding storage and management of rain water and inter-linking of rivers

Col. Sona Ram Choudhary (Retd.)

767

- (x) Need to provide stoppage of Jan Shatabdi Express

(train no. 12365/12366) at Paharpur Railway Station
in Gaya Parliamentary Constituency, Bihar

Shri Hari Manjhi 768

- (xi) Regarding delay in issuance of NoC by Defence
Ministry

Dr. Kirit Somaiya 769

- (xii) Need to develop National Highway No. 123 (507)
from Herbertpur to Barkot as an all weather road

Shrimati Mala Rajyalaxmi Shah 770

- (xiii) Regarding setting up of Shariat court by AIMPLB

Shrimati Meenakashi Lekhi 771

- (xiv) Regarding setting up of cold storage facilities for
agricultural produce in the rural areas of the country

Shri Janardan Singh Sigriwal 772

- (xv) Regarding development of water bodies and
makeover of dak bungalows in Sohagi Barwa
Wildlife Sanctuary in Maharajganj district, Uttar
Pradesh

Shri Pankaj Chaudhary 773

- (xvi) Need to ameliorate the plight of stage artists

	Prof. Chintamani Malviya	774
(xvii)	Regarding setting up of a unit of National Virology Institute in Kerala	
	Shri Mullappally Ramachandran	775
(xviii)	Regarding simplification of referral system under the Central Government Health Scheme (CGHS)	
	Shri B. N. Chandrappa	776-777
(xix)	Regarding privatisation of Salem Steel Plant	
	Shri V. Panneerselvam	778-779
(xx)	Regarding railway related issues of Cuddalore Parliamentary Constituency of Tamil Nadu	
	Shri A. Arunmozhithevan	780-781
(xxi)	Regarding alleged sale of fake medicines	
	Dr. Ratna De (Nag)	782
(xxii)	Regarding citizenship issue in Assam	
	Dr. Mamta Sanghamita	783
(xxiii)	Regarding restrictions on high rise buildings near Santa Cruz Airport, Mumbai	

Shri Rahul Shewale

784-785

- (xxiv) Regarding re-framing of bank note refund rules by the Reserve Bank of India

Dr. P. K. Biju

786

- (xxv) Regarding release of funds under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Bihar

Shri Kaushalendra Kumar

787

- (xxvi) Regarding upgradation of ESIC hospital in Hisar Parliamentary Constituency, Haryana

Shri Dushyant Chautala

788

- (xxvii) Regarding construction of Angamali-Erumali Sabari Rail Project in Kerala

Adv. Joice George

789

- (xxviii) Regarding constituting committee under ICCR

Shri N. K. Premachandran

790

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF
INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2018**

AND
INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE (SECOND
AMENDMENT) BILL, 2018

	791-963
Motion to Consider	791-960
Shri Piyush Goyal	791-796, 873-877, 935-948
Shri N.K. Premachandran	791, 797-806, 949-953
Dr. Kirit Somaiya	807-816
Shri M. Veerappa Moily	819-838
Dr. P. Venugopal	839-847
Prof. Saugata Roy	848-859
Shri Bhartruhari Mahtab	860-872, 961-972
Shri Vinayak Bhaurao Raut	878-881
Shri Jayadev Galla	882-886
Shri Konda Vishweshwar Reddy	887-892
Shri P. Karunakaran	893-898
Shrimati Butta Renuka	899-902
Shri Subhash Chandra Baheria	903-905
Shri Prem Singh Chandumajra	906-908

Shri Jai Prakash Narayan Yadav	909-911
Shri Kaushalendra Kumar	912-913
Shri Jagdambika Pal	914-918
Shri Dushyant Chautala	919-922
Shri Rajesh Ranjan	923-926
Shri Sharad Tripathi	927-929
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	930-932
Clauses 2 to 40 and 1	960-962
Motion to Pass	963

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	964
Member-wise Index to Unstarred Questions	965-970

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	971
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	972

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

Shri Kalraj Mishra

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, July 31, 2018/Shravana 09, 1940 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

... (interruptions)

HON. SPEAKER: Q. No 181, Shri Arvind Sawant

... (Interruptions)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (कानपुर): अध्यक्ष महोदया, कार्रवाई शुरू होने से पहले कार्रवाई के अनुसार संविधान के उल्लंघन के बारे में मेरा एक प्वाइंट ऑफ आर्डर है। नियम 376 के उप-नियम (2) के अंतर्गत A point of order may be raised in relation to the Business before the House at the moment. बिजनेस ऑफ दि हाउस में आज की कार्यसूची है, इसमें संविधान के आर्टिकल 120 का उल्लंघन हुआ है। यह आज आप देखें, लोक सभा में पुनरीक्षित कार्यसूची “गुरुवार, 31 जुलाई,” संविधान कहता है कि पार्लियामेंट की भाषा ट्रांजेक्शन की हिन्दी होगी, उसमें आज शुक्रवार बना रहे हैं, गुरुवार बना रहे हैं, अंग्रेजी में मंगलवार बना रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : हिन्दी में कहां लिखा है?

...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: संविधान के अनुसार तो गुरुवार होना चाहिए। दिन के हिसाब से मंगलवार होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : मंगलवार ही होना चाहिए।

...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: अंग्रेजी में मंगलवार है, सही क्या है? संविधान कहता है कि पार्लियामेंट की भाषा हिन्दी में होनी चाहिए। ... (व्यवधान)

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Where does it say that is should be in Hindi? Discussions should not be in Hindi. Hindi is not my language. ...

(Interruptions)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदया, ट्रांजेक्शन हिन्दी और इंगलिश, उसमें हिन्दी पहले लिखा है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं समझ गई, मैं गलती मान्य करती हूं, मैं इस गलती को देख लूंगी।

...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: महोदया, आपका इसमें क्या आदेश है?

माननीय अध्यक्ष : मैं मान्य कर रही हूं कि गलती हो गई। कैसे हो गई, क्या हो गई, मुझे इसके लिए कार्रवाई अंदर करनी है। यहां नहीं कर सकती। मैंने मान लिया, यह गलती है, मेरी गलती है।

...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: महोदया, यह पहले भी हो चुका है, तीन साल पहले भी हुआ था। यह निरंतर हो रहा है। मैं कई बार छोड़ देता हूं लेकिन अफसोस होता है। ... (व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): मैडम, आज शहीद उधम सिंह जी का शहीदी डे है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको बारह बजे बोलने दूंगी। मैं यहां भी एस.जी को बोल रही हूं कि बार-बार कुछ न कुछ गलतियां निकल रही हैं, इसे थोड़ा हम सीरियसली ले लें।

11 02 hrs**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS****HON. SPEAKER : Q. No. 181, Shri Arvind Sawant.****(Q. 181)**

श्री अरविंद सावंत: माननीय अध्यक्ष जी, देश में अनेक समस्याएं हैं। अंदरूनी समस्याओं के निराकरण की कोशिश होती है, लेकिन हमारे देश में बाहर के लोगों की एक और समस्या खड़ी हुई है। रोहिंग्याज़ को वर्ष 1982 में म्यांमार सरकार ने नागरिकता देने के लिए मना कर दिया। इसके बाद वहां नरसंहार हुआ, आंदोलन हुए, पुलिस चौकियां फूंकी गईं, हिंदुओं को मारा गया, बौद्धों के साथ लड़ाई हुई। वे भागकर बांग्लादेश में आए और वहां से हिंदुस्तान में आ गए। ये हिंदुस्तान में आए और पूरे देश में फैल गए। ये जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद में हैं। मुम्बई में भी बांग्लादेशी हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गंभीर विषय है। जम्मू-कश्मीर में तो इनकी घनी बस्ती बन गई है, जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी इकट्ठे हैं। इनको सारी चीजें मिली हैं, राशन कार्ड मिला, बिजली-पानी मिला और अभी आधार कार्ड भी मिला है। इस तरह से आगे तो यह होगा कि ये लोग आगे चलकर चुनाव भी लड़ सकेंगे। उनके पास सारी चीजें हैं, वोटिंग कार्ड भी है। इसकी जड़ इलैक्शन कमीशन है। इलैक्शन कमीशन के पास एक कानून है, जिसमें प्रावधान है कि भारत में कहीं भी रहने वाले इंसान को वोटिंग का अधिकार है। मान लीजिए, हमारे शहर में कोई फुटपाथ पर रहता है, फुटपाथ पर रहने वाले का कोई एड्रेस नहीं होता है, वह किसी बिल्डिंग के सामने रहता है। इनके निरीक्षक जाते हैं और उसे रोजाना देखते हैं। वे तीन-चार बार देख लेते हैं कि वह आदमी यहां सोता है, रहता है। अगर वह चार बार वहां सो जाता है तो पता चल जाता है कि यहीं रहता है इसलिए उसे वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। इस तरह से पहले उसे वोटिंग कार्ड का अधिकार मिलता है और फिर रिवर्स साइकल शुरू हो जाता है। उसे फिर सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं और वह यहां का नागरिक बन जाता है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों को तो पंजीकृत भी कर दिया है। यूएन संयुक्त राष्ट्र के यूएनएचसीआर के अनुसार शरणार्थी के तौर पर वर्ष 2016 में पंजीकृत हुए शरणार्थी नहीं हैं, अप्रवासी हैं। ये शरणार्थी हैं, फिर भी इनको सारी चीजें कैसे मिली?

म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की ने कहा कि मैं अपने देश को धर्म और जाति के आधार पर बांटने नहीं दूंगा। इसे लेकर उन्होंने कड़ी कार्रवाई की है। अभी हाल ही में मैंने सुना कि आंग सान सू की ने कहा है, वह यूएन के दबाव के कारण उन्हें लेने को तैयार हैं। जनवरी 2018 में उन्होंने निर्णय घोषित किया था।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज तक अपने देश से कितने रोहिंग्याज़ म्यांमार में डिपोर्ट हुए?

श्री किरन रिजीजू: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने इनके परिप्रेक्ष्य और इतिहास के बारे में बताया है। हम इस सदन में पहले भी बता चुके हैं कि इस देश में रोहिंग्याज़ को रिफ्यूजीज़ का स्टेटस नहीं है, वे इल्लिगल माइग्रेंट्स के रूप में यहां आए हैं। जो इल्लिगल है जिसकी एंट्री इल्लिगल है, उसका यहां रहना इल्लिगल है। उसे सरकार की तरफ से कोई सुविधा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

सरकार संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को पहले तवज्जुह देगी, उनके राइट्स का पहले ध्यान रखेगी। हम इल्लिगल माइग्रेंट्स को राइट्स देने के लिए यहां नहीं हैं। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि राशन कार्ड आदि दिया गया है, यह लीगली हमारी तरफ से नहीं है। अगर इस तरह से कोई इल्लिगली रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो फेक या गलत तरीके से किया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

माननीय गृह मंत्री जी पहले ही साफ शब्दों में कह चुके हैं कि हिंदुस्तान का हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस चीज को सुनिश्चित करे कि रोहिंग्याज़ किसी प्रकार का कोई लीगल डॉक्यूमेंट हासिल

न करे जिससे भविष्य में हिंदुस्तान में वह अपना हक जमा सके। इस तरह का कोई प्रावधान उसके लिए नहीं किया जाना चाहिए, यह साफ शब्दों में उन्होंने कहा है।

श्री अरविंद सावंत : मैं माननीय मंत्री जी की बात का अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो कहा क्या वह सही मायने में हो रहा है? मैंने सदन में कहा है कि जम्मू-कश्मीर में उनको सारी चीजें मिली हैं, 6000 रोहिंग्याज़ को मिली हैं।

मेरा दूसरा सवाल है, क्या रोहिंग्याज़ आतंकवादियों से मिले हुए हैं? यह महत्वपूर्ण विषय है कि पूर्वोत्तर राज्यों की बांग्लादेश, चीन, भूटान, म्यांमार के साथ 4000-5000 किलोमीटर से अधिक सीमा लगती है। भारत-म्यांमार की 1643 किलोमीटर सीमा मिजोरम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से लगती है। यहां बाड़ नहीं है, 16 किलोमीटर तक लोग बिना किसी वीज़ा के आवागमन कर सकते हैं। क्या सरकार इस पर देश की सुरक्षा के लिए कोई बंधन लगाएगी, बाड़ लगाएगी? इसी रास्ते पर सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और म्यांमार से रोहिंग्याज़ आते हैं। सरकार इस पर क्या कार्रवाई करेगी?

श्री किरन रिजीजू: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने सीमा के बारे में पूछा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हमारा फेंसिंग का प्रोवीजन है। म्यांमार, नेपाल, भूटान और चीन के साथ हमारी कोई फेंसिंग नहीं है। हमारा हर राष्ट्र के साथ अलग एग्रीमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है। 16 किलोमीटर फ्री रीजन की बात कही गई है, यह म्यांमार के साथ है। रखाइन प्रोविंस, जहां म्यांमार लोग बसते हैं, पूर्वोत्तर राज्य की 16 किलोमीटर की फ्री रीजिम, वीजा रीजिम है, ये वहां नहीं आते हैं। रोहिंग्याज़ लार्ज स्केल में उत्तर पूर्वी भारत से यहां नहीं आए हैं। आज जो संख्या हमारे पास मौजूद है, यह सूचना है कि बहुत लार्ज स्केल में नहीं है। आठ से दस लाख के बीच रोहिंग्याज़ बांग्लादेश में बसे हैं, उनकी एंट्री यहां इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि यहां पिछले तीन-चार साल से कड़े कदम उठाए गए हैं। इस कारण वे यहां एंट्री नहीं कर सकते हैं।

माननीय सदस्य ने इल्लीगल एक्टिविटीज के बारे में कहा है। हमारे पास रिपोर्ट है कि रोहिंग्याज कुछ गलत काम, गलत कार्रवाई या इल्लीगल एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं। ये तथ्य हमारे पास हैं, इसका पूरा खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे सहयोगी किरेन रिजीजू ने जो जानकारी दी है, वह सही है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि रोहिंग्याज की एंट्री भारत में न होने पाए, इसके लिए बार्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और असम राइफल्स को ही पूरी तरह से सेंसटाइज किया है ताकि वे एन्शोर करें कि उनकी एंट्री न हो पाए, फिर भी बड़ी संख्या में यहां रोहिंग्याज आ गए हैं। इसके लिए एडवाइजरी पहले भी जारी की गई थी, लेकिन एक लैटेस्ट एडवाइजरी गृह मंत्रालय से फरवरी 2018 को जारी की गई है। इस एडवाइजरी में स्टेट गवर्नमेंट से यह अपेक्षा की गई है कि जितने भी रोहिंग्याज आपकी स्टेट में हैं, उनकी इन्वुमरेशन यानी गणना करें कि कितने रोहिंग्याज आपके राज्य में हैं। साथ ही उन्हें आइडेंटिफाई करें, उनको एक जगह कन्फाइन करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोहिंग्याज आपके राज्य में चारों तरफ बिखरकर रहें, जहां इच्छा हो वहां जाकर रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उनकी बायोग्राफी तैयार करें, उनके बायोमैट्रिक भी लिए जाने चाहिए, यह एडवाइजरी भी जारी की गई है। उसी एडवाइजरी में हमने यह भी कहा है कि उनके मूवमेंट को भी वॉच किया जाना चाहिए। इसमें पूरी सावधानी राज्य बरतें, इस संबंध में एडवाइजरी जारी की जा चुकी है।

जहां तक इनको डिपोर्ट करने का प्रश्न है, यह राइट, यह अधिकार राज्य सरकारों का है कि वह उनको डिपोर्ट कर सकती हैं। फॉरेनर्स एक्ट के आर्टिकल 3 के तहत राज्य सरकार को इस प्रकार का अधिकार है। जहां तक रोहिंग्याज को डिपोर्ट करने का प्रश्न है, हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि उनकी गणना कराने के बाद, आइडेंटिफिकेशन के बाद कितनी संख्या में रोहिंग्याज आपके राज्य में रह रहे हैं, सबकी जानकारी केंद्र सरकार को भेजें। जब हमारे पास जानकारी आ जाएगी, हम इस संबंध में

विदेश मंत्रालय को जानकारी देंगे, फिर विदेश मंत्रालय म्यांमार सरकार के साथ बातचीत करके इनको डिपोर्ट करने का प्रयास करेगा।

श्री रामस्वरूप शर्मा: माननीय अध्यक्ष जी, मैं भारत सरकार का अति आभारी हूं कि रोहिंग्याज़ मुसलमानों को देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है और इस संबंध में हलफनामा उच्चतम न्यायालय में दायर किया है। विश्व के कई देशों में हिंदू अगर विस्थापित हुए, प्रताड़ित हुए तो उसकी इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने कभी चिंता नहीं की, लेकिन जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की बात आती है तो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेता भारतीय संविधान का हवाला देते हुए कहते हैं कि भारतीय संविधान गैर नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को समान अधिकार की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।

वे इस बात को लेकर उच्चतम न्यायालय में पहुंच जाते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, मानवाधिकार का ढिंढोरा पिटते हैं। माननीया अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी ने जो गलती 1947 में की थी, आज वही गलती फिर से दोहरायी जा रही है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भी रोहिंग्या शरणार्थियों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये अपराध में कदम रखकर शांत प्रदेश के माहौल को खराब कर सकते हैं। क्या केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी कर रही है?

ये रोहिंग्या शरणार्थी असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर तक पहुंच गये हैं और इनकी संख्या लगभग 40 हजार से भी ज्यादा बतायी जा रही है। जम्मू-कश्मीर से ये शरणार्थी अब हिमाचल प्रदेश में पहुंच गये हैं। मुस्लिम आतंकवादी संगठनों की इनके प्रति जो सहानुभूति है, वह हिमाचल प्रदेश के लिए ही नहीं, देश के लिए भी खतरे का संकेत है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस ओर ध्यान आकृष्ट करें।

श्री किरन रिजीजू: अध्यक्ष महोदया, मैंने पहले भी इस चीज का जिक्र किया था कि कुछ राज्यों में रोहिंग्याज की इल्लीगल इंट्रीज हुई है। लेकिन, आज के दिन में इनकी सबसे ज्यादा संख्या जम्मू-कश्मीर राज्य में है, उसके बाद तेलंगाना एवं हैदराबाद में है। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में तथा कई राज्यों में भी जैसे मेवाड़, जयपुर, दिल्ली, हरियणा और अन्य जगहों पर भी हैं। मैंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। माननीय सदस्य जी, ने हिमाचल प्रदेश के बारे में पूछा है। चूंकि वे देश में इल्लीगल तरीके से घुसे हैं। वे देश के अंदर हर जगह अपने-अपने तरीके से गलत काम के माध्यम से इधर-उधर गये हैं। ऐसी रिपोर्ट हमारे पास है। हमारे गृह मंत्री जी ने बताया है कि हमने ऐसे कदम उठाये हैं, जिससे वे हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा और हमारे भविष्य के लिए बोझ न बनें, इसके लिए हमने ठोस कदम उठाए हैं।

PROF. SUGATA BOSE: Madam Speaker, I am deeply saddened by the reply given by the hon. Home Minister on the floor of this House. What has happened to our country, Bharatvarsha, Madam Speaker, which has a millennia old tradition of giving shelter to persecuted people from all-over the world? ... (*Interruptions*) We have 40,000 Rohingya refugees in our country. There are more than 9 lakh Rohingya refugees in Bangladesh.... (*Interruptions*) Our External Affairs Ministry has been conducting, since September of 2017, Operation Insaniyat in the refugee camps in Cox's Bazaar. Are we only going to export our *insaniyat* to Bangladesh? Will we not show some *insaniyat* inside our own country? ... (*Interruptions*) That is precisely what our Chief Minister Ms. Mamata Banerjee said last year that we have to deal with this situation on humanitarian ground. May I ask the question? ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is the question?

... (*Interruptions*)

PROF. SUGATA BOSE: This is my question. The answer given is that our Government has emphasised the need for safe, speedy and sustainable return of these displaced persons. The UN has said that not one person has been able to return. On the 4th of July, the UN Secretary-General, Mr. António Guterres, said that he heard heart-breaking accounts of suffering. He said: "Nothing could have prepared me for the scale of the crisis and extent of suffering". I wish to ask the Home Minister, is our country prepared to abide by all international refoulement laws and also honour the tradition of India which is to give shelter to all persecuted people, especially, refugees?

माननीय अध्यक्ष: बैठे-बैठे कमेंट क्यों होती है? आपके मंत्री जी जवाब देंगे न।

SHRI KIREN RIJJU: Hon. Speaker, Madam, in fact, I am very surprised and saddened by the statement made by our honourable and learned Member of Parliament. India has been the softest towards any person who has entered in this country.

India is not a signatory to the UN Convention on Refugees. Still, millions of refugees are staying in this country. India has a tradition of receiving those people who have been persecuted in their neighbouring countries. But, it does not mean that we cannot regulate our system. Does that mean that you can allow anybody to walk into this nation and claim the rights of this nation? We have to have a system

thereby protecting the people of this country first. Then, we will take care of other people. ... (*Interruptions*)

मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से रखाइन प्रॉविंस में भी रोहिंग्याज के लिए फेसिलिटीज क्रिएट की हैं। हमने यह भी कहा है कि जब म्यांमार सरकार इनको वापस ले जाएगी, तब जो भी सहायता चाहिए, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप उसकी सराहना न करके, अपने देश को बदनाम कर रहे हैं, यह बहुत गलत बात है।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Dr. Prabhas Kumar Singh.

... (*Interruptions*)

DR. PRABHAS KUMAR SINGH: Thank you, hon. Speaker, Madam, for giving me this opportunity to ask a supplementary question. This is not regarding Rohingyas. This is regarding the illegal migrants coming to our country from different countries. ... (*Interruptions*) What I would like to know from the hon. Minister is this. Do you have any plan, any details, documents to show as to how many migrants from different countries have come to India? ... (*Interruptions*) What is the devise and what is the time frame? ... (*Interruptions*) A number of illegal migrants coming to India are having voting rights and they are doing all types of works in our country.... (*Interruptions*) Do you have any plan in front of the State Governments and Union Territories to check such illegal migrants? Thank you, Madam. ... (*Interruptions*)

SHRI KIREN RIJJU: Madam, the Member wants to know about the types of migrants or different people coming from neighbouring countries to our country. As

I have told earlier, we do not accept the UN Convention. So, we are not a signatory to the UN Convention on the refugees. But, still, we have our own policy. There are refugees who have come to this country from Tamil Nadu; we have refugees from Tibet part of China.... *(Interruptions)* What is this? ... *(Interruptions)* Do not make a hue and cry about it. I am just giving a statement.... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: You correct it. It is people from Sri Lanka, not from Tamil Nadu. You correct the statement.

... *(Interruptions)*

SHRI KIREN RIJIJU: Okay, Madam.... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: He has corrected it.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: He has corrected it to 'people from Sri Lanka'.

... *(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने सुधार लिया है। क्या हमसे स्लिप ऑफ टंग नहीं होती है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कभी हमसे भी स्लिप ऑफ टंग होती है। आप लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record like this.

... (Interruptions) ... *

HON. SPEAKER: Yes, the Minister.

SHRI KIREN RIJIJU: Once the correction is made, what is the problem? ...

(Interruptions) What is this? Are you supporting illegal migrants? ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Do not answer them. Nothing will go on record.

... (Interruptions) ... *

श्री किरन रिजीजू: मैडम, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत में पड़ोसी देश के अनेक हिस्सों से काफी संख्या में लोग आए हैं। उनमें से कुछ को हम इल्लीगल माइग्रेंट मानते हैं और कुछ लोगों को लीगल किया हुआ है, अभी मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा।

फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत और जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 है और जो इंडियन सिटिजनशिप एक्ट 1955 है, इसके तहत हमारे पास प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत किसको हिन्दुस्तान में रहने की व्यवस्था दी जाएगी और कौन इल्लीगल हैं, किसको बाहर करना है, वह प्रावधान हमारे पास है। उस प्रावधान के मुताबिक ही हम काम कर रहे हैं।

श्री जुगल किशोर: माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने का मौका दिया है। भारत में रोहंगिया मुसलमानों की बढ़ती हुई संख्या हमारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है। मैं विशेष तौर पर जम्मू-कश्मीर की बात करूंगा। जम्मू-कश्मीर में रोहंगियों की जो संख्या है, वह 18000 से 20000 के करीब है। ये लोग जम्मू-कश्मीर के लिए खतरा बन चुके हैं। अगर कोई कहे तो मैं तथ्य भी दे सकता हूँ। जम्मू में जो रोहंगिया हैं, ये आतंकवादी घटनाओं में भी सम्मिलित पाए गए हैं। ऐसे तथ्य हैं। मैं केन्द्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कब इनको जम्मू-कश्मीर से बाहर निकाला जाएगा

* Not recorded.

जिससे जम्मू-कश्मीर में अमन और शांति बनी रहे। यहां पर जो रोहंगियों के प्रेमी बने हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप जम्मू-कश्मीर चलकर देखिए कि वहां के कैसे हालात बना दिए गए हैं। पिछले दिनों जो आर्मी कैम्प पर हमला हुआ था, जो मिलीटेंट्स आए थे, वे रोहंगियों के घरों से होकर आए थे। तभी हमें परेशानी है और इसलिए रोहंगियों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन रोहंगियों को कब बाहर निकाला जाएगा ?

श्री किरन रिजीजू : माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसे पहले बताया गया कि राज्य सरकारों के पास अधिकार है और उनको अधिकृत किया हुआ है। उनके पास इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेन्शन करने के लिए और कैम्प में रखने के लिए प्रावधान है। उसके तहत हर राज्य सरकार काम करे।

(Q. 182)

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) : Madam Speaker, thank you for allowing me to ask my first supplementary.

Madam, majority of the landlords in our country are not doing farming. They have leased out their land to the poor people for cultivation. On the one side, their crops are affected by natural calamities like drought, floods, unseasonal rains and hailstorm. On the other, tenant farmers are losing their crops to the vagaries of the nature and are unable to repay bank loans. That is why, they are committing suicides.

I request the hon. Minister to provide some comfort to the tenant farmers while giving loans and providing subsidy on fertilisers and seeds without affecting the rights of the landlords.

Even though agriculture is a State subject, it is the responsibility of the Union Government also to address the problems of the farmers. In the previous UPA Government, they had waived Rs. 60,000 crore loans of the farmers.

In India, it is first of its kind that our hon. Chief Minister Shri N. Chandra Babu Naidu has waived the agricultural loans to the tune of Rs. 46,000 crore. So, other States should also follow this.

Now, I request the hon. Agriculture Minister as to what are the steps he has taken since four years in NDA government to stop the suicides of the farmers?

श्री राधा मोहन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, जहां तक आन्ध्र प्रदेश का सवाल है, वर्ष 2017-2018 में उस राज्य में ऋण पात्रता कार्ड के माध्यम से 1098 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। कृषक ऋण प्रमाण पत्र के माध्यम से 558 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। जो किसान इससे लाभान्वित हुए हैं, उनकी भी बड़ी संख्या है। जो लैंड लीजिंग पॉलिसी हमने 2016 में बनाई थी, वह आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे पहले लागू हुई है जिससे जो बंटईदार किसान हैं, राज्य नियमों में बदलाव करके, उनको सहायता कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी यह प्रक्रिया शुरू है। उत्तर प्रदेश में भी लैंड लीजिंग पॉलिसी के तहत जो बंटईदार हैं, काश्तकार हैं, उनको भी ऋण मिल सके, ऐसी व्यवस्था उसमें है। हमने राज्यों को एक मॉडल कानून दिया और इस आधार पर राज्य तेजी से अपने कानून में परिवर्तन करके जो काश्तकार हैं, किसान हैं, किरायेदार हैं, उनको लाभ पहुंचा रहे हैं।

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI): Our hon. Prime Minister is always talking about, 'Digital India, Skill India and Made in India'. I request the hon. Union Minister that there should also be 'Farmer India' because 80 per cent of our country is agriculture-based. Majority of our people are coming from the agriculture background. We are giving top priority to other sectors. Every Government, every ruler is ignoring agriculture. At least, you make a strong policy to save the farmers in this country. I request the hon. Speaker Madam also to please allocate one day to discuss all the agriculture-related issues of the country. If you see our country, we have seas on three sides and on one side we have the Himalayas. If you take the case of Andhra Pradesh, every year we get nearly 3-4 cyclones.

HON. SPEAKER: Please put a short question. Both question and answer should be short.

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI): Yes, Madam, I am putting a short question.

Every year many of the farmers are living on agriculture. They are committing suicides. They are having lot of troubles not only in Andhra Pradesh but also in the entire country. Election year is coming. At least, they have to waive the farmers' loan in the entire country. Please come with a proposal. If we compare them with other bank thieves, Vijay Mallya and many other people are looting the country's economy.

HON. SPEAKER: This is not the question.

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI): But the Government is not coming forward to waive the farmers' loan. Why? They have waived the farmers' loan in Uttar Pradesh. Why do they not implement it in the entire country? So, this is my request.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The Government is not working for the coming election. It is a continuous process. They have some policies.

श्री राधा मोहन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, सभी राज्यों में किसान कल्याण की जो योजना है, उसके लिए डिजिटल ही इस्तेमाल हो रहा है, डी.बी.टी. का इस्तेमाल हो रहा है। जहां तक आपदाओं का सवाल है और जहां तक आन्ध्र प्रदेश का सवाल है, वहां राज्य आपदा कोष में वर्ष 2018-19 के लिए काफी बड़ी राशि आबंटित की गई है। जब आन्ध्र प्रदेश एक था, उतनी बड़ी राशि कभी आबंटित नहीं की

गई थी। आन्ध्र प्रदेश या किसी भी राज्य के अंदर जो राज्य आपदा कोष है, उसकी राशि में भारी वृद्धि की गई है। जब-जब राष्ट्रीय आपदा कोष से सहायता मांगी गई है, सभी राज्यों को भारत सरकार की ओर से सहायता दी गई है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता।

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA : Madam, thank you for giving the opportunity.

First of all, the Union Government should understand the pain and agony of the farmers who are pushed to move towards the private moneylenders as well as the pesticide dealers along with their harvest. They should understand the pain and agony of the farmers.

Madam Speaker, the main reason for the farmers' suicide, which is persisting in spite of several measures being taken either by the Government of India or by the State Governments, is the debt, and the farmers' suicide is continuing. In fact, in Karnataka very recently, the coalition Government headed by Shri H.D. Kumaraswamy waived the farmers' loan to the tune of Rs.49,000 crore. Likewise, the previous Government headed by Shri Siddaramaiah also waived the farmers' loan to the tune of Rs.8,600 crore.

I would like to place on record that Dr. Manmohan Singh, the noted economist and the former Prime Minister, took a revolutionary decision to waive the farmers' loan to the tune of Rs.76,000 crore taken by farmers from the nationalised banks. The main reason for the farmers' suicide is the debt that they owe to the nationalised banks.

My question to the hon. Minister is this. Is the Government of India seriously thinking of, on par with the decision taken by Dr. Manmohan Singh Ji, waiving the farmers' loan taken from the nationalised banks to prevent the farmers' suicide and also as a welfare measure to the farmers?

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए पूरा निवेश कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और देश को बताना चाहता हूँ कि मेरी सरकार आने के पहले, पांच जो बजट कृषि मंत्रालय के थे-- अन्य मंत्रालयों से भी किसान हित में योजनाएं हैं, बजट है, -- वह बजट एक लाख 21 हजार करोड़ रुपये का था। हमारा भी बजट आया है, यदि इसे जोड़े तो दो लाख 11 हजार करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। हम किसानों के सशक्तिकरण पर ध्यान दे रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि हम ने बजटीय आवंटन से अलग भी कई कॉरपस फंड बनाए हैं। देश में 99 परियोजनाएं वर्षों से पेंडिंग थीं। शुरू में ही 40 हजार करोड़ रुपये का कॉरपस फंड बनाया गया, जिसका परिणाम यह होगा कि वर्ष 2019 आते-आते सारी परियोजनाएं पूर्ण होंगी। माइक्रो इरिगेशन के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का कॉरपस फंड बनाया गया है, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दस हजार आठ सौ 81 करोड़ रुपये का कॉरपस फंड बनाया गया है। इसी तरह से फिशिंग एंड एक्वाक्लचर डेवलपमेंट के लिए लगभग सात हजार करोड़ रुपये और एनिमल हसबैंड्री के लिए भी दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कॉरपस फंड बनाया गया है। हम किसानों के सशक्तिकरण के लिए पूरा निवेश कर रहे हैं ताकि किसान मजबूत हो। हमारे देश में पहले उत्पादन केन्द्रित योजनाएं चलती थीं लेकिन हमारी सरकार ने आय केन्द्रित योजनाओं की शुरुआत की है और अब इसके परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं।

श्री हरीश मीना: अध्यक्ष महोदया, देश में किसानों की जो हालत है, वह किसी से छिपी नहीं है और उनमें भी जो लघु और सीमांत किसान हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। अगर उनको बरसात की

जरूरत होती है तो वे भगवान पर निर्भर रहते हैं, भाव की जरूरत होती है तो वे व्यापारी पर निर्भर करते हैं और अगर ऋण की जरूरत होती है तो वे सूदखोर की मेहरबानी पर जिंदा हैं। आतंकवादियों को पूर्व सरकारें और वर्तमान सरकार भी पुनर्वास के लिए सेना में नौकरी देती है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जो लघु और सीमांत किसान हैं, जो सूखे और बाढ़ से पीड़ित हैं, उनके परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम करे, क्या सरकार उनके कल्याण के लिए काम करेगी?

माननीय अध्यक्ष : लीज वाले किसानों से संबंधित प्रश्न है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने लघु और सीमांत किसानों के बारे में जो चिंता व्यक्त की है, वह निश्चित रूप से हम सभी के लिए चिंता का विषय है। हम ने गत सप्ताह इन सभी विषयों पर चर्चा की है। माननीय सदस्य ने जिन समस्याओं के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, उन सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उनको नौकरी प्रदान करने की मंशा अभी सरकार की नहीं है।

(Q. 183)

श्री प्रतापराव जाधव : अध्यक्ष महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र बुलढाणा जिले में नेशनल हाइवे नम्बर-6 का काम होने जा रहा है। वहां के किसानों ने 21.03.2018 को महामहिम राष्ट्रपति जी से इच्छा-मरण की परमिशन की मांग की थी। नेशनल हाइवे नम्बर-6 के लिए भूमि अधिग्रहित की गई है। उन लोगों का कहना है कि केन्द्र सरकार के भूमि अधिग्रहण कायदा सितम्बर, 2013 को जो पास किया है, उस कानून के अनुसार उनकी जमीन का अधिग्रहण होना चाहिए। यह कानून सितम्बर, 2013 को पास हुआ, किसानों की जमीन का अधिग्रहण दिसम्बर, 2013 में हुआ और महाराष्ट्र सरकार ने यह कानून जनवरी, 2014 में लागू किया। इस कानून को लागू करने से एक महीना पहले लगभग 150 किसानों की जमीन, जो वर्ष 1956 का पुराना भूमि अधिग्रहण कायदा की वहज उनकी जमीन ली गई, किसानों को उसका मुआवजा एक एकड़ का एक लाख रुपया नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदया, दूसरी मजे की बात यह है कि उस नेशनल हाइवे का काम अभी वर्ष 2018 में शुरू हुआ है। किसानों की भूमि वर्ष 2013 में अधिग्रहण की गई, काम वर्ष 2018 में शुरू हो रहा है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि विकास के नाम पर क्या सरकार ... * जैसा बर्ताव कर रही है। अगर विकास करना है तो सस्ते में मिल रही है तो उनकी जमीन पांच साल पहले ले कर रखो और जब सरकार के पास पैसा आएगा तो रस्ते का काम शुरू किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदया, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए भूमि अधिग्रहण कायदे के मुताबिक क्या सरकार किसानों को मुआवजा देगी?

माननीय अध्यक्ष : आपको प्रश्न पूछना चाहिए, भाषण नहीं देना है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): महोदया, यह प्रश्न मंत्रालय से संबंधित नहीं है।

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : यदि यह विषय आपके विभाग से संबंधित नहीं है, तो आप उत्तर मत दीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : महोदया, भूमि अधिग्रहण का विषय राज्य सरकार और नेशनल हाइवे विभाग से संबंधित है और इसका उत्तर वही दे सकते हैं।

श्री प्रतापराव जाधव: अध्यक्ष महोदया, प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि सरकार किसानों के लिए क्या-क्या कर रही है। सरकार ने किसानों की फसल की एमएसपी दोगुना कर दी है, लेकिन नाफेड के माध्यम से फसल की खरीदी नहीं हो रही है और बाजार में भी फसल के भाव गिरते जा रहे हैं। मेरे जिले में 80565 किसानों ने नाफेड को तुरंत खरीदी के लिए ऑनलाइन अर्जी दी थी। उसमें से सिर्फ 35 हजार किसानों की तुरंत खरीदी हुई है और आज भी किसानों के 72.65 करोड़ रुपये नाफेड की तरफ बाकी है। चने की फसल में भी ऐसा ही हुआ है। 24731 किसानों ने चना की खरीदी के लिए ऑनलाइन अर्जी दी थी और केवल 8 हजार किसानों का माल लिया गया। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप भाषण देना चाहते हैं या प्रश्न पूछना है? आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रतापराव जाधव: अध्यक्ष महोदया, मेरे जिले में 20 परसेंट किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऋण दिया है और 80 परसेंट किसानों को ऋण नहीं मिला है। मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए और किसानों को बढ़ावा देने के लिए उपाय योजना लाए हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारी उपाय योजनाएं हैं, लेकिन क्या उन योजनाओं पर अमल हो रहा है या नहीं, यह देखने का काम कौन कर रहा है?

माननीय अध्यक्ष : आपने कितना लम्बा प्रश्न पूछा है।

श्री राधा मोहन सिंह: महोदया, माननीय सदस्य ने अच्छा प्रश्न पूछा है और नाफेड की चर्चा की है। नाफेड के विषय में सभी को पता है कि मोदी सरकार से पहले जो सरकार थी, उसने नाफेड को गारंटी देना बंद कर दिया था। नाफेड में भी बहुत अनियमितता हुई और जब हम सरकार में आए, तब बैंक उसे

नीलाम करके तालाबंदी करने जा रहे थे। हमारी सरकार के आने के पहले आठ लाख मैट्रिक टन की खरीदारी समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की हुई थी और यही संस्था है जो इनकी खरीदारी करती है। ...(व्यवधान) मैं दलहन और तिलहन की खरीदारी के विषय में भी आ रहा हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। जो बात सही है, वह है। मंत्री जी आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह: महोदया, नाफेड के माध्यम से दलहन और तिलहन की खरीदी की जाती है। नाफेड की पूरी सम्पत्ति नीलामी की कगार पर ही नहीं थी, बल्कि उसकी तालाबंदी होने जा रही थी। हमारी सरकार आने के बाद मूल्य स्थिरीकरण फंड का निर्माण किया और उसके माध्यम से दलहन की खरीदारी की और नाफेड को भी बैंक गारंटी दी। वर्ष 2013-14 में बैंक गारंटी न होने की वजह से नाफेड खरीदारी ही नहीं कर पाया।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि चार साल में नाफेड ने दलहन और तिलहन की रिकार्ड खरीदारी लगभग 64 लाख मिट्रिक टन की है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खरीदारी की है। यह बात सही है कि जितना उत्पादन हुआ और जितनी खरीदारी होनी चाहिए, उतनी नहीं हुई है, लेकिन इस साल हम राज्यों के माध्यम से सुनिश्चित कर रहे हैं कि खरीदारी और बढ़ाई जाए। यह बात सही है कि रिकार्ड खरीदारी हुई है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खरीदारी की गई है।

श्री राजीव सातव: महोदया, मंत्री जी ने कहा है कि रिकार्ड खरीदारी की गई है, लेकिन बहुत समय से रिकार्ड खरीदारी का पैसा कहीं भी किसानों को नहीं मिल रहा है। मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति की कुछ ऑब्जर्वेशंस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। समिति ने यह कहा है कि जब तक आप प्रोक्योरमेंट एजेंसीज को फंडिंग नहीं दोगे, तब तक राज्य लैवल की जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज को स्ट्रेंडन नहीं करोगे, तब तक आप एमएसपी डिक्लेयर करके भी सही मायने में किसान को फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या केंद्र सरकार आने वाले समय में सुनिश्चित करेगी कि हर ब्लॉक में राज्य सरकार द्वारा खरीदारी हो और उसके लिए केंद्र सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस दे?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, चावल और गेहूँ की खरीदारी एफसीआई द्वारा होती है और उसके लिए बजटीय आबंटन होता है, लेकिन नाफेड जैसी संस्था को बैंक गारंटी केंद्र सरकार देती है। नाफेड की हालत के बारे में मैं दोबारा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। हमारी सरकार आने के बाद हमने उसकी गारंटी बढ़ाई है। राज्यों के पास रिवॉल्विंग फंड के अभाव में और नाफेड की हालत खराब होने के कारण, हम नाफेड की गारंटी को बढ़ाकर 29 हजार करोड़ रुपये तक ले गए जो पहले सिर्फ दो हजार करोड़ रुपये की गारंटी होती थी। हम आगे निश्चित रूप से सुनिश्चित करने वाले हैं कि हमने जो एमएसपी डेढ़ गुना या उससे ज्यादा की है, उसके तहत राज्यों से बातचीत करके और अधिक खरीद सुनिश्चित करें।

HON. SPEAKER: Now Shri Pralhad Joshi is to put the question. You are requested to ask a short question.

SHRI PRALHAD JOSHI: Madam, my question is regarding committing of suicide by farmers. In Karnataka, In the last five years, more than 4000 people have committed suicide. ... (*Interruptions*).

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जोशी जी, आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI : Madam, I am stating the facts. Now, as far as the implementation of Fasal Bima Yojana is concerned, they are performing crop-cutting experiments. फसल बीमा योजना में किसानों को रिलीफ देने की बात थी, उसमें कर्नाटक

सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। राज्य सरकार ने एक वर्ष पहले चना खरीदा था, उसका पैसा भी अभी तक कर्नाटक सरकार ने किसानों को नहीं दिया है।

I would like to know from the Hon'ble Minister, whether he is going to issue any advisory to the Karnataka State Government to implement the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Karnataka and also instruct the State Government to pay immediately the price of *chana* to the farmers. ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The Minister will give the answer. अब मैं ऐसा कहूँगी कि क्या आपके यहां स्प्रिंग लगे हैं? मंत्री जी उत्तर देने जा रहे हैं, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का और माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई। देश में पहले भी फसल बीमा की योजनाएं थीं। ...(व्यवधान) मैं आत्महत्या के विषय में भी बोलने जा रहा हूँ, आप एक स्यूसाइड अटैम्प्ट, अविश्वास प्रस्ताव लाकर, पहले कर चुके हैं, अब दूसरी बार क्यों कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप चेयर को देखकर उत्तर दीजिए और शॉर्ट में उत्तर दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : महोदया, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लागू होने से पहले भी देश में मौसम आधारित फसल बीमा योजनाएं थीं, जिनमें प्रीमियम की राशि बहुत ज्यादा होने के कारण और फसल बीमा राशि के भुगतान की प्रक्रिया बहुत लम्बी होने के कारण से किसानों को यथोचित लाभ नहीं मिल पाता था। फसल बीमा योजना का प्रीमियम ज्यादा होने की वजह से किसान पहले तो बीमा करा ही नहीं पाता था और यदि कराता था तो इस तरह के अनुभव हम सभी जन प्रतिनिधियों के सामने आए

होंगे कि हम अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर सोचें कि क्यों तीन, चार, पांच साल तक फसल बीमा राशि का भुगतान नहीं होता था। ... (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जब हमने फसल बीमा योजना लागू की, उस योजना के लागू होने के बाद पिछले दो साल में दस करोड़ से ज्यादा किसानों का फसल बीमा हुआ और पांच करोड़ अस्सी लाख से ज्यादा किसानों को फसल बीमा का भुगतान केंद्र सरकार ने किया है। करीब छह हजार करोड़ रुपये किसानों के प्रीमियम के अगेंस्ट हमने 26 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा फसल बीमा राशि का भुगतान किया है। निश्चित रूप से किसानों की आत्महत्या हम सभी के लिए चिंता का विषय है और इस समस्या से निजात पाने के लिए दीर्घकालिक योजना के माध्यम से सरकार ने किसानों के सशक्तिकरण करने का कदम उठाया है।

माननीय अध्यक्ष : मुलायम जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो पूछ लीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: माननीय अध्यक्ष महोदया, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज आप कितनी भी बहस कर लीजिए, लेकिन जब तक देश के किसान समृद्ध नहीं होंगे, तब तक देश समृद्ध नहीं हो सकता। यह आज की बात नहीं है, अमेरिका ने भी विकास करने के लिए सबसे पहले किसानों को सुविधाएँ दी थी। किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं में सबसे पहली सुविधा यह होनी चाहिए कि उनका कर्ज माफ होना चाहिए। मैंने प्रदेश के किसानों का साढ़े सोलह सौ करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था। मैंने कह दिया था कि कोई भी जमीन नीलाम नहीं हो सकती है, चाहे वह सरकारी हो या गैर-सरकारी। बड़े लोग किसानों को पैसे दे देते थे और उसका ब्याज पर ब्याज हो जाता था। इस एवज़ में वे उनकी जमीन ले लेते थे।

इसलिए सबसे पहले आप किसानों के कर्ज माफ कीजिए। आज भी उत्तर प्रदेश में किसान पेंशन योजना चल रही है। किसानों को पेंशन दीजिए। जब आप सभी को पेंशन देते हैं, तो भूमिहीन किसानों या जिन किसानों के पास कम जमीन है, उनको मासिक भत्ता दीजिए। मैंने यह करके दिखाया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ।

किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त, दवाई मुफ्त और पढ़ाई मुफ्त अगर कहीं की गयी है, तो वह उत्तर प्रदेश में की गयी है। जब तक आप ये सुविधाएँ नहीं देंगे, तो किसानों के बिना देश समृद्ध नहीं हो सकता है। आज भी 65 फीसदी किसान खेती पर ही निर्भर हैं, जो खेती करते हैं और खेतों में मजदूरी भी करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : आपके सजेशन ले लेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव: इसलिए जब तक किसानों को सुविधाएँ नहीं दी जाएँगी, तब तक देश विकास नहीं कर सकता है।

माननीय अध्यक्ष : सजेशन नोट कीजिए।

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, बीमा के संबंध में जो सवाल आये थे और माननीय मुलायम सिंह जी ने जो सवाल उठाये, उनके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है। इसमें जितने व्यवधान थे, जो कैपिंग थी, किसानों को पूरी भरपाई नहीं की जाती थी, उनको हटाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने नयी योजना शुरू की। इसमें नयी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस गति से हो रहा है, उसके कारण भुगतान में भी तेजी आयी है। पहले एक साल से कम समय में भुगतान नहीं किया जाता था, लेकिन अभी छह महीने के अंदर भुगतान किया जाता है।

इसमें यह भी देखा गया है कि राज्य सरकारें अपना अंशदान विलम्ब से देती हैं या बीमा कम्पनियों की ओर से भी विलम्ब होता है। इस बार, मैं दो प्रकार के सुधार करने जा रहा हूँ। यदि बीमा कम्पनियों की ओर से भुगतान में दो महीने से ज्यादा विलम्ब किया गया, तो उनको 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करना पड़ेगा। यदि राज्य सरकारें विलम्ब से अपना शेयर देती हैं, तो उनको भी किसानों को ब्याज देना पड़ेगा।

HON. SPEAKER: Q. No. 184, Shrimati K. Kavitha is not present. Shri Abhishek Banerjee.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपका क्वेश्चन आया है। यदि आप भूल गये हैं, तो छोड़ दें।

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप क्वेश्चन नम्बर 184 बोलें।

... (*Interruptions*)

(Q.184)

माननीय अध्यक्ष : अब आप अपना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछें।

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do you want to ask any Supplementary Question?

... (*Interruptions*)

SHRI ABHISHEK BANERJEE : Will the Minister of Heavy Industries and Public Enterprises be pleased to state whether the Government has set up 'Centres of Excellence' for technological development in order to make the Indian Capital Goods Sector globally competitive? ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The Question is there, and the Minister has given answer also.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: If you have any Supplementary Question, then you can ask it.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It seems you do not have any.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please let him understand the procedure.

... (*Interruptions*)

SHRI ABHISHEK BANERJEE: The Budget that was allocated for this particular scheme ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, you ask the Question. What was the Budget allocated for it?

... (*Interruptions*)

SHRI ABHISHEK BANERJEE: Why has the money allocated for this particular scheme not been spent? ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Okay.

... (*Interruptions*)

SHRI BABUL SUPRIYO: Madam, first of all, I would really want to thank our learned senior Member, Prof. Saugata Roy, for doing the necessary thing to remind him about the Question that has been asked. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Let him assist. It is a good thing that he is doing.

... (*Interruptions*)

SHRI BABUL SUPRIYO: First of all, let me tell you that in November, 2014, under the leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises had launched a Special Goods Scheme called the Capital Goods Scheme, under which the Centre of Excellence was only one part. We have two parts. One was the infrastructural component and the other was the financial component.

Under the infrastructural component, Centre of Excellence was one part for which Rs.250 crore had been allocated. At that point of time, that was the outlay. I would let my friend know that till today eight Centres of Excellence have been

approved in the country. They were targeted to help the MSME sector through their own R&D and train their own workers.

As the hon. Member wanted to know, these eight Centres of Excellence have been allocated funds. For example, IIT Madras has been allocated Rs.44 crore....

(Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY: These details are given in the reply.

HON. SPEAKER: Let him answer please.

... *(Interruptions)*

SHRI BABUL SUPRIYO: Please have the patience. I have respect for you as you are a senior Member. He has asked why money has not been spent. It is a wrong allegation because Rs.930 crore has been allocated for this new project – the Capital Goods Scheme. The Government is supposed to shell out Rs.581.22 crore. Out of that, till today, we have spent almost 98 per cent of the amount, which amounts to Rs.569.87 crore. So, the allegation that the money has not been spent is absolutely wrong. In fact, we do not have more money to approve more Centres of Excellence.

He would be very happy to know that out of six proposals that we received, four were from South India. When I saw Kharge ji, I also wanted to tell this to him. I found that the eastern region never even proposed a Centre of Excellence. So, he would be happy to know that I personally called up the Director of IIT Kharagpur. We have these educational institutions as our knowledge partners. He was very

proactive in ensuring that Kharagpur gets a Centre of Excellence. He would be happy to know for Kharagpur we had allocated a budget of Rs.47.62 crore, of which Rs.16.87 crore have already been given to the IIT Kharagpur for the Centre of Excellence.

He would be happy to know that huge companies have come forward to make sure that these Centres of Excellence are the state of the art. We have Ramkrishna Forgings, Tata Steel, BHEL, Tata Sons, Tata Consultancy Services, Tata Motors and Tata Sons Limited. I would request Shri Abhishek *Bhai* and also *Dada*, the learned senior MP, to please visit these Centres of Excellence. It is very hard to get some credit in West Bengal for good job that our Government is doing. Please come, help us to make these Centres of Excellence even more excellent in future.

SHRI ABHISHEK BANERJEE : Madam, I would also like to know as to how much progress has been made in this sector. How has it actually benefited the manufacturing sector? What about the CoE in Kharagpur? How much time will they take to complete?

HON. SPEAKER: Just now he has replied.

SHRI BABUL SUPRIYO: As I said, out of the eight Centres of Excellence which have come under the Infrastructural Component of Capital Goods Scheme, we have, till today, out of Rs.581 crore that the Government of India was supposed to spend, spent 90 per cent of it. When it comes to Centres of Excellence, there is a

lot of advance equipment, state of the art equipment, which need to be imported. I have spoken to the Directors of several such knowledge partners. Procurement of these instruments takes a little bit of time. If he wants more details on this, I have already laid a statement on the Table of the House, which he can go through.

In Chennai, out of Rs.44 crore allotted, Rs.31 crore has already been disbursed. Out of Rs.16 crore in Bengal alone, Rs.5 crore has already been disbursed. Even in Kharagpur, out of Rs.47 crore, Rs.16.87 has already been disbursed. Since you have specifically asked about Kharagpur, I spoke to the IIT Kharagpur only yesterday, who said that it would take five more months to get equipment to start functioning of the Centre of Excellence.

HON. SPEAKER: Very good.

Shri P.R. Sundaram – ask a short question as the time is up.

SHRI P.R. SUNDARAM : Madam, I would like to know from the hon. Minister whether the Government has any plans to set up a Centre of Excellence in Tamil Nadu through *navratna* companies like ONGC, BHEL and NLC with the latest technological skills and practices to benefit the participating workers.

12 00 hrs

SHRI BABUL SUPRIYO: As I said in my answer, the capital goods scheme takes a little bit of time for implementation because the partners need to come and they need to give proposals based on which the instruments and R&D equipment are imported or made. So, out of the six proposals, three proposals for opening the

Centre of Excellence were from Tamil Nadu. We have the Centre of Excellence in Chennai, Bangaluru and Coimbatore has two CoEs.

In the capital goods sector, the Government pays 80 per cent of the total value of the Centre of Excellence. In many of the CoEs, the PSUs are the technology partners. I have already given the detailed answer. Many of the PSUs and big companies have become part of those ventures because 80 per cent amount is given by the Government of India for the Centre of Excellence of which 70 per cent has been disbursed for many of the Centres and the others are in the process.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please do not do like this. He has asked his question. There would be no supplementary to supplementary. Sundaram ji, please sit down.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे सदन को एक सूचना देनी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप लोग बैठ जाइए। मुझे आप लोगों को एक सूचना देनी है, कृपया उसको सुनिए।

...(व्यवधान)

12 01 hrs

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Function to confer outstanding Parliamentarian Award

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कल सांय 6 बजे भारतीय संसदीय समूह के तत्वावधान में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्रदान करने हेतु एक समारोह का आयोजन संसद के केन्द्रीय कक्ष में किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी पुरस्कार प्रदान करेंगे। माननीय उपराष्ट्रपति एवं चेयरमैन राज्य सभा एवं माननीय प्रधानमंत्री जी समारोह में आएंगे और गणमान्य अतिथियों को संबोधित करेंगे। आप सभी से समारोह में पधारने का अनुरोध है कि पुरस्कृत सांसदों के इस आनंद में आप भी शामिल हों।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। लेकिन मैंने किसी भी सूचना को अनुमति नहीं दी है, क्योंकि अन्य अवसरों पर इसको उठाया जा सकता है।

12 02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table of the House.

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी, इंफाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी, इंफाल के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9451/16/18]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): अध्यक्ष महोदया, मैं अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2018 जो 27 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 588 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 9452/16/18]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (RAOINDERJIT SINGH): I beg to lay on the Table a copy of each of the following papers (Hindi and English versions):-

1. Memorandum of Understanding between the Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9453/16/18]

2. Memorandum of Understanding between the Fertilizers and Chemicals Travancore Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9454/16/18]

3. Memorandum of Understanding between the FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9455/16/18]

4. Memorandum of Understanding between the Madras Fertilizers Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9456/16/18]

5. Memorandum of Understanding between the National Fertilizers Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9457/16/18]

6. Memorandum of Understanding between the Projects and Development India Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9458/16/18]

7. Memorandum of Understanding between the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9459/16/18]

8. Memorandum of Understanding between the Hindustan Organic Chemicals Limited and the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9460/16/18]

9. Memorandum of Understanding between the Hindustan Insecticides Limited and the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9461/16/18]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

1. Memorandum of Understanding between the NBCC (India) Limited and Ministry of Housing and Urban Affairs for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9462/16/18]

2. Memorandum of Understanding between the Hindustan Prefab Limited and Ministry of Housing and Urban Affairs for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9463/16/18]

3. Memorandum of Understanding between the Housing and Urban Development Corporation Limited and Ministry of Housing and Urban Affairs for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9464/16/18]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (पदोन्नति और पुष्टीकरण) (संशोधन) नियम, 2018 जो 17 मई, 2018 को दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.16/5/2014/एचपी-1/स्था./2755 - 2756 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9465/16/18]

(2) उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 की धारा 5 की उपधारा (2) के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पेंशन, आवास और अन्य सुविधाएं (संशोधन) नियम, 2018 जो 7 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 487(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9466/16/18]

(3) राष्ट्रपति की परिलब्धियां पेंशन अधिनियम, 1951 की धारा 5 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति की पेंशन (संशोधन) नियम, 2018 जो 24 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 488(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 9467/16/18]

(4) राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत राज्यपाल के भत्ते तथा विशेषाधिकार (संशोधन) नियम, 2018 जो 24 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 486(अ) में प्रकाशित हुए तथा जिसका एक शुद्धिपत्र जो 12 जून, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 546(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 9468/16/18]

(5) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना सं. 2947 (अ) जो 19 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा "भारतीय उप-महाद्वीप में अल-कायदा (एक्यूआईएस) और इसकी सभी अभिव्यक्तियों" को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची के क्रमांक 28 पर जोड़ा गया है तथा " खोरा सन प्रांत में इस्लामिक स्टेट (आईएसकेपी) / आईएसआईएस विलायत खोरासन / इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड शम-खोरासन (आईएसआईएस-के)" को उक्त अधिनियम के क्रमांक 38 में जोड़ा गया है, की एक प्रति ।

[Placed in Library, See No. LT 9469/16/18]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदया, श्री परषोत्तम रूपाला की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:-

(एक) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक और मिश्रित) (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2018 जो 22 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1323(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का.आ. 1391(अ) जो 28 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक और मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 को अधिसूचित किया गया था।

(तीन) का.आ. 1392(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष तक की अवधि के लिए भारत में विनिर्मित किए जाने वाले प्रोविजनल उर्वरक फास्फोजिप्सम के बारे में विनिर्देशों को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 3264(अ) जो 5 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत सिटी कंपोस्ट के थोक विक्रय के लिए सात कंपनियों को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक और मिश्रित) (नियंत्रण) तीसरा संशोधन

आदेश, 2018 जो 5 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.
का.आ. 3265(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 9470/16/18]

(2) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित
अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2018, जो 20 मार्च,
2018 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का.आ. 1248(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2018, जो 10 मई,
2018 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का.आ. 1873(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा उसके
दो शुद्धिपत्र जो 24 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2059(अ) तथा 16 मई, 2018 की
अधिसूचना संख्या का.आ. 1930(अ) (केवल हिंदी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2018, जो 5 जून,
2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2286(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 9471/16/18]

(3) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत पौधा
किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (कम्यूनिटी अवार्ड फ्राम जीन फंड) नियम, 2018 जो 24 अप्रैल,

2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 391(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9472/16/18]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गूर्जर) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) स्पैस्टिक्स सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पैस्टिक्स सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9473/16/18]

(3) (एक) सोशल वेलफेयर सेंटर, त्रिसूर के वर्ष 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोशल वेलफेयर सेंटर, त्रिसूर के वर्ष 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 और 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9474/16/18]

(5) (एक) नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड, दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड, दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9475/16/18]

(7) (एक) श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9476/16/18]

(9) (एक) वॉलुन्टरी आर्गनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 और 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वॉलुन्टरी आर्गनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 और 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9477/16/18]

(11) (एक) वॉलुन्टरी आर्गनाइजेशन ऑफ पीएडब्ल्यूएमईएनसीएपी(पैरेन्ट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेन्टली हैंडीकैप्ड पर्सन्स), हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वॉलुन्टरी आर्गनाइजेशन ऑफ पीएडब्ल्यूएमईएनसीएपी(पैरेन्ट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेन्टली हैंडीकैप्ड पर्सन्स), हैदराबाद के वर्ष 2013-2014के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9478/16/18]

(13) नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9479/16/18]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण और कार्यकलाप के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 9480/16/18]

(दो) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण और कार्यकलाप के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 9481/16/18]

(तीन) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण और कार्यकलाप के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 9482/16/18]

(चार) देना बैंक के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण और कार्यकलाप के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 9483/16/18]

(पांच) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण और कार्यकलाप के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 9484/16/18]

(छह) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण और कार्यकलाप के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[Placed in Library, See No. LT 9485/16/18]

(सात) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण और कार्यकलाप के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[Placed in Library, See No. LT 9486/16/18]

(आठ) यूको बैंक के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण और कार्यकलाप के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[Placed in Library, See No. LT 9487/16/18]

(नौ) बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण और कार्यकलाप के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[Placed in Library, See No. LT 9488/16/18]

(दस) केनरा बैंक के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण और कार्यकलाप के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[Placed in Library, See No. LT 9489/16/18]

(ग्यारह) कार्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण और कार्यकलाप के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[Placed in Library, See No. LT 9490/16/18]

(बारह) इंडियन बैंक के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण और कार्यकलाप के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[Placed in Library, See No. LT 9491/16/18]

(तेरह) ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण और कार्यकलाप के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 9492/16/18]

(चौदह) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण और कार्यकलाप के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 9493/16/18]

(पंद्रह) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण और कार्यकलाप के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 9494/16/18]

(सोलह) विजया बैंक के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण और कार्यकलाप के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 9495/16/18]

(सत्रह) आंध्रा बैंक के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण और कार्यकलाप के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 9496/16/18]

(अठारह) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण और कार्यकलाप के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 9497/16/18]

(उन्नीस) पंजाब एंड सिंध बैंक के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण और कार्यकलाप के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 9498/16/18]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत आईडीबीआई बैंक, मुंबई के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9499/16/18]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (एक) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क)(एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 01.01.2018 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 01.01.2018 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए परिसमापक का प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 9500/16/18]

(4) बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, की धारा 40 की उपधारा (4) तथा बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[Placed in Library, See No. LT 9501/16/18]

(5) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों को देय भत्ते एवं सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2017 जो 2 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 987(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9502/16/18]

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 1402(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित खाद्य तेलों, सोना चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) अधिसूचना संख्या 31/2018-सी.शु.(एन.टी) दिनांक 5 अप्रैल, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का.आ. 1598(अ) जो 13 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित खाद्य तेलों, सोना चांदी और सुपारी पर टैरिफ शुल्क के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चार) अधिसूचना संख्या 33/2018-सी.शु.(एन.टी) दिनांक 19 अप्रैल, 2018 तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) का.आ. 1779(अ) जो 27 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित खाद्य तेलों, सोना चांदी और सुपारी पर टैरिफ शुल्क के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) अधिसूचना संख्या 35/2018-सी.शु.(एन.टी) दिनांक 3 मई, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) का.आ. 1918(अ) जो 15 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित खाद्य तेलों, सोना चांदी और सुपारी पर टैरिफ शुल्क के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) अधिसूचना संख्या 43/2018-सी.शु.(एन.टी) दिनांक 17 मई, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (नौ) का.आ. 2204(अ) जो 31 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित खाद्य तेलों, सोना चांदी और सुपारी पर टैरिफ शुल्क के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) अधिसूचना संख्या 49/2018-सी.शु.(एन.टी) जो 7 जून, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) का.आ. 2425(अ) जो 14 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित खाद्य तेलों, सोना चांदी और सुपारी पर टैरिफ शुल्क के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) अधिसूचना संख्या 54/2018-सी.शु.(एन.टी) दिनांक 19 जून, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) अधिसूचना संख्या 55/2018-सी.शु.(एन.टी) दिनांक 21 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चौदह) का.आ. 3147(अ) जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित खाद्य तेलों, सोना चांदी और सुपारी पर टैरिफ शुल्क के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) अधिसूचना संख्या 60/2018-सी.शु.(एन.टी) जो 5 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) जो 14 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 451(अ) सीमा शुल्क ब्रोकर अनुज्ञप्तिकरण विनियम, 2018 एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) 14 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1512(अ) सीमा शुल्क (सूचना प्रस्तुतीकरण) नियम, 2017 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) का.आ. 3886(अ) जो 14 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या 40/2012-सी.शु.(एन.टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) सा.का.नि. 1589(अ) जो 28 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) सा.का.नि. 13(अ) जो 5 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा

जिनके द्वारा 2 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 12/1997-सी.शु. (एन.टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 20(अ) जो 10 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 अगस्त, 1997 की अधिसूचना संख्या 82/2017-सी.शु. (एन.टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाइस) सा.का.नि. 21(अ) जो 10 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 सितंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 92/2017-सी.शु. (एन.टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 293(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या 82/2017-सी.शु. (एन.टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 294(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 सितंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 92/2017-सी.शु. (एन.टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पचीस) सा.का.नि. 295(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 सितंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 80/2010-सी.शु. (एन.टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 296(अ) में प्रकाशित कुरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रोसेसिंग) विनियम,

2018 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सत्ताईस) 2 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 329(अ) में प्रकाशित पूर्व सूचना परामर्श विनियम, 2018 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अट्ठाईस) 11 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 447(अ) में प्रकाशित प्रवेश पत्र (इलैक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा और पत्र-रहित प्रक्रमण) विनियम, 2018 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उनतीस) 11 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 448(अ) में प्रकाशित समुद्री स्थोरा माल-सूची और पोतांतरण विनियम, 2018 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीस) सा.का.नि. 445(अ) जो 11 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उक्त अधिनियम की धारा 99 (अ) के अंतर्गत लेखापरीक्षा करने के प्रयोजनार्थ उसमें उल्लिखित सीमा शुल्क अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इकतीस) 24 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 484(अ) में प्रकाशित सीमा शुल्क लेखा परीक्षा विनियम, 2018 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बत्तीस) सा.का.नि. 299(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक

व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तैंतीस) सा.का.नि. 604(अ) जो 30 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उसमें संलग्न सारणी के कालम सं. 3 में निर्दिष्ट वर्णन की गई वस्तुओं के लिए एशिया पैसिफिक व्यापार समझौता रियायतों के चौथे दौर के कार्यान्वयन के लिए टैरिफ में रियायत देने के बारे में है और यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2018 से लागू होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौंतीस) सा.का.नि. 250(अ) जो 20 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पैंतीस) सा.का.नि. 286(अ) जो 27 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छत्तीस) सा.का.नि. 358(अ) जो 10 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सैंतीस) सा.का.नि. 476(अ) जो 23 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (अड़तीस) सा.का.नि. 562(अ) जो 14 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उनतालीस) सा.का.नि. 578(अ) जो 20 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चालीस) सा.का.नि. 342(अ) जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इकतालीस) सा.का.नि. 343(अ) जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 2.2.2018 की अधिसूचना संख्या 7/2018-सी.शु., 8/2018 - सी.शु., 19/2018-सी.शु. तथा 20/2018-सी.शु. का निरसन किया गया था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बयालीस) सा.का.नि. 621(अ) जो 9 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 27/2011-सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तैंतालीस) सा.का.नि. 651(अ) जो 16 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 27 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 82/2017-सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौवालीस) सा.का.नि. 1486(अ) जो 4 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 5310 और 6305 के अंतर्गत आने वाले जूट और जूट उत्पादों के आयात पर जब इन्हें नेपाल से आयातित किया जा रहा हो, 17 जुलाई, 2015 से 15 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के गैर उदग्रहण के बारे में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतालीस) सा.का.नि. 648(अ) जो 14 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु.में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9503/16/18]

(7) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 223(अ) जो 13 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'सल्फोनेटेड नेफथलीन फॉर्मैलिडहाइड' के आयात पर, जारी होने की तिथि अर्थात् 13 मार्च, 2018 से पांच वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 232(अ) जो 15 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहीत प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा

वहां से निर्यातित 'ऑफलोक्सीन' के आयात पर तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 241(अ) जो 19 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी की सनसेट समीक्षा जांच में अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया और जापान से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मेलामाईन' के आयात के बारे में 8 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना सं. 48/2012-सी.शु. (एड), जिसे 7 अक्तूबर, 2018, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक आगे बढ़ाया गया था को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 247(अ) जो 20 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित सनसेट समीक्षा के प्रारंभ के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मेटाफिनाईलेनेडायामाईन' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 21 मार्च, 2019 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 248(अ) जो 20 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मेलामाईन' के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के मामले में फोसानकेसिनो बिल्डिंग मैटेरियल कंपनी लिमिटेड (निर्यातक) के माध्यम से मैसर्स कुतुमजिनजियांग कैमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) द्वारा निर्यातों के लिए वैयक्तिक पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए सोशो टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा हानि का निर्धारण नियम, 1995 के नियम 22 के अंतर्गत न्यू सिपररिव्यू के प्रारंभ के मामले में अनंतिम आकलन के लिए आदेश देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 249(अ) जो 20 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और तुर्की से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'डाईमिथाइलएसीटामाइड' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 259(अ) जो 21 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और जापान से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'रेसोरसिनोल' के आयात पर तीन वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 260(अ) जो 21 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मोनोआइसोप्रोपाइलामाईन' या 'एमआईपीए' के आयात से संबंधित प्रतिपाटन जांच के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 246(अ) जो 22 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 26.03.2013 की अधिसूचना सं. 3/2013-सी.शु. (एडीडी) में संशोधन करना है ताकि चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'फ्लैट बेस स्टील व्हील' के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 276(अ) जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय मैसर्स नैचुरल जूट मिल (उत्पादक/निर्यातक) (बांग्लादेश) और मैसर्स क्रिएशन ग्लोबल, एलएलसी, यूएसए (निर्यातक/ट्रेडर) (बांग्लादेश) द्वारा 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-सी.शु. (एडीडी) के माध्यम से पहले से अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क के संग्रहण के बिना प्रतिभूति या गारंटी की प्रस्तुति के अध्यधीन प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा शुरू किए गए न्यू शिपर रिव्यू का परिणाम आने तक बांग्लादेश में उद्धृत अथवा वहां से निर्यातित "जूट उत्पादों अर्थात् जूट यार्न/ट्वाइन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल और एकल), हेशियन फैब्रिक और जूट सेकिंग बैग" के सभी आयातों का अनन्तिम आकलन विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 287(अ) जो 27 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ से उद्धृत अथवा वहां से निर्यातित 'वेनीर्ड इंजीनियर्ड उडेन फ्लोरिंग' के आयात पर जो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि (जब तक इसे इससे पूर्व प्रतिसंहत अधिक्रमित या संशोधित न किया गया हो) के लिए प्रभावी रहेगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 344(अ) जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा न्यूशिपर समीक्षा को समाप्त करने के बारे में है तथा अधिसूचना 18/2018-सी.शु. (एडीडी) दिनांक 06.04.2018 का आशय 15.03.2017 की अधिसूचना सं. 8/2017-सी.शु. (एडीडी) को निरस्त करना है ताकि यह प्रावधान हो एवं कि 31.12.2013 की अधिसूचना सं. 33/2013-सी.शु. (एडीडी) के अंतर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क बिना किसी किसी परिवर्तन के सभी संबंधित उत्पादक/निर्यातक से किए गए आयातों पर लागू हो सके जिनमें वे आयात भी शामिल हैं जिनका अनन्तिम आकलन दिनांक 09.02.2017 की अधिसूचना सं. 15/5/2016-डीजीएडी (एनएमआर)

1/2017 द्वारा डीजीएडी द्वारा प्रारंभ की गई न्यूशिपर समीक्षा को अंतिम रूप दिए जाने तक किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 345(अ) जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जारी किए जाने की तारीख अर्थात् 6.4.2018 से 5 वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्धृत अथवा वहां से निर्यातित एवं भारत में आयातित फास्फोरसपेंटाआक्साइड के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 377(अ) जो 17 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और बांग्लादेश से उद्धृत 'फिशनेट' या 'फिशिंग नेट' के आयात पर (तब तक इसे इससे पूर्व प्रतिसंहत, अधिक्रमित या संशोधित नहीं किया गया हो) 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 377(अ) जो 17 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय रूस और तुर्की से उद्धृत या वहां से निर्यातित सोडा एस के आयात पर, 1 वर्ष की आगे की अवधि (अर्थात् 16.4.2019) तक के लिए अथवा 16 अप्रैल, 2018 अधिसूचना सं. 7/4/2018-डीजीएडी के माध्यम से अभिहित प्राधिकरण द्वारा आरंभ की गई सनसेट समीक्षा जांच के निष्कर्ष निकलने तक, जो भी पहले हो, 18.4.2013 की अधिसूचना सं. 8/2013-सी.शु. (एडीडी) के अंतर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 382(अ) जो 18 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया से उद्धृत अथवा वहां से निर्यातित एवं भारत में आयातित ग्लासवेयर के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 392(अ) जो 24 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के 1.2.2018 के प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, जापान, दक्षिण अफ्रीका और ताइवान से उद्धृत या वहां से निर्यातित 'एमईके पर मिथाइल इथाइल कीटोन' के आयात पर जब तक इसे इससे पूर्व प्रतिसंहत, अधिक्रमित या संशोधित नहीं किया गया हो। 3 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 428(अ) जो 7 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स रोमन जूट मिल्स लिमिटेड (उत्पादक / निर्यातक) और मैसर्स एसएमपी इंटरनेशनल, एलआईसी, यूएसए (निर्यातक/ट्रेडर) द्वारा 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-सी.शु. (एडीडी) के माध्यम से पहले से अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क के संग्रहण के बिना प्रतिभूति या गारंटी की प्रस्तुति के अध्यधीन प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा शुरू किए गए न्यू सिपर रिव्यू का परिणाम आने तक बांग्लादेश में उद्धृत अथवा वहां से निर्यातित जूट यार्न / ट्वाइन (मल्टीपल फोल्डेड/ केबल्ड और एकल, हेसियन फैब्रिक और जूट सैकिंग बैग के सभी आयातों का अनंतिम आकलन विहित करना है, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 442(अ) जो 10 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 27 मार्च, 2018 की अधिसूचना सं. 17/2018-सी.शु. (एडीडी) में संशोधन करना है ताकि उक्त अधिसूचना में वेनीरड इंजीनियर्ड वुडेड फ्लोरिंग को परिभाषित करने के लिए स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा सके तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 452(अ) जो 14 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्धृत या वहां से निर्यातित परआक्सोसल्फेट्स (परसल्फेट) के आयात पर, 1 वर्ष की आगे की अवधि (अर्थात् 14.5.2019) तक की अवधि के लिए 16 मई, 2013 की अधिसूचना सं. 11/2013-सी.शु. (एडीडी) के अंतर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 460(अ) जो 17 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जनवादी गणराज्य से उद्धृत या वहां से निर्यातित सिरामिक रोलर्स के आयात पर जो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि (जब तक इसे इससे पूर्व विसंहृत, अधिक्रमित या संशोधित नहीं किया गया हो) के लिए प्रभावी रहेगा, पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 498(अ) जो 25 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से उद्धृत या वहां से निर्यातित सैचुरेटेड फैटी एल्कोहल के आयात पर, 5 वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 499(अ) जो 25 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 12 सितंबर, 2017 की अधिसूचना सं. 44/2017-सी.शु. (एडीडी) में संशोधन करना है ताकि रूस, इंडोनेशिया, जार्जिया और ईरान से उद्धृत अथवा वहां से निर्यातित अमोनियमनाइट्रेट के निर्यातों पर प्रतिपाटन शुल्क के मामले में प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा जारी शुद्धिपत्र को 5 वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर शामिल किया जा सके तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 514(अ) जो 30 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेसर्स जनता जूट मिल्स लिमिटेड (उत्पादक) द्वारा 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-सी.शु. (एडीडी) के माध्यम से पहले अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क के संग्रहण के बिना प्रतिभूति या गारंटी की प्रस्तुती के अध्याधीन प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा शुरू किए गए न्यू शिपर रिव्यू का परिणाम आने तक बांग्लादेश या नेपाल में उद्धृत अथवा वहां से निर्यातित जूट यार्न/ट्वाइन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड और एकल) हेसियन फैब्रिक और जूट सैकिंग बैग के सभी आयातों का अनंतिम आकलन विहित करना है, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पचीस) सा.का.नि. 515(अ) जो 30 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स अमन जूटन मिल्स लिमिटेड (उत्पादक)/ और मैसर्स आईबी जूट कार्पोरेशन (निर्यातक/ट्रेडर) द्वारा 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-सी.शु. (एडीडी) के माध्यम से पहले अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क के संग्रहण के बिना प्रतिभूति या गारंटी की प्रस्तुती के अध्याधीन प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा शुरू किए गए न्यू शिपर रिव्यू का परिणाम आने तक बांग्लादेश या नेपाल में उद्धृत अथवा वहां से निर्यातित जूट यार्न/ट्वाइन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड और एकल), हेसियन फैब्रिक और जूट सैकिंग बैग के सभी आयातों का अनंतिम आकलन विहित करना है, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 522(अ) जो 1 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 3 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना सं. 51/2012-सी.शु. (एडीडी) को निरस्त करना है, जिसे 3 जून, 2012 तक आगे बढ़ाया गया था, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, जिसके द्वारा अभिहित प्राधिकरण की सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्धृत या वहां से निर्यातित डिजिटलन आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 523(अ) जो 1 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय की 17 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना सं. 14/3/2015-डीजीएडी के अनुसरण में 14 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 28/2017-सी.शु. (एडीडी) में संशोधन करके बांग्लादेश, ताइवान, कोरिया जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और थाईलैंड से उद्धृत या वहां से निर्यातित हाइड्रोजनपराक्साइड के आयात पर संशोधित प्रतिपादन शुल्क लगाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 259(अ) जो 21 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और जापान से उद्धृत या वहां से निर्यातित रेसोरसिनोल के आयात पर तीन वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा.का.नि. 585(अ) जो 25 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेसर्स सांडोग हुआहुआ टायर कंपनी लिमिटेड (हूआहुआ) (उत्पादक) और गुआंगझोऊ एक्सीड इंडस्ट्रियल टेक्नोलोजी कंपनी लो (निर्यातक) या एचोको ट्रेडिंग लिमिटेड (निर्यातक) के माध्यम से निर्यातित चीन जनवादी गणराज्य से उद्धृत या वहां से निर्यातित नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक टायर्स का अनंतिम आकलन तब तक उपलब्ध कराना है जब तक कि इस संबंध में न्यू शिपर समीक्षा के अंतिम निष्कर्ष नहीं प्राप्त हो तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि. 357(अ) जो 10 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें यह निदेश दिया गया है कि उसमें उल्लिखित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची का संशोधन किया जाएगा तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा.का.नि. 475(अ) जो 23 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें यह निदेश दिया गया है कि उसमें उल्लिखित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची का संशोधन किया जाएगा तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा.का.नि. 577(अ) जो 20 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में अध्याय 7, 8, 28, 38, 72 और 73 में वस्तुओं पर टैरिफ दर बढ़ाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा.का.नि. 245(अ) जो 20 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) सा.का.नि. 620(अ) जो 9 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत हाईटेनेसिटी पालिस्टर यार्न के आयात पर, (जब तक इसे इससे पूर्व प्रतिसंहत , अधिक्रमित या संशोधित नहीं किया गया हो) 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा.का.नि. 645(अ) जो 13 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से 5 वर्ष की अवधि (जब तक इसे इससे पूर्व प्रतिसंहत , अधिक्रमित या संशोधित नहीं किया गया हो) के लिए प्रतिपादन शुल्क लगाने की तारीख अर्थात् 13 जुलाई, 2018 से 5 वर्ष की अवधि के लिए अभिहित प्राधिकारी, प्रतिपादन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय की सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों पर आधारित विनिर्दिष्ट दरों पर चीन जनवादी गणराज्य और थाइलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित ग्रिन्डिंग

मीडिया बॉल्स (फार्ज्ड ग्रिन्डिंग मीडिया वॉल्स को छोड़कर) के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) सा.का.नि. 646(अ) जो 13 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं. 36/2012-सी.शु. (एडीडी) को निरस्त किया गया है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9504/16/18]

(8) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2018 जो 16 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 456(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9505/16/18]

(9) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 306(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन कर दाताओं जिनका कुल कारोबार 1.5 करोड़ रुपये तक है, के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में तिमाही ब्यौरे भरने के लिए देय तारीख निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 307(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन कर दाताओं जिनका कुल कारोबार 1.5 करोड़ रुपये तक है, के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में तिमाही ब्यौरे भरने के लिए देय तारीख निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 308(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी भरने के लिए समयावधि बढ़ाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 309(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचित एजेंसियों द्वारा धारा 55 के तहत रिफन्ड के लिए आवेदन भरने की देय तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) केंद्रीय माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम 2018 जो 18 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि. 378(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 450(अ) जो 14 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआर-3बी में विवरण दायर करने के लिए विलंब शुल्क को माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 462(अ) जो 18 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अप्रैल, 2018 महीने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3बी भरने के लिए निर्धारित तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 503(अ) जो 28 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 83(3) के अंतर्गत जीएसटी वृत्तिकों के लिए परीक्षा

आयोजित करने हेतु प्राधिकरण के रूप में एनएसीआईएन को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 517(अ) जो 31 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2017 से जून, 2018 तक के महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी दायर करने के लिए देय तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) केंद्रीय माल और सेवा कर (5वां संशोधन) नियम 2018 जो 13 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 549(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 550(अ) जो 13 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन वस्तुओं को विनिर्दिष्ट करना है जिन्हें जब्ती के बाद समुचित अधिकारी द्वारा निपटाया जाना है।

(बारह) केंद्रीय माल और सेवा कर (6वां संशोधन) नियम 2018 जो 19 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 574(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 594(अ) जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धरा 9(4) के अधीन 30 सितंबर, 2018 तक कर संदाय से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) केंद्रीय माल और सेवा कर (7वां संशोधन) नियम, 2018 जो 6 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 611(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 504(अ) जो 28 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 4/2017-के.के. (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9506/16/18]

(10) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 595(अ) जो 29 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 (4) के अंतर्गत 30 सितंबर, 2018 तक कर संदाय से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 506(अ) जो 28 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 4/2017-एकीकृत (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9507/16/18]

(11) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 596(अ) जो 29 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7 (4) के अधीन 30 सितंबर, 2018 तक कर संदाय से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 470(अ) जो 21 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 315(अ) को 25.5.2018 से निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 471(अ) जो 21 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 319(अ) को 25.5.2018 से निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केंद्रीय माल और सेवा कर निधियों का निपटान (दूसरा संशोधन) नियम 2018 जो 4 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 524(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 315(अ) जो 31 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह अधिसूचित करना है कि कंसाइनमेंट के मूल्य के होते हुए किसी ई-वे बिल को तैयार करना अपेक्षित नहीं होगा जहां माल का संचालन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के भीतर प्रारंभ और समाप्त होता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 316(अ) जो 31 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह अधिसूचित करना है कि चाहे जो भी हो, कंसाइनमेंट मूल्य माल का संचालन चंडीगढ़ संघ

राज्यक्षेत्र के भीतर प्रारंभ और समाप्त होने पर ई-वे बिल तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 317(अ) जो 31 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह अधिसूचित करना है कि चाहे जो भी हो कंसाइनमेंट का मूल्य माल का संचलन दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र के भीतर प्रारंभ और समाप्त होने पर ई-वे बिल तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 318(अ) जो 31 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह अधिसूचित करना है कि चाहे जो भी हो कंसाइनमेंट का मूल्य माल का संचलन दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के भीतर प्रारंभ और समाप्त होने पर ई-वे बिल तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 319(अ) जो 31 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह अधिसूचित करना है कि चाहे जो भी हो कंसाइनमेंट मूल्य का माल संचलन लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के भीतर प्रारंभ और समाप्त होने पर ई-वे बिल तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 463(अ) जो 18 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 316(अ) को 25.5.2018 से निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 464(अ) जो 18 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 317(अ) को 25.5.2018 से निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 465(अ) जो 18 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 318(अ) को 25.5.2018 से निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 505(अ) जो 28 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 4/2017-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9508/16/18]

(12) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धरा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन आदेश, 2018 जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 186(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2018 जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 187(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 821(अ) जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यू-47700 और ब्यूटिरफेटानिल को "विनिर्मित औषधि" के रूप में घोषित किया गया है तथा 4-मिथाइलथिकैथिनोन, एथिनोल, पेंटेड्रान, इथाइल फेनिडेट, मेथियोप्रोपेमाइन, एमडीएमबी-सीएचएमआईसीए, 5 एफोएपीआईएनएसीए एक्सलआर-11 और कैथा एडुलिस (ड्राइ चाट अथवा मीरालीक्स ड्राइ चाट एडुलिस) तथा उसके लवणों और निर्मितियों को एनडीपीएस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित मनःप्रभावी पदार्थों की सूची में शामिल किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 822(अ) जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त संदर्भित स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थों की "अल्प मात्रा" और "वाणिज्यिक मात्रा" को अधिसूचित किया गया है ताकि प्रवर्तन एजेंसियों इस पदार्थ के अवैध विनिर्माण/प्रयोग/संचलन के विरुद्ध कार्रवाई कर सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 823(अ) जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पदार्थों, लवणों और निर्मितियों को विनिर्मित औषधियों के रूप में घोषित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9509/16/18]

(13) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 340(अ) जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके आशय 30.06.2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-के.उ.शु. 2.2.2018 की अधिसूचना सं. 10/2018

की अधिसूचना सं. 10/2018, के.उ.शु. 11/2018 के.उ.शु. 12/2018 12/2018 के.उ.शु. और 13/2018 के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 341(अ) जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2.2.2018 की अधिसूचना सं. 7/2018-के.उ.शु. तथा 8/2018 के.उ.शु. को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9510/16/18]

(14) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 491(अ) जो 25 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिसूचना सं. 89/2017-सी.शु. (एन.टी.) दिनांक 21 सितंबर, 2017 कतिपय संशोधन किये गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9511/16/18]

(15) आदेश सं. एफ. सं. 462/02/2018 सी.शु. (2018 का तदर्थ छूट आदेश सं. 01) दिनांक 6 जुलाई, 2018 जो यूनिसेफ के माध्यम से अधिप्राप्त न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (पीसीवी) के आयात पर सीमाशुल्क से छूट के लिए हरियाणा सरकार से प्राप्त अनुरोध के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9512/16/18]

(16) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (25वां संशोधन) नियम, 2017, जो 20 दिसंबर, 2017 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1527(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर विवरणी तैयारकर्ता (संशोधन) स्कीम 2018 जो 19 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सो को नो 44(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 18 फरवरी, 2018 की अधिसूचना सं. सो को नो 171(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2018 जो 19 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सो को नो 176 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सो को नो 221(अ) जो 13 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 22 जून 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 1660(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1517(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2018 जो 9 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 352(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2018 जो 24 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2087(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 2413 (अ) जो 13 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1790 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) आयकर (7वां संशोधन) नियम, 2018 जो 13 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 647(अ) में प्रकाशित हुए थे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9513/16/18]

(17) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत एशिया-प्रशांत व्यापार करार के अंतर्गत माल के मूल का निर्धारण नियम (पूर्व में बैंकाक करार के रूप में ज्ञात) संशोधन नियम, 2018 जो 30 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 603(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9514/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJJU): I beg to lay on the Table a copy of each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007:-

1. The Sashastra Seema Bal, Combatised Inspector (General Duty) Group 'B' Non-Gazetted post Recruitment (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.116 in Gazette of India dated 19th April, 2018.
2. The Sashastra Seema Bal, Combatised Communication Service (Group 'B' and 'C' posts) Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.128 in weekly Gazette of India dated 28th April, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9515/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, Gurgaon, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, Gurgaon, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9516/16/18]

(3) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9517/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRIES (SHRI C.R. CHAUDHARY): I beg to lay on the Table a copy of each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:-

1. The Sugar Price (Control) Order, 2018 published in Notification No. S.O.2345(E) in Gazette of India dated 7th June, 2018.
2. S.O.2346(E) published in Gazette of India dated 7th June, 2018 directing that no producer of sugar shall sell or agree to sell or otherwise dispose off or deliver or agree to deliver white sugar or refined sugar in the domestic market or remove white sugar or refined sugar from the godowns of the

factory in which it is produced for sale in the domestic market at a rate below rupees twenty-nine per kilogram till further orders.

3. S.O.2347(E) published in Gazette of India dated 7th June, 2018 directing that every producer producing sugar by vacuum pan process shall hold such quantity of white sugar or refined sugar at the end of each month as may be specified by the Central Government for each month.

[Placed in Library, See No. LT 9518/16/18]

12 04 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

(i) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Friday, the 9th March, 2018 had adopted the following Motion in regard to the Committee on Public Undertakings:-

“That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate seven Members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings for the term beginning on the 1st May, 2018 and ending on the 30th April, 2019, and do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, seven Members from amongst the members of the house to serve on the said Committee.”

2. I am further to inform the Lok Sabha that as a result of the election process initiated pursuant to the above Motion, six Members of Rajya Sabha were duly elected to the said Committee and their names were communicated to the Lok Sabha through a Message dated 22nd March, 2018 from the Rajya Sabha. As intimated therein, the election process to fill up the remaining one vacancy having been completed during the current Session, Shri C.M. Ramesh, Member, Rajya Sabha has been duly elected to be a member of the Committee.'

(ii) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Friday, the 9th March, 2018 had adopted the following Motion in regard to the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes:-

“That this House resolves that the Rajya Sabha do join the Committee of both the Houses on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the term beginning on the 1st May, 2018 and ending on the 30th April, 2019, and do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, ten Members from amongst the Members of the House to serve on the said Committee.”

2. I am further to inform the Lok Sabha that as a result of the election process initiated pursuant to the above Motion, seven Members of Rajya Sabha were duly elected to the said Committee and their names were communicated to the Lok Sabha through a Message dated 22nd March, 2018 from the Rajya Sabha. As intimated therein, the election process to fill up the remaining three vacancies having been completed during the current Session, the following three members of the Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:-

1. Shri Tiruchi Siva
 2. Shri Veer Singh
 3. Shrimati Wansuk Syiem'
-

12 05 hrs

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS

49th to 52nd Reports

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers:-

- (1) Forty-ninth Report on the subject 'Assam Gas Cracker Project' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals).
- (2) Fiftieth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Forty first Report (16th Lok Sabha) on the subject 'Freight Subsidy Policy' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Fertilizers).
- (3) Fifty-first Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Forty fifth Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants 2018-19' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Pharmaceuticals).
- (4) Fifty-second Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Forty fourth Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants 2018-19' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals).

12 05 ½ hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 21st Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2018-19), pertaining to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRIES (SHRI C.R. CHAUDHARY): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 21st Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2018-19), pertaining to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9519/16/18

12 06 hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 37th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare*

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज): महोदया, मैं पशुपालन डेयरी, मत्स्यपालन विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूँ।

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9520/16/18

12 07 hrs

**MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON CITIZENSHIP
(AMENDMENT) BILL, 2016 - EXTENSION OF TIME**

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:-

“कि यह सभा नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय को शीतकालीन सत्र, 2018 के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिवस तक बढ़ाती है।”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do extend time for presentation of the Report of the Joint Committee on The Citizenship (Amendment) Bill, 2016 up to the First day of the last week of the Winter Session, 2018.”

The motion was adopted.

12 07 ½ hrs

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS - (2018-2019)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): On behalf of Shri Piyush Goyal, I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Supplementary Demands for Grants - First Batch for 2018-19.

12 08 hrs

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS – (2015-2016)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): On behalf of Shri Piyush Goyal, I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Demands for Excess Grants for 2015-16.

माननीय अध्यक्ष : आप मेरी एक बात सुनिए, पहले आप बैठिए। मेरी समझ में नहीं आता आपके हाथ में भी हाउस के बिजनेस का पेपर रहता होगा, गौरव बेटा, वह जरा देखा करो। आपको जब मालूम है कि पूरा पेपर लेइंग होने के बाद मैं आपकी तरफ देखूंगी। पेपर लेइंग में यदि कुछ ऑब्जैक्शनेबल हो तो आपको अलाऊ करूंगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, आप बैठिए। ये सब कुछ जब आपको मालूम है, आपके नोटिसेज भी मेरी टेबल पर पड़े रहते हैं, मैं बाद में भी रोज एक घंटा सबको अलाऊ कर रही हूँ। मैं कभी विषयों पर बोलने के लिए मना नहीं कर रही हूँ तो भी आप चिल्लाकर अपना गला खराब करते हो और मुझे मजबूर करके मेरा गला खराब करते हो, आप ऐसा क्यों करते हो? आप भी सीनियर मैम्बर हो, मैं आपको भी बोल रही थी कि बैठो तो सही। पेपर लेइंग के बाद मैं आपकी तरफ देखूंगी, मैं आपको मना तो नहीं करती हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चाहने से क्या होता है, आप सब सीनियर लोग हो, आपके यहां बिजनेस भी पहुंचता है, नम्बर देखा करो कि पेपर लेइंग हुआ कि नहीं हुआ। आप क्यों चिल्लाते हो? अभी चंदूमाजरा जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह अच्छी बात बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): मैडम स्पीकर, आज शहीद ऊधम सिंह जी का शहीदी दिन है। यह सब जानते हैं कि शहीद ऊधम सिंह जी ने इस देश के ऑनर के लिए, देश की आजादी के

लिए शहादत दी और जलियांवाला बाग में जो दो हजार से अधिक निहत्थे भारतीयों को गोलियों से मारा गया, उसका बदला लंदन में जाकर माइकल उडायर को मारकर लिया।

यह बात सच है और इतिहासकार भी कहते हैं कि अगर शहीद उधम सिंह जी ने अंग्रेज के घर में जाकर उसे गोली न मारी होती तो हमारे देश को आजाद होने में 100 वर्ष और लग जाते। आज शहीद उधम सिंह जी का शहीदी दिवस है, इसलिए मैं यह चाहता हूं कि ऐसे महान शहीद के शहीदी दिवस पर सारा हाउस उनको रिसपेक्ट प्रदान करें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि शहीद उधम सिंह जी की एक फोटो पार्लियामेंट गैलरी में रिसपेक्टेबल जगह पर लगानी चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि अगले साल जलियां वाला बाग हत्याकांड के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, इसलिए माननीय गृह मंत्री जी अमृतसर गए थे और जलियां वाला बाग के गेट पर शहीद उधम सिंह जी का स्टेचू लगाकर आए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी तस्वीर को पार्लियामेंट हाउस में लगाया जाए और सारा हाउस मिलकर उन्हें रिसपेक्ट प्रदान करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री रवीन्द्र कुमार जेना, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री एम. बी. राजेश, श्री पी. के. बिजू, श्री इन्नोसेन्ट, डॉ. ए. सम्पत, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री नारणभाई काछड़िया, श्री धनंजय महाडीक, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री निशिकान्त दुबे, डॉ. संजय जायसवाल को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ सबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। हम सब इसमें सहयोगी बन रहे हैं। पूरा हाउस भी इसमें शामिल है। हम साल में एक बार सभी शहीदों को श्रद्धांजलि भी देते रहते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एन.आर.सी वाला विषय कल पूरा हो गया था। इस पर होम मिनिस्टर ने पूरा जवाब भी दिया था। उसके अलावा आपको कुछ और कहना है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं हल्ला नहीं करने दूंगी क्योंकि कल यह विषय हो गया था।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, please allow me one minute.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Not on NRC.

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Madam, yesterday we discussed in the House that 40 lakh names have been eliminated from the National Register of Citizens furnished in Assam. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: वह कल हो गया था We discussed it yesterday.

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: We had protested against it. The Chief Minister said that this is part of the 'divide and rule' policy of the Centre. This will lead to displacement of people. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yesterday, we had discussed it and I allowed all of you to say something and the Home Minister gave his reply. Every day, the same subject will not be there. Nothing will go on record.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान आप बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। आप कल नहीं थे इसलिए आज चिल्लाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता है, बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए तो। हां तो बोलिए ना।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान आप एक मिनट के लिए बैठिए। गौरव जी बैठ जाइए।

मैंने पहले ही निर्णय दे दिया है। कल इस विषय पर मैंने बोलने दिया था और यह विषय हो गया था।

Every day, it cannot be like that. Only Shri Md. Badaruddoza Khan's statement will go on record.

... (*Interruptions*)

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Speaker Madam, I have a very old demand of my constituency regarding railway line from Berhampore to Krishnanagar via Islampur, Domkal, Jalangi and Karimpur. Lakhs and lakhs of people are living there without any railway connectivity. ...

(*Interruptions*) They are losing jobs; they are losing opportunity of selling their vegetables; they are losing the benefit of doctors' services and patients are suffering. So, I once again I raise this demand in this Parliament. ... (*Interruptions*)

12 14 hrs

At this stage, Shri Gaurav Gogoi and Shri Adhir Ranjan Chowdhury came and stood on the floor near the Table.

I have met with the Minister also regarding the estimate of the work. The Minister told me, "I will give you railway line; give me land." There is huge problem of land in West Bengal. How can we give him land? ... (*Interruptions*) I would request the Minister to consult with the State Government and give us the new railway line in my area. People are suffering a lot as no railway connectivity is there. Madam, I request you to look into this matter and do something about this railway line.

HON. SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप प्लीज़ अपनी जगह पर जाइए, ऐसा नहीं होता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कल हाजिर नहीं थे, इसके लिए आज क्यों भुगतेंगे? ऐसा नहीं होता है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go to your seat now.

... (*Interruptions*)

12 15 hrs

(At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury went back to his seat.)

SHRI GEORGE BAKER (NOMINATED): Thank you Madam for giving me this opportunity to speak in the House. ... *(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष: आप साफ-साफ बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: खड़े जी, आपको हाऊस डिस्टर्ब करना हो तो करें, बाकी यह न्याय की बात नहीं है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

... *(Interruptions)* *

HON. SPEAKER: Only Shri George Baker's statement will go on record.

... *(Interruptions)*

SHRI GEORGE BAKER : Coming from Bengal, I should like to express my gratitude to the people of Bengal for the love and affection they have given me for the last 40 years. ... *(Interruptions)*

I feel it is my bounden duty to expose in this House those who are hiding behind the name of federalism and democracy and indulging in dictatorship in the State of West Bengal. ... *(Interruptions)* We are finding that invariably whenever there is any election, there is no democratic process at all; people are not allowed to go and file their nominations. ... *(Interruptions)* They are not even allowed to go

* Not recorded.

and vote. At the same time, these are the people who shout and scream about democracy. ... (*Interruptions*)

Are they being democratic by not allowing my voice? They are not being democratic. ... (*Interruptions*) The torture that has been going on all over Bengal and even in the hills of north Bengal, where people are living in terror and hiding in the jungles because they are being persecuted by the so-called law and order administration in the State of West Bengal. ... (*Interruptions*)

I would request Madam that the entire House remove blinkers from their eyes and put their attention on the state of the poor people of West Bengal who are suffering under a dictatorship. Thank you. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Nishikant Dubey, Shri Sharad Tripathi, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Dr. Manoj Rajoria, Shrimati Meenakashi Lekhi and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri George Baker.

... (*Interruptions*)

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Thank you, Speaker Madam. I would like to request you to bring the House to order. ... (*Interruptions*)

We have got one airport for every 70 lakh to 80 lakh population in our country. That is the situation in most parts of the country whereas in Odisha we have just one airport for our 4.2 crore people; the second one is in the pipeline. ... (*Interruptions*)

I have demanded on the floor of the House for the revival of the Rasgobindpur airport, which has been lying abandoned from World War-II. The Biju Patnaik airport in Odisha has registered the highest ever traffic growth of 39.4 per cent in 2017-18 vis-à-vis the comparative figure of the previous year. ...
(*Interruptions*)

Our hon. Chief Minister Shri Naveen Patnaik has written to the Civil Aviation Minister for a direct flight between Pune and Bhubaneswar. These are the two cities in the western part and eastern part of our country which are growing phenomenally in IT, education, etc. ... (*Interruptions*) It takes six to seven hours to go from Bhubaneswar to Pune. We can reach London in six hours but it takes six or seven hours to reach Pune! ... (*Interruptions*)

I would urge upon the Union Government for consideration of these two demands. There should be a direct flight immediately operated between Bhubaneswar and Pune. ... (*Interruptions*) There should also be revival of Rasgobindpur airport, which must happen immediately. Thank you. ...
(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Bhairon Prasad Mishra and Dr. Kulmani Samal are permitted to associate with the issue raised by Shri Rabindra Kumar Jena. ... (*Interruptions*)

12 19 hrs

(At this stage, Shri Gaurav Gogoi went back to his seat.)

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): अध्यक्ष महोदया, आज एक गंभीर विषय पर मैं अपनी बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। महोदया, इस देश का आम नागरिक अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को इकट्ठा कर के या तो वह बैंक पर भरोसा करता है या ग्रामीण स्तर पर डाक घरों पर भरोसा करता है। हमारे लोक सभा क्षेत्र के कानपुर नगर के विकास खण्ड विधूनू के पिपरगवाँ और वघारा गांवों के लोगों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को डाकघर में जमा किया था। वहाँ के डाक-पाल के द्वारा उनके पैसों के साथ बेईमानी की गई, उन पैसों की हेरा-फेरी की गई, उनकी पास बुकों पर चढ़ाया गया, उसमें फर्जी अंकित किया। इसकी जांच हुई और मेरे द्वारा वहाँ के सीपीएमजी से शिकायत की गई। तमाम बार प्रयास करने के बाद जाँच हुई। मैंने भारत सरकार के माननीय मंत्री जी से भी इस बारे में कहा। जाँच होने के बाद कुछ लोगों का पैसा अभी प्राप्त हुआ है। उस कर्मचारी को जेल जाना पड़ा, लेकिन अब वह जेल से निकल आया है। बहुत सारे लोगों का पैसा आज भी बाकी है। जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ तो लगातार इसको लेकर क्षेत्र में अशांति रहती है। चूंकि यह गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा है, जो डाकखाने में जमा है। आपसे अनुरोध है कि हस्तक्षेप कर उन गरीबों की गाढ़ी कमाई को दिलाने की कृपा करने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Shri Gaurav Gogoi, you wish to raise an important matter regarding flood in Assam.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, he wishes to change the subject matter... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप उनके वकील हो तो मुझे वकील पत्र दे दो। आप ऐसा क्यों करते हो? आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने असम की बाढ़ से सम्बन्धित विषय को उठाने के लिए शून्यकाल में दिया है। वे इस विषय पर बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): महोदया, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बाढ़ का जिक्र बाद में करूँगा। कल गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है, आपकी अनुमति से आज मैं उस विषय पर बोलना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: गृह मंत्री जी के बयान पर कुछ नहीं बोलेंगे। कल उनका बयान हो गया है और जो कुछ भी हुआ है, वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में हुआ है।

...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: महोदया, कल हम अपने क्षेत्र में थे...(व्यवधान) हमें बोलने दीजिए। लोक सभा में असम की आवाज नहीं आएगी...(व्यवधान) हमें इस विषय पर बोलने दीजिए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: असम की आवाज आएगी। आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब आप क्यों बोल रहे हैं? मैंने उन्हें बोलने का मौका दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप शांति से बोलिए। इस तरह से गड़बड़ शुरू हो जाती है। आप ऐसा मत कीजिए। आप एक सेकेंड में शांति से बात उठाइए। आप असम से हो, इसलिए मैंने आपको मौका दिया है। अगर आपको फ्लड पर नहीं बोलना है तो... * मुझे क्या करना है।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं होता है। आप जल्दी बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगर ऐसे गड़बड़ करेंगे तो बाढ़ पर बोलने का समय नहीं बचेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं उन्हें समझा रही हूँ। आप मत बोलिए। मैं उसको ठीक से समझा रही हूँ।

श्री गौरव गोगोई: महोदया, बाढ़ पर बोलने का समय हमने पिछले हफ्ते माँगा था और इस हफ्ते भी माँगा है।

माननीय अध्यक्ष: हाँ, आप बोलिए।

श्री गौरव गोगोई : महोदया, यह बहुत संवेदनशील मामला है। सबसे पहले तो हम अमन और चैन की माँग करते हैं। हमने कल गृह मंत्री जी और राज्य सरकार के मुख्य मंत्री जी का बयान देखा है। ऐसा लगता है कि एक हजार दो सौ करोड़ रुपये खर्च करने के पश्चात् और पाँच वर्ष के सरकारी कर्मचारियों के परिश्रम के पश्चात् आज भी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार इस एन.आर.सी. अपडेशन एक्सर्साइज के द्वारा यह नहीं कह पा रही हैं कि वास्तविक रूप में असम में विदेशी घुसपैठ की संख्या क्या है। वे आज भी यह नहीं बता पा रहे हैं। कल जो लिस्ट निकली है, जो 40 लाख लोग उस लिस्ट में नहीं हैं, क्या ये सारे विदेशी घुसपैठिए हैं? ऐसा उन्होंने नहीं कहा है।

माननीय अध्यक्ष: ऐसा उन्होंने नहीं कहा है।

...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : महोदया, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। गृह मंत्री जी ने यह कहा है कि जिन 40 लाख लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं आया है, इनको भयभीत होने की जरूरत नहीं है।...(व्यवधान) ये अपने क्लेम्स देंगे।...(व्यवधान) इनके पास समय है।...(व्यवधान) इसका मतलब यह है कि आज भी

सरकार को पता है कि इन 40 लाख लोगों में ऐसे भी लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं। इसीलिए उनको क्लेम देने का अवसर मिल रहा है, इसीलिए उनको समय देने का अवसर मिल रहा है। क्लेम और समय देने का अवसर किसी विदेशी को नहीं मिलना चाहिए। इस बात से हम भी सहमत हैं। इसका मतलब है कि इनसे गलती हुई है और यह इन्हें पता है।

माननीय अध्यक्ष: इनसे गलती नहीं हुई है। उन्हें फिर से समय मिलेगा।

श्री गौरव गोगोई: महोदया, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उनमें बच्चे हैं, जिनका नाम लिस्ट से एक्स्क्लूड है।

माननीय अध्यक्ष: उस सबको ये देख लेंगे। आप डिटेल में मत बोलिए।

श्री गौरव गोगोई: महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज वे हिन्दू-बंगाली परिवार जो प्री-1971 से भारत के पार्ट हैं, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है।...(व्यवधान) एक परिवार में पाँच बेटे हैं, उनमें से एक बेटे का नाम लिस्ट में नहीं आया है।...(व्यवधान) कार्बी-आंगलोंग में ट्राइबल लोग हैं, गोरखा लोग हैं, गरीबी और अशिक्षित होने के कारण आज वे लोग इस लिस्ट में नहीं हैं।
...(व्यवधान)

महोदया, सरकार की एप्रोच बहुत ही कमजोर, कैजुअल और इनइफेक्टिव रही है।...(व्यवधान)
कल जो यह गलती हुई है, सरकार इसकी जिम्मेदारी खुद न लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रही है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप ऐसे गलत बयानी मत कीजिए। अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: महोदया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब आप फ्लड पर बोलिए। You should now speak only on flood.

...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: महोदया, हमारी माँग यह है कि ये जो 40 लाख लोग रह गए हैं, इनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हम जूडिशियल अथॉरिटी की डिमांड करते हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री राजीव सातव और डॉ.कुलमणि सामल जी को श्री गौरव गोगोई द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपकी बात हो गई है। अब ताम्रध्वज साहू जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

...(Interruptions)... *

माननीय अध्यक्ष: ये एलीगेशन लगे हों तो मैं उसे रिकॉर्ड में नहीं जाने दूँगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इसमें हमारा-तुम्हारा कुछ नहीं है। अधीर रंजन जी, वह आपका स्टेट नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग): महोदया, पल्स ग्रुप ऑफ कम्पनीज भिन्न-भिन्न योजनाओं को लेकर वर्ष 1983 से देश के हर क्षेत्र में कारोबार कर रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी वर्ष 1996 में वह PACL के नाम से रियल स्टेट (भूमि क्रय-विक्रय) योजना चला रही थी एवं अपनी योजनानुसार निवेशकों का पैसा समय पर वापस कर रही थी। इसमें हर क्षेत्र के लोग विश्वास के साथ निवेश कर रहे थे, लेकिन 22 अगस्त, 2014 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने कम्पनी के सारे बैंक एकाउंट सीज कर

* Not recorded.

कम्पनी के सारे सम्पत्तियों के दस्तावेज जब्त कर लेन-देन बंद करवा दिया, जिससे ग्राहकों को पैसा मिलना बंद हो गया।

पी.ए.सी.एल. कम्पनी ने अपने पक्ष को लेकर सेबी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 02 फरवरी, 2016 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री आर. एम. लोढ़ा साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की एवं इसी कमेटी की निगरानी में कम्पनी की सारी प्रॉपर्टीज को नीलाम कर कम्पनी के सारे निवेशकों का पैसा वापस करने का आदेश सेबी को सुनाया। परन्तु, आज तक किसी को भी एक रुपया नहीं मिला और यह कब तक मिलेगा, न ही इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है जबकि जितनी कम्पनी की देनदारी है, उससे अधिक की सम्पत्ति जब्त कर रखी गयी है। सेबी द्वारा व सरकार के द्वारा निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे निवेशकों में जबर्दस्त आक्रोश व असंतोष है। उनकी पारिवारिक स्थिति भी पैसा न मिलने के कारण ठीक नहीं है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से माँग करता हूँ कि तत्काल निवेशकों का पैसा दिलाने की कार्रवाई करें।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं श्री राजीव सातव को श्री ताम्रध्वज साहू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं इस सदन को सूचित करना चाहती हूँ कि मेरा संसदीय क्षेत्र शिवहर एक नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है। यह क्षेत्र नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है, जहां से वामपंथी एवं माओवादी आकर नक्सलवादी गतिविधियां करते हैं। नक्सलवाद से प्रभावित रहने के कारण शिवहर में जन सुविधा का अभाव रहा है और वहां विकास को कोई विशेष गति नहीं मिल पाई है। आज भी शिवहर जिला शिक्षा की दृष्टि से काफी

नीचे है। गांव में सड़क सम्पर्क मार्ग नहीं बने हैं। सिंचाई साधनों एवं पुलों की संख्या वहां की आवश्यकता के हिसाब से काफी कम है। कौशल विकास के कई कार्यक्रम नक्सलवाद के कारण प्रभावित हैं।

मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर को नक्सलवाद प्रभावित होने के कारण विशेष केन्द्रीय सहायता मिल रही थी। किन्तु, केन्द्र सरकार के माध्यम से 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' की संरचना की गयी, जो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए बनाई गई थी। इसमें 35 जिले शामिल हैं, जिनमें बिहार के गया, नवादा, जमुई, औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर जिले भी शामिल हैं। किन्तु न जाने उसमें से शिवहर जिले को क्यों काट दिया गया, जबकि आज भी शिवहर जिला नक्सलवाद से प्रभावित है एवं विशेष केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के द्वारा वहां सुरक्षा एवं विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार द्वारा घोषित 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' में मेरे संसदीय क्षेत्र को न्याय नहीं मिला है। शिवहर की सुरक्षा एवं विकास के लिए जो योजनाएं चल रही थीं, अब वे सभी प्रभावित होंगी, जिससे बिहार का अत्यंत पिछड़ा जिला नक्सलवाद के हाथों असुरक्षित हो जाएगा।

अतः सदन के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि नक्सलवाद से प्रभावित जिला शिवहर को गृह मंत्रालय द्वारा 'वामपंथ एवं उग्रवाद पीड़ित जिले' में शामिल किया जाए, जिससे पूर्व की भाँति शिवहर जिले को विशेष केन्द्रीय सहायता के स्थान पर नई घोषित योजनाएं, जैसे 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' के तहत सुरक्षा एवं विकास संबंधी लाभ पहुंच सके।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं डॉ. कुलमणि सामल को श्रीमती रमा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): अध्यक्ष महोदया, मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र जालौन में जालौन, गरौठा, भोगनीपुर के अन्तर्गत, जो विशेष तौर से बुंदेलखण्ड के अन्तर्गत आता है, वहां भारी बारिश के कारण जो कच्चे एवं कमजोर मकान थे, वे गिर गए हैं। वहां हजारों एकड़ फसल के जलमग्न होने के

कारण खरीफ की फसल नष्ट हो गयी है। वहां कई सड़कें उखड़ चुकी हैं, जिससे वहां का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वहां बारिश अभी भी हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जिन गरीबों के मकान गिर गए हैं, 'प्रधान मंत्री आवास योजना' के नियमों में शिथिलता बरतते हुए उसके अन्तर्गत उन गरीबों के मकान बनवाए जाएं। साथ ही साथ, जिन किसानों की खरीफ की फसल, जैसे ज्वार, बाजरा, तिल और मूंग जैसी फसलें, नष्ट हो गयी हैं, उसका सर्वे करा कर उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं डॉ. मनोज राजोरिया को श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर सम्माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने का मुझे अवसर दिया है। यह मॉनसून सत्र है और देश में मॉनसून की ऋतु भी है। जैसा कि सम्मानित सदस्य आपको इससे अवगत करा चुके हैं और आपने खुद भी इस विषय के महत्व को समझते हुए कहा कि अगर बाढ़ देश के तमाम राज्यों में आई है तो वह विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने उसी विषय पर मुझे भी बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

आज देश के कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा गुजरात में बाढ़ की स्थिति है।

माननीय अध्यक्ष: आप पहले भी इस बात को बोल चुके हैं। अब दोबारा क्यों बोल रहे हैं?

श्री जगदम्बिका पाल: महोदया, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी बारिश-बाढ़ के कारण पिछले दिनों कम से कम 70 लोगों की मृत्यु हो गई है। वहाँ तमाम जन-धन की हानि हुई है और तमाम घर गिर गए हैं। उनके पुनर्वास के लिए आवास दिया जाए। वहाँ जिन लोगों ने बारिश-बाढ़ में अपनी लाइफ खो दी है, उनको इस हेतुक सहायता दी जाए।

इसलिए, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, चूँकि यह राज्य का विषय है। वहाँ एनडीआरएफ की टीम गई है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश तथा बिहार के लोग यमुना के खादर इलाके में रह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उनको सहायता दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. कुलमणि सामल, श्री शरद त्रिपाठी तथा कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जुगल किशोर (जम्मू): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से जम्मू-कश्मीर का एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ। जम्मू-कश्मीर में हमारी जो माँ-बहनें आंगनवाड़ी वर्कर्स तथा हेल्पर्स हैं, वे कई महीनों से हड़ताल पर बैठी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आंगनवाड़ी वर्कर्स तथा हेल्पर्स अपने घर-परिवार की तरह हमारे राज्य में कई जगहों पर सेवा कर रही हैं। वे शिशुओं को पढ़ाने के साथ-साथ उनको खाने-पिलाने का भी ख्याल रखती हैं।

महोदया, यह बड़ी विडंबना की बात है कि इनसे सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर के नाते ही काम नहीं लिया जाता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स तथा हेल्पर्स केवल आंगनवाड़ी केन्द्र ही नहीं चलाती हैं, बल्कि विशेषतौर पर जम्मू-कश्मीर में वे पल्स पोलियो, बच्चों को दवाई पिलाने का काम, चुनाव ड्यूटी, सर्वे,

आधार कार्ड तथा समाज कल्याण विभाग की कई अन्य योजनाओं में अपनी सेवाएं देती हैं। लेकिन इनको जो मानदेय मिलता है, वह पर्याप्त नहीं है और उससे वे अपना घर-परिवार चलाने में सक्षम नहीं हैं। मेरा इतना ही प्रार्थना है कि केन्द्र सरकार के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सरकार को कहा जाए कि इनकी हड़ताल को समाप्त किया जाए और इनका मानदेय बढ़ाया जाए। इनको अपना घर-परिवार चलाने के मुताबिक मानदेय मिले। ये वे माँ-बहनें हैं जो हमारे बच्चों का ख्याल रख रही हैं। वे काफी देर से हड़ताल पर बैठी हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. मनोज राजोरिया तथा श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री जुगल किशोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Madam Speaker, I would like to bring to your notice two important issues of my Constituency pertaining to the Ministry of Defence. I have been following up these issues with the Ministry of Defence since my first election to the Lok Sabha in the year 2004.

Dighi Magazine Depot is established by Ammunition Factory, Khadaki, District Pune. The Notification by the Ministry of Defence in this regard states that the area within the radius of 1145 metres of the Dighi Magazine Depot is a Restricted Area, that is, it is a Red Zone. It has imposed a ban on the usage of land falling within the radius of 1145 metres. Such a move by the Ministry of Defence has led to the issues that have bearing on the occupants in the said land. There are more than 50,000 houses in Dighi, Bhosari, Moshi and Charholi Villages of Pune District that are affected by this decision of the Ministry of Defence. It is pertinent to mention that in a meeting in the year 2005 with Pimpri Chinchwad Municipal Corporation

Authorities, District Collectorate Officials and Defence Officials, a draft agreement was reached upon. It stated that the Outer Safety Distance would be reduced to 610 metres. Subsequently, the draft agreement was sent to the Ministry of Defence for their approval by the AFK Kirkee. But no action was taken on the revised draft agreement.

Similarly, the Red Zone issues of Rupinagar, Talawade and DOD Dehu Road are of vital importance. The Central Government has sanctioned for that particular area an SEZ, IT park and BSUP houses by the Central Government. The Central Government had taken permission to build the houses and the houses have already been built. But according to the rules and regulations, those houses, industrial township and MIDC are illegal.

So I would like to request the hon. Minister and the Ministry to reduce the Outer Safety Distance to 500 metres for both the red zones because more than one lakh to 1.5 lakh houses have already been built. No government facilities are available there because those houses are treated as illegal and they are in the Red Zone.

This is a very important matter and I have been following it up since last 14 years. The Government should look into this matter seriously.

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल तथा श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. रघु शर्मा (अजमेर): अध्यक्ष महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध हिन्दू धार्मिक स्थल पुष्कर में एक पवित्र सरोवर है। इन दिनों पुष्कर के उस सरोवर की जो दुर्दशा चल रही है, उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

महोदया, आज इस सरोवर के अंदर सीवरेज का पानी आ रहा है, गंदे नालों का पानी आ रहा है, बरसाती पानी आ रहा है। वहाँ हजारों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं।

राजनीति करने के लिए जिन लोगों ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खेला है, उनकी सरकार यहां भी है, उनकी सरकार राजस्थान में भी है। नगर निगम में भी वे बैठे हैं...(व्यवधान) आप देखिए, वहां आवारा जानवर हैं...(व्यवधान) उस सरोवर के अंदर खाने-पीने की चीजें डालने के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है...(व्यवधान) लेकिन वहां खाने-पीने की चीजें डाली जा रही हैं, अपशिष्ट डाला जा रहा है...(व्यवधान) खुले आम यह सामग्री बेची जा रही है...(व्यवधान) यह नियम बना हुआ है कि 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण का काम नहीं होगा...(व्यवधान) वहां धड़ल्ले से सारे नियमों को ताक पर रखकर निर्माण के काम हो रहे हैं।...(व्यवधान)

मैडम, यह सावन का महीना चल रहा है। वहां कांवड़िये आते हैं और वे आचमन के लिए पीने का पानी लेकर जाते जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहां स्नान करने से आदमी पवित्र होता है। आज वहां की दुर्दशा को देखकर आम आदमी में आक्रोश व्याप्त है। जो प्रसाद योजना है, इसके अंतर्गत भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय और अजमेर विकास प्राधिकरण, दोनों ने मिलकर जो वहां काम किए हैं, वहां पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि यह जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे रोके।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप उसकी सफाई की बात करिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघु शर्मा: महोदया, आना सागर झील अजमेर का हृदय है।

माननीय अध्यक्ष: साफ-सफाई हो, ऐसी बात करिए।

डॉ. रघु शर्मा: महोदया, वहां सीवरेज का पानी आ रहा है। इसे स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है। प्रधान मंत्री जी ने अजमेर को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया है। 1947 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी के नाम पर दिए गए हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए। श्री एंटो एन्टोनी।

... (Interruptions)... *

माननीय अध्यक्ष: श्री रवीन्द्र कुमार जेना और डॉ. कुलमणि सामल को डॉ. रघु शर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका भाषण इसलिए रोका, आप भी समझिए। आप नए-नए सदस्य हैं। आप मांग करिए पुष्कर की, सफाई की, मैंने इसलिए आपको विषय उठाने दिया। वह आप बोल नहीं रहे हैं। इधर-उधर जमाने भर की बात कर रहे हैं, तो भी आपको बोलने दिया। अब ऐसी बात नहीं होती है। तालाब की सफाई चाहते हैं, अच्छी बात चाहते हैं, इसलिए इतनी देर बोलने दिया।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Madam, I would like to request the Government to re-start the *Swavlamban* Health Insurance Scheme which was launched to provide affordable health insurance for persons with disabilities. The Trust Fund for Empowerment of Persons with Disabilities under the Department of Empowerment of People with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment in collaboration with the New India Assurance Company Limited initiated this Scheme in 2015.

The Scheme of medical assistance up to Rs. 2,00,000 (Rupees two lakh) per annum for persons with disabilities, their spouses and up to two kids. Those persons with disabilities, whose family income was less than Rs. 3,00,000/- per annum, were eligible to subscribe to this Scheme.

According to the Memorandum of Understanding which was signed between the Trust Fund for Empowerment of Persons with Disabilities and the New India Assurance Company on 21st September, 2015, the Government would bear 90 per cent of the premium and the rest of the 10 per cent of the amount would be collected from policyholder of the Scheme. Thereafter, the Government officially launched the Scheme with much fanfare and publicity. The New India Assurance Company started to enrol people in the Scheme. However, it is learnt that the Government has stopped the payment of the assured premium, as a result, the *Swavlamban* Health Insurance Scheme has become non-functional for the last

several months and the subscribers are not getting the financial assistance under the Scheme.

It is a fact that most of the policyholders of the *Swavlamban* Health Scheme are still unaware of the roll back of the Scheme. They get this information only after they get admitted to hospitals. They virtually are on the verge of collapse since the policyholders under this Scheme are financially weak and seek medical assistance with a firm believe that their hospital expenses would be covered by this Scheme. Therefore, the unilateral withdrawal of the Government from the *Swavlamban* Health Insurance Scheme comes as a blow to the disabled people with a weak economic background. This is an injustice to them. Therefore, I request the Government to kindly restart the *Swavlamban* Health Insurance Scheme.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.के.बिजू, श्री इन्नोसेन्ट, डॉ. ए. सम्पत, श्री एम. बी. राजेश, डॉ. कुलमणि सामल, श्री रवीन्द्र कुमार जेना और एडवोकेट जोएस जॉर्ज को श्री एंटो एन्टोनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री राहुल कस्वां, उपस्थित नहीं।

SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM): Madam, the growth of a country depends on the availability of energy as it is the very vital source for financial growth.

Knowing this, our most honourable leader, Amma, had announced an amount of Rs. 80 crore for upgrading and modernising Kodayar Hydel Power Station and urged the Prime Minister to speed up the process of Cheyyur Ultra Mega Power Project in my Parliamentary constituency, Kancheepuram. Tamil Nadu will get non-stop power supply as Cheyyur Power Project will generate 4000 megawatt of power. For every two months, free power for textile sector and free electricity to farmers form part of the people welfare schemes announced by honourable Amma.

The Central Government had announced that Cheyyur Ultra Mega Power Project will be included in 2017-22 Electricity Plan but till date, there is delay of this project.

Hence, I request the Central Government and the Ministry of Power to sanction funds for the power projects in Tamil Nadu and also to allocate funds for the power generated in Kudankulam Power Plant to Tamil Nadu.

माननीय अध्यक्ष: श्री पी आर सुन्दरम, डॉ जे जयवर्धन और श्रीमती वी सत्यबामा को श्रीमती के. मरगथम द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): आदरणीय अध्यक्ष जी, सन 1985 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नवोदय विद्यालय का संचालन शुरू हुआ। आज देश में लगभग 600 से ऊपर नवोदय विद्यालय संचालित हो रहा है। आज देश में ..(व्यवधान) ग्रामीण क्षेत्र के एक लाख से ऊपर और पन्द्रह लाख से ज्यादा देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी, टीचर्स, आर्मी और सभी क्षेत्रों में वहां के पढ़ने वाले बच्चे सेवा दे रहे हैं। आज लगभग बीस

हजार टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ यहां कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जहां के अस्सी प्रतिशत बच्चे इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं और आवासीय विद्यालय है। वहां पढ़ाने वाले टीचर्स और नॉन-टीचिंग स्टाफ हैं, उनको सीसीएस पेंशन योजना, 1972 का लाभ नहीं मिल रहा है जबकि केन्द्रीय विद्यालय भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय से ही संचालित हो रहा है, वहां यह स्कीम लागू है, जिसके कारण वहां के कर्मचारियों का हरासमेंट हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रकाश जावडेकर जी और माननीय वित्त मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि इस योजना का लाभ केन्द्रीय विद्यालय के स्टाफ को भी दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री रवीन्द्र कुमार जेना, डॉ कुलमणि सामल, श्री शरद त्रिपाठी और भैरों प्रसाद मिश्र को श्री लखन लाल साहू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): अध्यक्ष महोदया, उत्तराखंड का पूरा हिमाचल क्षेत्र जैव-विविधता का बहुत बड़ा केन्द्र है। यह पूरा क्षेत्र जड़ी-बूटी के उत्पादन वानिकी और उद्यानीकीकरण के लिए विश्व में विख्यात है। इस क्षेत्र में संकर किस्म के बीजों का उत्पादन हो ताकि पूरे देश में बीज पहुंचाया जा सके। इस हिमालय के लिए एक अलग से रणनीति बननी चाहिए ताकि जड़ी-बूटियां सारे विश्व की व्याधियों को दूर कर सकें। आपको मालूम है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी श्रीलंका से यहीं से जीवनदायिनी संजीवनी बूटी लेकर गए थे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हरिद्वार में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वानिकी, उद्यानीकी और गन्ना उत्पादन का शोध केन्द्र सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उन्नत किस्म के बीज, फल और सब्जी का प्रति हैक्टेयर उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से एक ठोस योजना बनाई जाए ताकि वहां की गरीबी और बेरोजगारी दूर हो। हिमालय में कृषि, उद्यानीकी, वानिकी, पुष्पोत्पादन, गन्ना उत्पादन, विपणन, नर्सरी हों, जिसमें उच्च किस्म के बीजों का वितरण हो, विभिन्न पहलों पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए, विपणन की अलग व्यवस्था की जाए। निर्यात के लिए क्षमता बढ़ाई जाए ताकि पूरी दुनिया की व्याधि को उत्तराखंड और हिमालय दूर कर सके।

माननीय अध्यक्ष: श्री डॉ किरीट पी सोलंकी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री नारणभाई काछड़िया को डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI R. DHYUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): Madam Speaker, I would like to raise an important issue regarding vacancies in teaching positions in higher education as well as student-teacher ratio.

According to an All-India Higher Education survey, number of teachers involved in higher education is declining. From 15.2 lakh teachers permanently engaged in higher education in 2015-16, the number has come down to 13.7 lakhs. Especially in Central Universities, as much as 35 per cent of the teaching posts are vacant.

Regarding teacher-student ratio, the global average is that about 30 students got one teacher. In case of United States of America, 14 students got one teacher; in case of China, 16 students got 1 teacher; in case of Brazil, 19 students got 1 teacher; and in case of Russia, 20 students got one teacher. Madam, a high student-teacher ratio means that the teacher is not able to concentrate on the students and so, affecting their educational development. So, I urge upon the Union Minister of Human Resource Development to fill up the vacant posts as early as possible so that the educational development of students is not affected.

HON. SPEAKER: Shri Adv. Joice George, Dr. P.K. Biju, Dr. A. Sampath, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Innocent and Shri Rabindra Kumar Jena are permitted to associate with the issue raised by Shri R. Dhruvanarayana.

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं दक्षिण राजस्थान के उदयपुर से आता हूँ। मैं वहाँ रहने वाले लोगों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा खोले जाने के मुद्दे को उठाना चाहता हूँ।

उदयपुर जिला पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उदयपुर जिले में 19 लोक पंचायत समितियाँ, 544 ग्राम पंचायत हैं और संभाग मुख्यालय हैं। टीएसपी क्षेत्र घोषित है, शैड्यूल 5 में आता है। इस जिले की लगभग 33 लाख जनसंख्या है। यहाँ राष्ट्रीयकृत बैंकों की 182 शाखाएँ हैं जो कि जनसंख्या के हिसाब से कम पड़ती हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि पाटिया, कनबई खैरवाड़ा ब्लॉक, मसारो की ओबरी, मुंगाड़ा और दरियावर ब्लॉक और सुदूर गांव कोटड़ा और गोगूदा में ब्रांच खोली जाए।

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Arjun Lal Meena.

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल): माननीय अध्यक्ष जी, झारखंड सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2001 के कई ऐसे प्रावधानों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इससे जनजातीय लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसमें पंचायत की 70 प्रतिशत की सहमति के स्थान पर केवल परामर्श लिए जाने, न्यायालय में जाने की मनाही एवं सामाजिक मूल्यांकन अध्ययन द्वारा इस कानून का जो प्रभाव पड़ रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

ऐसा कानून सिर्फ झारखंड में है और किसी राज्य में नहीं है, जबकि भूमि अधिग्रहण 2013 केंद्र सरकार द्वारा लागू है। झारखंड में भूमि अधिग्रहण अधिनियम का संविधान में पांचवीं अनुसूची के अनुसार

पालन होता है। झारखंड में पेसा कानून को भी पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। झारखंड सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम एवं वन अधिनियमों से झारखंड के करोड़ों आदिवासियों और मूलवासियों का गला घोटने एवं मुट्ठी भर पूंजीपतियों को और धनवान बनाने का रास्ता बनाने के लिए मनमाने ढंग से लाया जा रहा है। इसके कारण झारखंड राज्य के आदिवासी और मूलवासी काफी आक्रोषित हैं। अनेक योजनाओं के नाम पर आदिवासियों और मूलवासियों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है। योजनाओं के नाम पर लोगों को विस्थापित किया जा रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के मूल प्रावधानों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए और सीएनटी एसपीटी एक्ट और पेसा एक्ट की रक्षा की जाए।

HON. SPEAKER: Shri Jai Prakash Narayan Yadav is permitted to associate with the issue raised by Shri Vijay Kumar Hansdak.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, this is one of the important issues and we have moved an Adjournment Motion also. In a bizarre incident, the TRAI Chairman had put out a challenge by making his AADHAR Card public. The hackers are claiming accessing his private information including his phone number, e-mail id etc. This has opened up a serious concern and apprehension among the people regarding the safety and security on the personal information privacy.

Similarly, now, the reports have pointed out that the bank details of thousands of citizens in the country have been compromised through fake banking applications. The hackers have leaked the bank account details through the fake applications of banks like ICICI, HDFC, RBL, etc. It has been reported that the required details for financial transactions, like Card Number, CVV Number, Expiry

date, Login Username and Password were available in public. This is a great threat to the financial security and privacy of the citizens in the country.

After putting his number public, users on Twitter were able to dig up the TRAI Chairman's mobile number(s), Gmail and Yahoo addresses, physical address, date of birth and even the frequent flyer number. Multiple bank account numbers have been made public. They have also been able to identify that he uses an iPhone.

Madam, ethical hackers claimed to have the bank account details of TRAI Chairman and they posted it on Twitter. Some users also posted screenshots of sending one rupee to his account through *Aadhaar*-enabled payment service apps. The ability to send money to a person without his consent could expose someone to blackmail, money laundering and other dangers.

However, TRAI Chairman has claimed that hackers could not do any harm to him by getting his *Aadhaar* number and all the information accessed to by hackers was already in public domain. What is clear from this challenge and response is that if the privacy of citizens and their personal information are not secure, it could lead to financial frauds and mental torture. There is a great chance to misuse it if the *Aadhaar* number got revealed. Already the Supreme Court is looking into the use of *Aadhaar* number.

The common citizen, who does not have more knowledge about technology and authentication, may easily be trapped by revealing his biometric identify

number if it is not secured. One could also be monitored and put under surveillance by robbers.

So, I request the Government to take immediate steps to stop such leakages, because this has become an era of data leakage. But the Government is keeping silent. Therefore, the Government should come forward and take strong against such misuse of personal data. That is the need of the hour.

माननीय अध्यक्ष: श्री एम.बी.राजेश, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, श्री पी.के.बिजू, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, डॉ. ए.सम्पत, श्री इन्नोसेन्ट और श्री राजेश रंजन को श्री के. सी. वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राहुल कर्वा (चुरु): अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा जो नए लाइनें बिछाने का जो कार्य किया जाता है उसकी पॉलिसी की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले दस सालों में राजस्थान के अंदर मात्र दो नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं। भारत सरकार की जो पॉलिसी है, जिसके तहत नई रेल लाइनें बिछाई जाती हैं। मेरे क्षेत्र के अंदर पिछले तीन सालों में छः नए सर्वेयर की स्वीकृति प्रदान की गई। हर सर्वे के पश्चात् यह मालूम होता है कि इस सर्वे का आर.ओ.आई. निगेटिव आई है। राजस्थान के अंदर माल भाड़े की व्यवस्था नहीं है। जिस पॉलिसी के तहत आर.ओ.आई निकाली जाती है, उसके अंदर माल भाड़ा और पैसेंजर भाड़े को मिलाकर निकालते हैं। राजस्थान के अंदर माल भाड़ा नहीं है, तो क्या हमारे क्षेत्र के लोगों को ट्रेनों की सुविधा मिलेगी या नहीं? ऐसा ही एक सर्वे साजनपुर से तारा नगर रेल लाइन का हुआ था। तारा नगर एक तहसील हेडक्वार्टर है, परन्तु आज तक वहां रेल लाइन नहीं पहुंची। पिछली कई सरकारों ने उस पर राजनीति करने की कोशिश की, पर आज तक वहां रेल लाइन नहीं पहुंची। मैडम, आपसे मेरा अनुरोध है कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नई नीति बनाई जाए, जिसके अंदर हम तहसील हेडक्वार्टर्स को जोड़ने का काम करें। नोखा-सीकर रेलवे लाइन की घोषण दस

साल पहले की गयी, परन्तु आज तक वहां रेल लाइन नहीं बिछी। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि सरकार तारा नगर जैसे महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर्स के ऊपर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य करे और राजस्थान के लिए नई नीति का प्रावधान रखा जाए, ताकि लोगों को रेलवे की सुविधा मिल सके।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. मनोज राजोरिया और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री राहुल कस्वां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

PROF. SADHU SINGH (FARIDKOT): Madam Speaker, I thank you for giving me time to speak on a very important issue which is being faced by the teachers in Punjab.

Madam, teachers are the creators and they are the *srijaks* of our democratic country and our young people. But the treatment they are getting in schools is not up to the mark.

हम जब स्कूलों में जाते हैं, वहां स्कूलों में कमरे नहीं हैं, महिलाओं के लिए बाथरूम नहीं हैं, टिचर्स के बैठने के लिए प्रावधान नहीं है। ऐसे में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे बच्चे पढ़कर बहुत सचेत होंगे और हमारे बच्चे देश के बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे। जब मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाता हूँ, under MPLAD Scheme, we get a meagre amount. But from this meagre amount, we are supposed to construct school buildings, we are supposed to construct classrooms etc. This is not the proper way of importing education to our children. So, through this House, I would like to request you to send my message to the Government.

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को प्रो. साधु सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया है।

अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2014-15 में छोटे शहरों को बड़े शहरों से एयर कनेक्टिविटी देने के लिए महत्वपूर्ण 'उडान' योजना बनाई थी। मैं सरकार का आभारी हूँ कि जब से मैं चुनाव जीता था, वर्ष 2014 से मैंने चार बार यहां मांग की थी कि कोल्हापुर को मुंबई से जोड़ा जाए। 17 अप्रैल, 2018 को यह सर्विस शुरू हुई और दो महीने अच्छे से चली। हम उसे दो 90 प्रतिशत बुकिंग देते थे और अगले तीन महीने की बुकिंग भी हमने दी थी, फिर भी 20 अप्रैल को अचानक डेक्कन चार्टर, जिसने वह सर्विस शुरू की थी, उसे बन्द कर दिया। उसका कोई रीजन नहीं दिया गया। जब हमने पूछा तो बताया गया कि कोई टेक्नीकल इश्यू है।

अध्यक्ष जी, आप जानती हैं कि कोल्हापुर बहुत ही ऐश्वर्य -सम्पन्न जगह है। वहां महालक्ष्मी मंदिर है, लाखों टूरिस्ट्स वहां आते हैं, कल्चरल हेरिटेज है और वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी अच्छी हो रही है। इस कम्पनी में कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, इसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और दूसरी कोई भी कम्पनी जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर एशिया है और सरकार की कंपनी भी है, उनको कोल्हापुर-मुंबई सर्विस शुरू करने की इजाजत दी जाए। उनको छः महीने रुकने की जरूरत नहीं है। 'उडान' योजना के तहत ही यह सर्विस फिर से शुरू की जाए, यह हमारे कोल्हापुर के लोगों की डिमाण्ड है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री राजन विचारे, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री राजीव सातव और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री धनंजय महाडीक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

रवनीत जी, एक मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): मैडम, मुझे दो मिनट समय दीजिए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

मैडम, आपने मुझे खास तौर पर बोलने के लिए मौका दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूँ।

‘सत गुरु नानक परगटिया मिटी धुंध जग चानन होया।’

मैडम, हम वर्ष 2019 में गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाने जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी पंजाब ही नहीं, हिन्दुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया में सबसे बड़े पीर, पैगम्बर और गुरु माने गए हैं। उन्होंने अपनी फिलॉसफी में बोला – कीरत कर, अर्थात् अपने हाथों से मेहनत करके अपनी रोजी-रोटी कमाना है, कोई गलत काम करके नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला – वंड छकना, अर्थात् मेहनत करके जो कमाई की है, उसे जरूरतमंद और गरीब लोगों के बीच बांटना। इसके बाद उन्होंने नाम जपने के लिए कहा। अगर हम नाम जपेंगे, पाठ करेंगे...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हमने गुरु नानक जी के बारे में पढ़ा है।

श्री रवनीत सिंह: मैडम, यह बात सदन में बताना जरूरी है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हमें मालूम है, सबको मालूम है।

श्री रवनीत सिंह: मैडम, हम अपने पहले गुरु की बात कर रहे हैं, आपको सुनना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है।

श्री रवनीत सिंह: मैडम, जब हिन्दुस्तान पर बाबर ने हमला किया था, उस टाइम गुरु जी ने बाबर की फौज का जालिमों की फौज बोला और बाबर को उन्होंने आगे आकर ‘जाबर’ बोला। यह हिम्मत गुरु नानक देव जी ने की। आज हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई की बात होती है, उस टाइम जब गुरु नानक देव जी से काज़ी ने पूछा कि अच्छा कौन है, हिन्दू अच्छा है या मुसलमान अच्छा है? तब उन्होंने जवाब दिया कि जिसके अमल और कर्म अच्छे हैं, वह अच्छा है और बड़ा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह ध्यान में रखने लायक बात है। 550वें प्रकाश पर्व पर क्या करना है, उसके बारे में बोलिए।

श्री रवनीत सिंह: मैडम, हम सभी पंजाब के सदस्यगण यहां बैठे हैं और वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह और हमारी सरकार है। पंजाब से जो कुछ हो पाएगा, हम करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन

अमरिंदर सिंह जी ने 2145 करोड़ रुपये की मांग की है। जहां-जहां हमारे गुरु जी गए, उन शहरों के विकास के लिए और पूरे साल यह प्रोग्राम चलना है। ...(व्यवधान) जब गुरु ग्रन्थ साहब जी के 350 साल पूरे हुए थे, नांदेड़ साहब में डाक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपये दिए गए थे। नांदेड़ साहब के एम.पी. भी यहां बैठे हैं, वह बता सकते हैं। ...(व्यवधान) मैं नीतीश कुमार जी का जिक्र करना चाहूंगा, उन्होंने पटना साहब के लिए ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी डिमाण्ड रखिए।

श्री रवनीत सिंह: मैडम, जब गुरु गोविन्द सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया गया था तो सारे पंजाब के सारे सिखों के बारे में उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया था। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे नहीं होता है। आपने डिमाण्ड रख दी है। अब कम्पलीट कीजिए।

श्री रवनीत सिंह: मैडम, सेंटर गवर्नमेंट की मंत्रियों की एक हाई पावर्ड कमेटी बने, जो पंजाब में जाकर देखे और हमें जितने पैसे की जरूरत है, जो पैसा सरकार ने मांगा है, उसे दे, जिससे यह प्रकाश पर्व धूमधाम से और श्रद्धा से मनाया जाए और पूरी दुनिया में इसका मैसेज जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रवनीत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

13 00 hrs

DR. TAPAS MANDAL (RANAGHAT): I want to draw the attention of the Railway Minister, through you Madam, to a long pending demand of the residents of Ranaghat which is my Constituency. The people demand motorable subway under the Railway Station of Ranaghat. But, surprisingly, the Railway Ministry has constructed the subway for pedestrian. That does not serve the purpose of the people of Ranaghat. It is because the railway line divides the Ranaghat into two

hubs, Eastern part and the Western part, whereas all public amenities are located in the Western part. People, particularly, the critical patients cannot go to the hospitals speedily due to closure of railway gates.

That is why, the people of Ranaghat demand a motorable subway instead of the pedestrian subway. I would like to draw the attention of the Railway Minister to address this issue and construct a motorable subway for the people of Ranaghat.

माननीय अध्यक्ष : मैं सबको एक-एक मिनट ही दे रही हूँ। मेरे पास बोलने वालों की लम्बी लिस्ट है। सब एक-एक मिनट में ही अपनी बात बोलें।

...(व्यवधान)

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं राजस्थान की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग रखना चाहता हूँ। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट 38000 करोड़ रुपये की सिंचाई और पेयजल संबंधी पूरे राजस्थान के 12 जिलों की एक महत्वपूर्ण मांग है। उसके संदर्भ में मैं आपके सामने मांग रखना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसे जल्दी से जल्दी कैबिनेट में लेकर इसके लिए बजट का भी आबंटन किया जाए। इस प्रोजेक्ट में मेरे संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर को बहुत अधिक लाभ होगा, विशेष रूप से चम्बल-पाशना-जोगनलाइन परियोजना को और गंभीर नदी को लाभ होगा क्योंकि इस परियोजना में नदियों से नदियों को जोड़ने का यह किसी भी राज्य का पहला प्रोजेक्ट होगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में इस चम्बल-पाशना-जोगनलाइन परियोजना के तहत गंभीर नदी को जोड़ने का कार्य होगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. मनोज राजोरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Madam, I am raising an important issue concerning the lives of 25 lakh of people in the central part of Kerala. Kerala is now witnessing an unprecedented incident of heavy rain. Due to which, all dams in the State are filled. In my Constituency, there are 24 major dams and all are filled. The Idukki Arch Dam, which is the largest dam in Asia and it has a storage capacity of 74.5 TMC, has the storage capacity of 2403 feet. Now, it is likely to open all the shutters and people are in the situation of panic and agony. This dam is situated in the downstream of Periyar. The Mullaperiyar Dam is also situated on the Periyar River. That dam is also about to be filled and is about to be opened.

My request, through you, Madam, to the Central Government is that they should intervene in the matter and request the Tamil Nadu State Government to alert the concerned State Government, it is not for the controversy, and provide them all adequate details to alert the people in the downstream to ensure their safety.

माननीय अध्यक्ष : जो एसोशिएट करना चाहते हैं, लिखकर दे दें।

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Dr. P.K. Biju, Shri M.B. Rajesh, Shri Innocent, Shrimati P.K. Shreemathi Teacher, Dr. A. Sampath, Shri Mullappally Ramachandran, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Prof. Richard Hay and Shri M.K. Raghavan are permitted to associate with the issue raised by Adv. Joice George.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिहार में मुजफ्फरपुर बालगृह में 39 निर्भया कांड

हुए हैं। जो दुष्कर्म हुआ है, वह राष्ट्रीय शर्म की बात है। वहीं दूसरी ओर एन.एम.सी.एच. में मरीज बैड में ऊपर मौत से जूझ रहा हो और उसको ऑक्सीजन लगा हुआ हो, ब्लड चढ़ रहा हो और आई.सी.यू. में हो और वहीं पर बिना वर्षा के आई.सी.यू. वार्ड में मछलियां नीचे तैर रही हों, यह बिहार के अस्पतालों की हालत है। इंसान दर्द से कराह रहा है, मछलियां तैर रही हैं, यह कलंक है, ... * सुशासन की सरकार में हत्या, लूट, बलात्कार और मौत हो रही हैं..(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : फ्लड का पानी अस्पताल में आया है, क्या आप यह बात उठाना चाहते हैं? आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष महोदया, मरीज मौत से जूझ रहा हो, आई.सी.यू. में हो और बिना वर्षा के मछलियां नीचे तैर रही हों, अस्पताल जैसे मछली मार्केट बन गया है। इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या होगा कि पूरा अस्पताल मछली मार्केट बन गया है। यह बहुत ही शर्म की बात है।

डॉ. संजीव बालियान (मुजफ्फरनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, पिछले वर्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक आदेश आया था जिसके अनुसार नेशनल कैपिटल रीजन में दस साल पुराने सब डीजल व्हीकल्स बंद करने के आदेश हुए थे। एन.सी.आर. में हरियाणा, पश्चिम-उत्तर प्रदेश और राजस्थान का बड़ा ग्रामीण इलाका आता है। यह करीब 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र है। करीब एक लाख ट्रैक्टर जो दस साल पुराने थे, इस आदेश के मुताबिक बंद हो जाएंगे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि या तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से नोटिफिकेशन हो, क्योंकि ये एक लाख के करीब ट्रैक्टर्स हैं और ट्रैक्टर की कोई उम्र नहीं होती। मेरे क्षेत्र में ऐसे-ऐसे ट्रैक्टर्स हैं जो 50 साल पुराने हैं। मेरी उम्र 46 साल है। शायद 50 साल पुराने ट्रैक्टर्स भी आपको हरियाणा में चलती हुई हालत में मिल जाएंगे। किसान अपने पूरे जीवन में मात्र एक ट्रैक्टर ले सकता है। हरियाणा के सांसद भी

* Not recorded.

यहां बैठे हैं। हम सबकी यह डिमांड है कि एक ट्रैक्टर को और जितने भी डीजल के इंजन हैं, वे किसान के काम आते हैं। इस आदेश से बाहर किया जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. किरिट पी. सोलंकी और श्री नारणभाई काछड़िया को डॉ. संजीव बालियान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से फौजी भाइयों के मान-सम्मान और वेलफेयर से संबंधित तीन-चार ज्वलंत बातें देश के सामने रखना चाहता हूँ। सरकार कह रही है कि 'वन रैंक वन पेंशन' का क्रियान्वयन कर दिया गया है। सरकार अधूरा सत्य बता रही है। उसके प्रारूप को लेकर उनमें असंतुष्टि है। यह 'वन रैंक वन पेंशन' न हो कर 'वन रैंक सेवेन पेंशन' है, क्योंकि हर पांच साल में रिव्यू का प्रावधान किया गया है, पहले साल में दो पेंशन, इसकी त्रुटियों को दूर किया जाए।

दूसरा, अभी कैन्टोनमेंट की सड़कों को खोलने के लिए, सिविल यूजर गेट खोलने के लिए सरकार ने एक फैसला लिया है, हम चाहते हैं कि यह फैसला वापस हो। यह बात फौजी भाइयों की मोराल से जुड़ी हुई है। कैन्टोनमेंट की जो सड़कें हैं, उनको न खोला जाए।

तीसरा, सातवें पे कमिशन में सैनिक और जवान की डिसेबिलिटी पेंशन, विडो पेंशन, मिलिट्री सर्विस और सर्विस पेंशन में जो बढ़ोतरी की गई है, वह नाकाफी है, जिससे अन्य के मुकाबले में अंतर बढ़ा है। यह अंतर न बढ़ने दिया जाए, इसे सरकार एड्रेस करे।

चौथा, सिविल ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में भी अंतर बढ़ गया है। उदाहरण के तौर पर एक सिपाही जवान का ग्रेड-पे 2000 रुपया है और काँस्टेबल का ग्रेड पे 2200 रुपया हो गया है। जब वर्ष 1947 में आजाद हुआ था, तब फौज का स्थान बहुत ऊपर था। धीरे-धीरे सिविल ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में उनका स्थान नीचे आया है और सेवेन्थ पे-कमिशन में काँस्टेबल का ग्रेड पे ऊपर हो गया है।

इस बात को सरकार एड्रेस करे। हम इनके संगठनों से मिले। फौजियों के वेलफेयर के लिए बहुत संगठन प्रयासरत हैं, उनसे सरकार मिले और इस बात का हल निकाले।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. कुलमणि सामल को श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री श्रीरंग आप्पा बारणे जी।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय अध्यक्ष जी, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब पंढरपुर यात्रा हो गई है, अब आपको क्या बोलना है?

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: माननीय अध्यक्ष जी, यह अतिमहत्वपूर्ण विषय है। महाराष्ट्र में पंढरपुर एक ऐसा तीर्थ स्थल है, जहां परमात्मका पांडुरंग का मंदिर है। यहां आषाढ़ और कार्तिक मास एकादशी को तीर्थ यात्रा होती है, जिसका जिक्र माननीय प्रधान मंत्री जी ने 29 जुलाई को मन की बात में किया था। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि पांडुरंग वारी अपने आप में एक अद्भुत यात्रा है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा से लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पालखी में देहु आलंदी से चल कर वहां आते हैं। सभी देशवासियों को पंढरपुर वारी का आनंद लेना चाहिए, ऐसा प्रधान मंत्री जी ने कहा था।

माननीय अध्यक्ष जी, देहु से पंढरपुर तक यात्रा में जो वारकरी चल कर आते हैं, उनकी संख्या पांच-छः लाख होती है। पंढरपुर यात्रा के दरम्यान जो लोग आते हैं, उनकी संख्या 10-15 लाख होती है। पंढरपुर में बहुत तरह से असुविधा होती है। वहां पर यात्रियों को पीने का पानी, स्वच्छता और शौचालय का पूरी तरह से अभाव है। मैं केन्द्र सरकार से विनती करता हूं कि पंढरपुर, देहु और आलंदी तीर्थ क्षेत्र है, उनके सुधार के लिए ज्यादा से ज्यादा आर्थिक निधि दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री राजीव सातव, श्री अरविंद सावंत, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे और श्री राजन विचारे को श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती नीलम सोनकर (लालगंज): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं लालगंज लोक सभा, जिला आजमगढ़ से चुन कर आई हूँ। मेरा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। बहुत लोग यहां से शिक्षा एवं रोजगार के लिए बाहर जाते हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से बनारस से लालगंज, आजमगढ़, मुबारकपुर, दोहरीघाट होते हुए गोरखपुर के लिए नई रेलवे लाइन की मांग करती हूँ। यह हमारे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सर्वे हो चुका है, कार्य योजना तैयार हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास करके पूर्वांचल को बहुत बड़ी सौगात दी है। उनसे विनम्र प्रार्थना है कि नई रेलवे लाइन की घोषणा करके पुनः आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल को सौगात दें। हम सदैव उनका आभारी रहेंगे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, को श्रीमती नीलम सोनकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। ये पहली बार चुनकर आए हैं।

...(व्यवधान)

श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह पटेल (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं फूलपुर लोकसभा क्षेत्र इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से उप-चुनाव में फूलपुर की जनता के आशीर्वाद से जीत कर आया हूँ। फूलपुर में इफको फैक्टरी है। फूलपुर के आस-पास के गांव के किसानों की जमीन फैक्टरी बनाने में गई है, जिसकी वजह से काफी

किसान भूमिहीन भी हो गए हैं। यहां कभी-कभी अमोनिया गैस का रिसाव भी हो जाता है और फैक्टरी से मलबा एवं धूआं भी निकलता है, जिसका दुष्प्रभाव फूलपुर के आस-पास के ग्रामीण किसानों, मजदूरों तथा उनके परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। इफको के अधिकारी आस-पास के ग्रामीण मजदूरों को कोई काम नहीं देते हैं। यदि किसी मजदूर को काम दे दिया, तो कुछ समय में ही कोई बहाना बनाकर नौकरी से निकाल देते हैं। इफको के अधिकारी अपने चहेते ठेकेदारों के माध्यम से दूसरे प्रदेश से लेबर लाकर फैक्टरी का काम करवाते हैं और फूलपुर के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को फैक्टरी में काम नहीं देते हैं, जिससे कि आस-पास के ग्रामीण मजदूर बेरोजगार हैं और उन्हें अपना तथा अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता है। आपसे अनुरोध है कि इफको के आस-पास के ग्रामीण मजदूरों को इफको फैक्टरी में काम दिया जाए।

श्रीमती संतोष अहलावत (झुन्झुनू): महोदया, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया। आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। छोटी जगह रहने वाले लोगों को भी उन्होंने रीजनल कनेक्टिविटी के तहत पंख दिए हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यहां सामरिक दृष्टि से भी ऐसी बात है, जिसे मैं यहां व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में भी पिलानी एक हब है। बिट्स एक जाना माना संस्थान है, जहां देश-विदेश के छात्र अध्ययनरत्न हैं। देश की सकल आय में भी मेरे यहां के बिरला, गोयंका, झुन्झुनूवाला, पोद्दार, कदारिया आदि बहुत लोग योगदान करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण जिले को रीजनल कनेक्टिविटी के तहत कम से कम देश की राजधानी से जोड़ दिया जाए। इस हेतु मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी रहूंगी।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्रीमती संतोष अहलावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती मौसम नूर (माल्दहा): महोदया, उत्तर माल्दहा मेरा संसदीय क्षेत्र है। मैं अपने क्षेत्र से संबंधित जरूरी विषय पर बोलना चाहती हूँ। समसी रेलवे ओवर ब्रिज वर्ष 2012 के रेलवे बजट में सैंक्शन हुआ

था लेकिन छह साल का समय बीत जाने के बाद आज भी काम शुरू नहीं हुआ है। समसी रेलवे क्रासिंग पर हर रोज लोग घंटों फंसे रहते हैं, विशेषकर विद्यार्थी और मरीजों को बहुत परेशानी होती है। समसी का रास्ता पूरे माल्दहा को नार्थ बंगाल और बिहार से कनेक्ट करता है। यह हमारी बहुत पुरानी मांग है और मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि यह काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए।

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Madam, in the year 1997, there happened a political incidence. More than 35000 people who belong to the Bru community had been displaced from Mizoram. They have gone to Assam and also to Tripura but no Government had given them the shelter. The then Left Government had given the shelter. With the help of the Central Government, the young people are now living in the seven camps in very miserable conditions.

Madam, I would like to appreciate the rule of Central Government. They have taken the initiative to repatriate their families. Their population is now about 40,000. The age of the people who have taken birth after 1998 is now 20 or 21. Even now, people are languishing. I would like to appeal to the Central Government to take the initiative. It is just not by involving the Government machineries but also by involving the civil society in Mizoram and Tripura that the repatriation is done very smoothly, and ensure that the condition of these 40000 people is not deteriorated further.

Therefore, I appeal the Central Government to take immediate action.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): माननीय स्पीकर मैडम, आये दिन मुम्बई सब-अर्बन रेलवे में रेल फ्रैक्चर्स की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। लगभग 80 लाख से ज्यादा लोग रोज मुम्बई सब-अर्बन रेलवे में

यात्रा करते हैं। लगातार हो रहे रेल फ्रैक्चर्स की घटनाओं के कारण जान जोखिम में डालकर यात्रियों को यात्रा करनी पड़ती है। रेलवे के ट्रैक्स को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी गैंगमैन की होती है। मुम्बई सब-अर्बन सेक्शन में कार्यरत गैंगमैन की संख्या 2030 है जबकि कुल स्वीकृत पद 3197 हैं। यह सब-अर्बन सेक्शन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर कर्जत, कसारा और पनवेल स्टेशन तक फैला हुआ है। इस सेक्शन में 3458 पद सेफ्टी स्टाफ के लिए हैं। इनमें से केवल 2758 पदों को ही भरा गया है और 1867 पद रिक्त हैं।

यह यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ है। हाल ही में जब मुम्बई में मुसलाधार बारिश हो रही थी, तभी हार्बर लाइन पर मानखुर स्टेशन के नजदीक एक रेल फ्रैक्चर की घटना हुई थी। रेल अधिकारियों द्वारा उसकी मरम्मत कराये जाने के बजाए ट्रैक को केवल एक कपड़े के टुकड़े से बाँधकर उस पर लोकल ट्रेन्स चलवायी गयीं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दरखास्त करता हूँ कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाए तथा गैंगमैन और सेफ्टी स्टाफ के पोस्ट जल्द-से-जल्द भरे जाएँ।

माननीय अध्यक्ष: सर्वश्री श्रीरंग आप्पा बारणे, राजन विचारे, अरविंद सावंत, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. कुलमणि सामल को डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अनुराग जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं उसी विषय पर बोलना चाहता हूँ, जिस विषय पर सभी लोग बातें करते हैं।

मैं एक पहाड़ी राज्य से आता हूँ। वहाँ किसानों की बहुत छोटी-छोटी जमीनें हैं। उनकी आय दुगुनी हो, यह प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, नीम कोटेड यूरिया हो या

सिंचाई योजनाएँ हों, इन योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लेकिन समस्या आवारा पशुओं के कारण है। बंदरों की समस्या के कारण अनेक खेत उजड़ जाते हैं।

राज्य सरकार ने इन आवारा और बेसहारा पशुओं को खेतों में जाने से रोकने के लिए मन्दिरों की आय से 15 से 20 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था की है। लेकिन, इससे प्राप्त होने वाली धनराशि कम है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि आवार-बेसहारा पशुओं और बंदरों के कारण जो समस्या है, जिसके कारण किसान खेती करना छोड़ रहे हैं, उनके लिए ज्यादा-से-ज्यादा फंड क्लिएट करके उनको देना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: आपने हिमाचल प्रदेश से बंदरों को दिल्ली में तो नहीं छोड़ दिया?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैडम, यहाँ पर पहले से ही बहुत बंदर हैं।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरो प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल तथा डॉ. किरीट पी. सोलंकी को श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Now the House stands adjourned to meet again at 2.20 p.m.

13 17 hrs

*The Lok Sabha then adjourned for Lunch till
Twenty Minutes past Fourteen of the Clock.*

14 21 hrs

*The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Twenty-One Minutes past
Fourteen of the Clock.*

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to revise the pension of bank employees

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): वर्तमान में बैंकों के बढ़ते एन.पी.ए. के कारण बैंकों में पूर्व कर्मचारियों अर्थात् पेंशनरों पर क्या इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है, यदि नहीं तो कई पे -कमीशन आने के पश्चात भी इनकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई है।

इनकी पेंशन का रिविजन कराया जाना अति आवश्यक है। ऐसी मैं सरकार से आशा करता हूँ।

**(ii) Regarding provision of houses to differently-abled persons under
Pradhan Mantri Awas Yojana**

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): पहले ऐसा तय किया गया था कि 80% अविवाहित विकलांगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलना था। लेकिन उसके बाद नियम बदला गया और फैसला लिया गया कि 80% विकलांगों को योजना के अंतर्गत आवास दिया जाएगा, परन्तु अब तक पोर्टल पर यह नियम अपडेट नहीं हुआ है जिसकी वजह से मेरे संसदीय क्षेत्र में विकलांग लोगों को परेशानी हो रही है।

(iii) Regarding permanent teachers in Eklavya Model Residential School in Gujarat and additional Eklavya Model Residential Schools in Bharuch Parliamentary Constituency in Gujarat

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरुच): देश में अनुसूचित जनजाति में सामाजिक विकास और आर्थिक विकास के लिए साक्षरता बढ़ावा दिये जाने हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों की स्थापना की गई। देश के आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों में लाखों की संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उन्हें सरकारी, गैर-सरकारी निजी संस्थाओं में नौकरी पाने के लिए सक्षम बनाना है। देश में नौकरी प्राप्त करने में कई प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ रहा है। अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं उच्च स्तरीय शिक्षा दिलाने में योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का होना अति आवश्यक है। कई राज्यों में विशेषकर गुजरात में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में स्थायी टीचर नहीं होने से सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। बजट में एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की गई है। इस कार्य के लिए हम सरकार के आभारी हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में तीन एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल कार्यरत हैं, जो जनजातीय बच्चों की जनसंख्या के अनुपात में कम है। कम से कम चार और एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल मेरे संसदीय क्षेत्र भरुच अंतर्गत नर्मदा जिले और भरुच जिले में स्थापित किये जायें।

सरकार से अनुरोध है कि एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों में योग्य, स्थाई एवं प्रशिक्षित शिक्षकों को अधिक से अधिक संख्या में नियुक्त करें। साथ ही साथ मैं मांग करता हूँ कि कम से कम चार और एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल मेरे संसदीय क्षेत्र भरुच अंतर्गत नर्मदा जिले और भरुच जिले में इसी वित्तीय वर्ष में स्थापित किये जायें।

**(iv) Need to improve BSNL mobile and landline telephone service in Amreli
Parliamentary Constituency, Gujarat**

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में बी.एस.एन.एल. की स्थिति के बारे में आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले वर्ष 2017 में संबंधित विभाग द्वारा बी.एस.एन.एल. की स्थिति के बारे में सर्वे किया गया था, जिसमें फेज नं. 8.4 के अंतर्गत अमरेली जिले में 15 नए 3जी के टॉवर, 19 नए 2जी के टॉवर और 57 टॉवरों को 2जी से 3जी में अपग्रेड करने की आवश्यकता पायी गई और विभाग द्वारा इसे मंजूरी प्रदान की गई।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि अब तक 19 नये टॉवरों में तीन गांव (पीटवडी), शिलाना, मोटा मुंजियासर) में केवल तीन टॉवर ही लग पाये हैं और 57 टॉवर, जिन्हें अपग्रेड करना था, उनमें से सिर्फ 6 टॉवरका कार्य ही पूरा हुआ है और बाकी टॉवर का कार्य ज्यों का त्यों लंबित पड़ा हुआ है। यह कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है और इसकी मोनिटरिंग अहमदाबाद सर्कल कार्यालय के माध्यम से हो रही है।

वर्तमान में अमरेली जिले में बी.एस.एन.एल. के लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन की स्थिति ठीक नहीं है। बी.एस.एन.एल. के मोबाइल बंद अवस्था में है। कई दिनों तक लैंडलाइन ठप्प पड़े रहते हैं। 3जी ब्रॉडबैंड की कोई सुविधा नहीं है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए पब्लिक सुविधाओं को ऑनलाइन कर रही है परन्तु इंटरनेट की पूर्ण सुविधा नहीं मिलने के कारण इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। गरीबों को राशन लेने के लिए थम्ब इम्प्रेशन देना पड़ता है लेकिन इंटरनेट की सुविधा के अभाव के कारण गरीब राशन लेने से कई वंचित रह जाते हैं।

अतः मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि इस मामले को अपने व्यक्तिगत संज्ञान में लेकर इसका पूर्ण रूप से निवारण करवाने का कष्ट करें।

(v) Need to include names of people found eligible in Socio-Economic Caste Census, 2011 in Balaghat Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh in official records

श्री बोध सिंह भगत (बालाघाट): भारत सरकार द्वारा सन 2011 में सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत आधार पर पूरे देश में सर्वे कराया गया था। जिसके आधार पर भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास तथा उज्जवला गैस योजना संचालित हो रही है। किंतु जिला प्रशासन द्वारा ठीक ढंग से सर्वे नहीं किए जाने के कारण अनेक ग्राम पंचायतों के हिताग्रहियों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिन लोगों का नाम सर्वे सूची में शामिल हो चुका है उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। किंतु मध्य प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत बालाघाट-सिवनी जिले की ग्राम पंचायतों तिरोड़ी, सीताखोह पिपरिया विकास खंड कटंगी तथा अन्य विकास खंड की ग्राम पंचायतों का 2011 में सर्वे हो चुका है किंतु प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से कम्प्यूटर में डाटा एंट्री नहीं होने के कारण इन ग्राम पंचायतों के हिताग्रहियों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है जिससे लोगों में तीव्र रोष है।

अतः मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि तत्काल इसकी जाँच करवाकर दोषी अधिकारियों को दंडित कर सर्वे सूची से वंचित ग्राम पंचायतों को शामिल करें जिससे इन योजनाओं की पात्रता रखने वाले परिवारों को लाभ मिल सके।

(vi) Need to run Singarauli - Delhi train and Singrauli-Bhopal train on daily basis

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): विगत वर्ष 12 अगस्त को मेरे आग्रह पर केंद्र सरकार द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र में दो ट्रेनों की सौगात प्रदान की गई (22167/68 सिंगरौली निजामुद्दीन) व (22165/66) सिंगरौली भोपाल। सिंगरौली से दिल्ली आने वाली ट्रेन सप्ताह में मात्र एक दिन आती है और सिंगरौली से भोपाल जाने वाली ट्रेन का संचालन सप्ताह में दो दिन होता है। दोनों ट्रेनों का ठहराव हाल ही में मेरे आग्रह पर सीधी जिले के मड़वास रेलवे स्टेशन पर किया गया जिससे सीधी जिला वासियों को भी इन ट्रेनों में आवागमन का लाभ मिल रहा है। इस हेतु मैं केन्द्र सरकार व रेलमंत्री जी का पुनः आभार ज्ञापित करते हुए निवेदन करना चाहती हूँ, व संसदीय क्षेत्र वासियों की मांग पर रेलमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि इन दोनों ट्रेनों को नियमित कर दिये जाने से आमजनमानस को आवागमन से सुविधा होगी। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि उक्त दोनों ट्रेनों को नियमित कराने की कृपा की जाए।

(vii) Regarding price of coffee

KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR): This year's steep decline in yield of coffee is attributed to erratic weather conditions and high temperature. The prevailing bearish trend in prices is largely attributed to a surge in global output, which is seen heading for a record in 2017-18. The price is below the cost of production and as a result, the growers are finding it difficult to service their debts. With a dip in the prices of coffee, the growers' community is highly disappointed. They are demanding proactive measures to stop illegal import.

Coffee growers want the Government to consider a Minimum Support Price or a Price Compensation Scheme for the commodity to alleviate their distress. I urge the Centre to look into a MSP Or a Support Price Scheme for Coffee to help rescue the growers. I urge the Government to consider interest waiver on loans till the current year and extend loans on a concessional interest rate for 2018-19.

(viii) Need to extend Chitrakoot-Kanpur Intercity Express upto Lucknow

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चलने वाली कानपुर-चित्रकूट इन्टरसिटी एक्सप्रेस को लखनऊ तक बढ़ाने हेतु मेरे द्वारा काफी समय से क्षेत्रीय लोगों व यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से मांग की जा रही है। लेकिन आज तक इसे बढ़ाया नहीं गया है।

अस्तु मेरा सरकार से अनुरोध है कि चित्रकूट-कानपुर इन्टरसिटी एक्सप्रेस को लखनऊ तक चलाने एवं उसमें एक एसी चेयरकार की बोगी लगाने की कृपा करें।

(ix) Regarding storage and management of rain water and inter-linking of rivers

कर्नल सोनाराम चौधरी (सेवानिवृत्त)(बाड़मेर): बढ़ती जनसंख्या, घटता पानी, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जो सही भी है। नास्त्रेदेमस की घोषणा के अनुसार तीसरा विश्वयुद्ध पानी पर होगा। जिस समय ये घोषणा की गई थी, तब लोगों का मानना था कि यह कैसे संभव है, लेकिन हालात तो यही बयां कर रहे हैं। हमारे देश के 91 जल भण्डारों में से सिर्फ 22 प्रतिशत पानी रह गया है। देश में झारखण्ड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना कई अन्य राज्यों में लगातार सूखा पड़ा है। पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। उधर जम्मू-कश्मीर, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश एवं पूर्वांचल प्रदेशों में बाढ़ ने भीषण तबाही मचा रखी है। इधर सूखा, उधर बाढ़, यह हालात हैं। यदि देश एवं प्रदेशों की मुख्य नदियों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो कुदरती पानी को विनाशकारी से विकास की दिशा में मोड़ा जा सकता है। भीषण तबाही मचाने वाली नदियों को इन पर बाँध बनाकर अन्य सूखी नदियों में पानी का डाला जाता है तो पीने ही नहीं बल्कि खेती के लिए भी उपयोग में लिया जा सकेगा। उससे उत्पादन एवं रोजगार दोनों मिलेंगे। बरसाती पानी के संरक्षण हेतु राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे जी ने मुख्यमंत्री जनस्वावलम्बन योजना को एक अभियान के तहत चलाया है जिससे सुखद परिणाम मिल रहे हैं।

इतिहास गवाह है कि सृष्टि निर्माण से सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित एवं फली-फूली हैं। यदि मिलिट्री हिस्ट्री देखें तो युद्ध में सबसे पहले वाटर प्वाइंट पर ही कब्जा किया जाता है। इस दिशा में देश की आजादी से पूर्व ही विचार प्रारम्भ किया गया था। ब्रिटिश इण्डिया सरकार में बाबा साहेब अम्बेडकर, लॉर्ड लिनलिथगो तथा लॉर्ड लेवल के समय श्रम सदस्य थे। उन्होंने नदियों को जोड़ने से सम्बन्धित कार्य के लिए विश्व की पुस्तकों का अध्ययन कर टेनिसी वेली अथॉरिटी की तरह नदी घाटी योजना बनाई और अमेरिका की नदियों के बांधों के विशेषज्ञ बुरुडीन की सेवाएं ली गईं। 8 जनवरी,

1945 को इसी दिशा में कृषि भूमि की सिंचाई एवं मरु प्रदेश के वासियों की प्यास बुझाने के लिए भाखड़ा नाँगल बाँध परियोजना बनाई एवं राजस्थान नहर जो मरुगंगा एवं इन्दिरा नहर के नाम से जानी जाती है, मूर्तरूप दिया गया। एक लम्बे अंतराज के बाद हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल जी ने नदियों को जोड़ने की योजना बनाई, लेकिन अभी तक योजना को मूर्तरूप देने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं।

मेरा निवेदन है कि

1. जो पानी प्रबंधन के अभाव में बहकर समुद्र में जा रहा है, उसको रोक कर नदियों या झीलों में संग्रहित किया जाए।
2. जैसे यमुना में नरोड़ा के आस-पास का पानी बहकर समुद्र में जा रहा है, उसको रोक कर मरुप्रदेश के जिले अलवर/भरतपुर से होते हुए जोधपुर-बाडमेर तक एवं झुंझनू, सीकर, चुरू एवं नागौर को खुशहाल किया जा सकता है। राजस्थान की खुशहाली हेतु यमुना-राजस्थान, राजस्थान-साबरमती को जोड़ा जाना नितांत आवश्यक है।
3. सरस्वती जैसी पौराणिक नदी जो राजस्थान से होकर अरब सागर आती है, उसको पुनर्जीवित किया जाये। यमुना, कुरुक्षेत्र, यमुनासागर के आस-पास से सिरसा, नोहर, भादरा, सरदार शहर, डुंगरगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाडमेर, जालोर से बहुते कच्छ की खाड़ी में पहुँचने वाले हिमालय के शुद्ध पानी को त्रस्त लोगों तक पहुँचाने की योजना बनाई जाए।

4. यदि सम्पूर्ण देश की नदियों को नदियों से जोड़ा जाता है, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगा। जरूरत है महज दृढ़ इच्छाशक्ति की।
5. अतः मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री एवं जल संसाधन मंत्री से विशेष आग्रह है कि उक्त संबंध में रुचि लेकर कार्य को गति प्रदान करे, ताकि पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सके।

(x) Need to provide stoppage of Jan Shatabdi Express (train no. 12365/12366) at Paharpur Railway Station in Gaya Parliamentary Constituency, Bihar

श्री हरि मांझी (गया): मेरे संसदीय क्षेत्र गया के अंतर्गत पहाडपुर रेलवे स्टेशन मंडल धनबाद के अंतर्गत पड़ता है तथा धनबाद-गया खण्ड के एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। रांची-पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12365/12366 का पहाडपुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव देने की मांग वर्षों से रही है। विदित है कि उक्त ट्रेन में काफी संख्या में ग्रामीण दूर-दूर से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी तय करके गया स्टेशन से जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ने आते हैं जिससे लोगों को उक्त ट्रेन को पकड़ने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि पहाडपुर स्टेशन पर जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12365/12366 को ठहराव देने की कृपा की जाये।

(xi) Regarding delay in issuance of NoC by Defence Ministry

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): I would like to raise the issue regarding the long delay by Defence Ministry in issuance of No Objection Certificate for development around Defence land in Mumbai and other parts of the country. It may be noted that in October, 2016, the then Defence Minister issued instructions/order, accordingly such a list was released by Army where the private development around the Defence land (which is non-sensitive area) was released. But the similar list by Navy and Air Force, which was to be released, immediately, has not been released till date. Though the Hon'ble MoS Defence had informed and given commitment in the Lok Sabha four months back that the list is already ready and signed by himself, till today the said list has not been released by the Defence Ministry. More than 50,000 people of such residential constructions are suffering as the No Objection Certificate by Navy and Air Force has been withheld till today. I urge upon the Hon'ble Minister of Defence to release such a list immediately.

(xii) Need to develop National Highway No. 123 (507) from Herbertpur to Barkot as an all-weather road

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल): मैं केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री का ध्यान उत्तराखंड में अपने संसदीय क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ। चार-धाम राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत पहला धाम यमुनौत्री को जोड़ने वाले दिल्ली-यमुनौत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (हरबर्टपुर से बड़कोट) को इस परियोजना से वंचित रखा गया है। तीर्थ यात्री अपनी यात्रा की शुरुआत मां यमुना (यमुनौत्री) के दर्शन से करते हैं। उक्त धाम की महत्ता को देखते हुए 1962 में यमुनौत्री धाम को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु दिल्ली-यमुनौत्री (यमुना रोड़) के नाम से मोटर मार्ग निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। निर्मित होने के बाद 1965 से 2002 तक दिल्ली-यमुनौत्री मार्ग संख्या-94 राज्य मार्ग (स्टेट हाईवे) के नाम से संचालित होती रही है, लेकिन कागजी भूल के कारण उक्त मार्ग का सम्पूर्ण भाग न तो चार-धाम मार्ग में सम्मिलित हुआ और न राष्ट्रीय राज मार्ग की स्वीकृति मिली। भारत सरकार ने वर्ष 2002 में उक्त मार्ग का कुछ भाग हरबर्टपुर से बड़कोट तक 111 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507) के नाम से घोषित किया तथा यह मार्ग भी चार धाम यात्रा मार्ग से वंचित रखा गया है। मेरा आग्रह है कि जनहित से रा0 रा0 मार्ग 123 (507) को दिल्ली-यमुनौत्री के नाम से विस्तार संशोधित स्वीकृति करें एवं हरबर्टपुर से बड़कोट बैण्ड तक 111 कि.मी. के भाग को ऑल वेदर रोड़ में सम्मिलित करने की कृपा करें।

(xiii) Regarding setting up of Shariat court by AIMPLB

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): The plan of the All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) to set up a shariah court (Darul Qaza) in every district of India is an illogical and regressive decision. This will not only complicate religion-based, personal law jurisprudence in India, but also work against the ambition of implementing a uniform civil code in the nation.

The arguments put forward by the AIMPLB make us feel that the plan is innocent and objective, as it is based on a righteous motive to lessen the burden of litigation in Indian courts, which are reeling under the burden of millions of overdue cases. Shariah courts, AIMPLB claims, are not 'courts' or any parallel legal system; rather they are the Darul Qaza or 'house of consultations', where experts of Islamic laws guide and advise Muslims who submit their personal disputes to them for arbitration, as suggested under the Arbitration and Conciliation Act. Further, Zafaryab Jilani, member of the AIMPLB, maintains that the Darul Qaza is 'legal and upheld by the Supreme Court' and that the same is a "100 per cent constitutional exercise".

(xiv) Regarding setting up of cold storage facilities for agricultural produce in the rural areas of the country

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): हमारे देश की आधे से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर करती है। इसलिए अन्नदाता किसानों का बहुत बड़ा महत्व है। आजादी के बाद से किसानों के महत्व को जिस तरीके से समझने की जरूरत थी नहीं समझा गया जिस कारण किसानों की स्थिति दिन-ब-दिन दयनीय होती चली गई। आज किसानों की देश में क्या स्थिति है हम सबके सामने है। ऐसे में हम सबों की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों की स्थिति को सुधारने हेतु काम करें।

वैसे तो आज की केन्द्र की सरकार किसानों और कृषि के प्रति गंभीरतापूर्वक कार्य करती हुई दिख रही है। इसके लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ भी केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है। इन्हीं योजनाओं के तहत देश के किसानों की आय दो गुनी करने की भी योजना सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसके लिए फसल का उत्पादन फसल का उत्पादन बढ़ाने, उत्पादित फसल का बाजार में सही कीमत मिलने का प्रबंध करना तथा इसी प्रकार के अन्य अनेकों योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने का गंभीर प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है लेकिन इतने ही भर से किसानों की आय में वृद्धि नहीं की जा सकेगी बल्कि इसके लिए कुछ और तरीके भी अपनाने होंगे। जिस संबंध में निम्नवत: मेरी एक मांग और सुझाव है।

किसानों की आय में वृद्धि नहीं होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण फसल उत्पादन पश्चात उनके भंडारण हेतु स्टोरेज और कूलिंग चैन की कमी भी है। इसके अभाव में देश के अन्दर किसानों द्वारा लाखों टन उत्पादित अन्न/फल-सब्जी इत्यादि सड़-गल कर खराब हो जाते हैं जिससे प्रतिवर्ष किसानों को काफी हानि उठानी पड़ती है। इस स्थिति से निपटने के लिए मेरी सरकार से मांग है कि सरकार के सहयोग से स्टोरेज एवं कूलिंग चैन की लघु इकाई किसानों के घर/दलान या बथान पर ही लगाये जाने

की योजना अगर शुरू की जाती है तो किसान स्वयं अपने उत्पादित माल को सुरक्षित भंडारित कर पाएंगे तथा बाजार से जब सही मूल्य मिलने होंगे तो उस समय अपना उत्पादन बेचकर लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वैसे भी पुरातन परंपरानुसार किसान अपनी-अपनी उत्पादित क्षमता के अनुसार अपने-अपने घरों/बथानों/दलानों में जमीन के अंदर खाद, बेड़ी इत्यादि बनाकर अपना भंडारण किया करते थे तथा उचित समय आने पर बाजार में अपना माल बेचते थे। इसी के साथ आग्रह है कि उक्त योजना को शुरू किये जाने की कार्रवाई अगर सरकार करती है तो इसकी शुरुआत मेरे गृह प्रदेश बिहार से करने की कृपा की जाये।

(xv) Regarding development of water bodies and makeover of dak bungalows in Sohagi Barwa Wildlife Sanctuary in Maharajganj district, Uttar Pradesh

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सोहगीबरवा वाइल्ड लाइफ बन क्षेत्र महाराजगंज में छोटे बड़े 28 प्राकृतिक ताल तथा वन विभाग के 9 डाक बंगले हैं। इन तालों में प्राकृतिक स्रोतों से उपलब्ध जल से जंगल में रहने वाले बड़े छोटे जानवरों को पीने का पानी सुलभ होता है। ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज होने से बड़ी सहायता मिलती है। इन तालों में अनेकों प्रकार के देशी-विदेशी पक्षियों का प्रवास होता है। नेपाल की ओर से आने वाले पानी से होने वाले बाढ़ के नियंत्रण में सहायता मिलती है। महाराजगंज जनपद सिद्धार्थनगर, कुशीनगर तथा नेपाल से जुड़ा होने के कारण देशी-विदेशी पर्यटकों का आना-जाना होता है।

मेरा अनुरोध है कि इस जंगल के प्राकृतिक तालों का विकास तथा फारेस्ट डाक बंगलों को सुसज्जित कराया जाये जिससे पक्षियों के प्रवास, पर्यटन को बढ़ावा, ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज, जंगल के जानवरों को पीने के पानी की सुविधा सुलभ हो सके।

(xvi) Need to ameliorate the plight of stage artists

प्रो. चिंतामणि मालवीय (उज्जैन): मैं संस्कृति मंत्री जी का ध्यान देश के कला जगत से जुड़ी सांस्कृतिक संस्थाओं की दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। देश की आजादी से लेकर आज तक के सार्वजनिक जीवन में ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जिनका हमारे सामाजिक जीवन में बड़ा महत्व है। ऐसी कई सामाजिक और सांस्कृतिक कलाओं की संरक्षण संबंधी संस्थाएं हैं जो लगभग 50 सालों से समाज में जागरूकता लाने और सुधारने का काम कर रही हैं। मुझे दुःख है कि देश के प्रदर्शनकारी कलाओं के जो कलाकार हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। यहां तक कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अनुदान योजनाएं भी नियमिति नहीं चल रही हैं। कलाकारों को लगभग दो वर्षों के विलंब से भुगतान हो रहा है जिससे देश भर के कलाकारों में असंतोष पनप रहा है।

देश में खेल के बाद एक कला कर्म ही है जो काफी लोकप्रिय है और करोड़ों की संख्या में युवा इनसे जुड़े हैं चाहे वह शहर हो या गांव , यदि कलाकारों को उचित स्थान और सहयोग नहीं मिलेगा तो भी अराजक बनेंगे और गलत रास्ते पर जाएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि संस्कृति विभाग से लंबित मामलों को यथाशीघ्र हल किया जाए, ताकि कलाकारों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके।

(xvii) Regarding setting up of a unit of National Virology Institute in Kerala

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): Kozhikode district in Kerala recently witnessed the outbreak of a rare and fatal Nipah viral fever. Just when Nipah has been successfully brought under control, Kozhikode has had a case of Kala Azar or Leishmaniosis, another dangerous viral fever. Now, that monsoon is in full swing the spread of the disease needs to be arrested on war footing. The Medical fraternity has set an exemplary record in identifying and containing Nipah. After every Monsoon Kerala is experiencing various kinds of fevers like Chikungunya, Dengue, Malaria etc. In order to diagnose the varied fevers, the Union Government may please set up a Unit of National Virology Institute under the Ministry of Health and Welfare in Kerala. I urge upon the Ministry of Health and Family Welfare to extend all support to the State of Kerala to deal with the situation caused by recurring fevers.

(xviii) Regarding simplification of referral system under the Central Government Health Scheme (CGHS)

SHRI B.N. CHANDRAPPA (CHITRADURGA): I would like to draw the attention of the hon. Health Minister towards the recent guidelines issued for simplification of referral system under CGHS.

CGHS provides medical facilities for consultation and treatment at their Wellness Centres and also under the empanelled private hospitals for their beneficiaries including the pensioners. As per the past practice, once a patient is referred by the Wellness Centre for getting the treatment at any of the empanelled private hospitals, he/she used to get treatment including the investigations etc. But, now, in the name of simplification, once a patient is referred by the Wellness Centre, he/she can go to the empanelled private hospital but he cannot get the investigations or treatment done without getting it endorsed once again by the Wellness Centre. This practice has actually put the patient including the pensioners to run from the hospital to the Wellness Centre for the purpose of endorsement. This practice is actually harming rather than helping the beneficiaries from getting the timely treatment as also the reimbursement.

I would, therefore, urge the Union Health Minister to kindly look into this matter urgently and help the ailing patients to get the treatment first rather than making them run for procedural things.

(xix) Regarding privatisation of Salem Steel Plant

SHRI V. PANNEERSELVAM (SALEM): I would like to record the strong public protest against the decision to privatize the Salem Steel Plant (SSP) and to highlight the need for taking urgent steps to save steel plant.

It is very disheartening to know that Govt. has approved disinvestment in SSP terming it a loss making unit. The SSP, which possesses well- established infrastructure, is one of the specialized unit of SAIL. SSP provides direct employment to more than 2000 persons and indirect employment to several thousand people. The plant was profitable till 2010. However, surprisingly the SSP has become a loss making unit whereas private steel plant that too in Salem itself is making profits. I firmly believe that poor management, improper supervision, incapacity and sabotage may be the reasons behind poor financial performance of SSP. Moreover, shifting SAIL's sales centre from Salem to Kolkata also affected its customer base and also, many private players may be very eager to grab the ownership of the plant.

SSP has very high potential for diversification and becoming a profitable unit, if managed properly. Steel making is one of the core-sector industries in the country. To change the fortunes of SSP, the requirements such as installation of captive power plant and steps for production of Railway coaches with collaboration of ICF Perampur be expedited. I also mention the fact that the plant was

established with the collective efforts by Central and State Governments and people donated land for the project in the hope of getting employment. I fail to understand when a steel plant can be run profitably in private sector, what stops the State to run SSP profitably. I would like point out that when there was a proposal for privatization of NLC, our former Chief Minister intervened and saved it. Our present Chief Minister has also requested the Centre to stop the totally unjustified decision to privatize SSP.

I, therefore, request that privatization of Salem Steel plant should be stopped forthwith and its public-ownership should not be changed. I also urge that all steps including loan and interest-waiving option be considered to improve the functional efficiency of SSP and make it a profit-earning unit.

**(xx) Regarding railway related issues of Cuddalore Parliamentary
Constituency of Tamil Nadu**

SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN (CUDDALORE): I wish to state about the most important railway needs of the people of my Cuddalore Parliamentary constituency.

1. Pennadam Railway Station (PNDM) is one of the oldest Railway stations in Tamil Nadu which has great legacy even from the British period. Pennadam is known for Cement Industries and Sugar Mill, Tittagudi is very near Pennadam which enshrines the world renowned Sri Vaithyanathaswamy Temple.

There are many Colleges and Schools in and around Pennadam. People from several villages in and around Pennadam depend solely upon this Pennadam Station for their rail approach. Earlier both Pallavan Express (12605/12606) and Vaigai (12635/12636) had a stoppage at Pennadam Railway Station (PNDM). Unfortunately no train stops in the entire Tittagudi Taluk at present. Therefore I request the Hon'ble Minister to kindly issue necessary orders for the stoppage of Pallavan Express (12605/12606) and Vaigai Express (12635/12636) at Pennadam Railway Station (PNDM).

2. It is really unfortunate that the Antyodaya train service is being denied to the people of Cuddalore District, as it does not stop throughout Cuddalore District. Cuddalore Town is the District Headquarters and is

one of the busiest commercial centres in Tamil Nadu. I request you to kindly take necessary steps to provide a stoppage for the new Antyodaya Train (16191/16192) either at Tirupadiripuliyur (TDPR) Railway Station or at Cuddalore Port Junction.

3. I would also request the Hon'ble Minister to introduce additional trains in this Chennai-Tiruchirappalli line as all the trains are jam-packed and people of this region find it very difficult to get reserved tickets to travel to and from both Chennai and Tiruchirappalli.

(xxi) Regarding alleged sale of fake medicines

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): It is astonishing to know that WHO report has stated that one out of 10 medicines sold in India are fake. This is last year's Report. (News Item in The Pioneer dated 19th June, 2019— No more Sham Drugs! Checkout just a call away). There is a need to keep tabs on top 300 branded drugs, syrups and vials of at least 66 pharma firms, including MNCs like Lupin Ltd., Cipla Ltd., Dr. Reddy's Lab, Novo Nordisk India Pvt. Ltd., Novartis India Ltd. and Sun Pharma. Isn't it disturbing? How can the Government put the people of our country in danger by allowing these major MNCs and other companies to sell fake medicines in the market. What is the mechanism in place to monitor in order to ensure these major ten fake medicines are not sold in India by the said MNCs and other companies?

(xxii) Regarding citizenship issue in Assam

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): It is a matter of grave concern that lakhs of Bengali-speaking residents of Assam are allegedly being discriminated in NRC (National Register of Citizens) processed by local Government. They are suspected to be excluded from the list of Indian Citizenship on the ground of delay in application and many other reasons. Henceforth, those citizens are likely to become stateless. Chief Minister of West Bengal has expressed her concern over it. Even the special rapporteur of United Nations asked the Government to reply to their observation. We want to know the ground reality.

**(xxiii) Regarding restrictions on high rise buildings near
Santa Cruz Airport, Mumbai**

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): Air safety is critical to the national security and economy. Estates around airports have become scarce, valuable resource for industry. Large airport projects such as new runways at Mumbai, Delhi and other upcoming new airports demonstrate the conflict potential between urban planning and air traffic operator's interests. The Slum rehabilitation projects require vertical space to utilize the FSI granted to make the projects viable. Due to increasing cost of land and the new DC Regulations restricting horizontal expansion, going vertical is the only option. But the Airport regulations laid out in GSR 751 (E) by MOCA have not taken into account the growing need for vertical space for meeting the mission of 'Housing for all'. For that a proposal is required to create an accurate, intelligent electronic database, 2D-3D database of buildings/obstacles around 10km of Santa Cruz Airport in Mumbai using high resolutions satellite imagery to establish the current density of buildings along with their existing heights for better planning and intelligent decision making. This eTOD shall portray the terrain and obstacle data in combination with aeronautical data, as appropriate on a secure web application. A prototype can be viewed on: <http://www.prithvipraroop.net>. Regarding the Instrument flight procedures in Mumbai, we might maybe have a look to steeper approach, going from 3° up to 3.2° or 3.3°. Several airports in the world have these kinds of trajectories and it might provide

better clearance. Also there is a need to expedite PBN implementation which provides more accurate guidance for minor investment (as India already have its own SBAS coverage with GAGAN). It might be a good solution to equip RWY14/32 with vertical guidance without investing in a costly ILS.

Needless to say I would like to suggest that steps be taken in this regard beginning with Mumbai, which is currently having the maximum number of problems in terms of restriction on high-rises due to increasing Air traffic density at Santa Cruz Airport.

**(xxiv) Regarding re-framing of bank note refund rules by
the Reserve Bank of India**

DR. P.K. BIJU (ALATHUR): Banks are finding it impossible to exchange soiled Rs. 200 and Rs. 2000 banknotes as the rules governing their exchange are yet to be amended. The exchange of soiled, mutilated and imperfect notes are governed by Reserve Bank of India (Note Refund) Rules, a part of Section 28 of the RBI Act, which only specifies currency notes of Rs. 5, Rs. 10, Rs. 50, Rs. 100, Rs. 500, Rs. 1,000, Rs. 5,000 and Rs. 10,000 denomination. The Rs. 2000 notes were issued post demonetisation in November 2016 and the Rs. 200 note started trickling down to the masses from September 2017 onwards. Only after the note-refund rules are reframed, RBI offices and designated banks will accept soiled notes for exchange and give a refund whose value may vary with the nature and extent of damage of the soiled note. The public, especially poor people, farmers, small scale vendors etc are finding it very difficult to deal with the situation. I urge the Government to take urgent steps to re-frame note-refund rules by RBI for Rs. 2000 and Rs. 200 notes as early as possible.

(xxv) Regarding release of funds under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Bihar

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप बिहार में मनरेगा योजना का 50 प्रतिशत काम अब पंचायत समिति के द्वारा कराया जाएगा। पहले यह कार्य ग्राम पंचायतों के हवाले था। किन्तु अब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद के पास विकास का कोई काम नहीं रह गया है। क्योंकि मनरेगा का कार्य जिला परिषद के पास नहीं रहेगा। यह स्थिति 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के कारण बनी है। अतः जिला परिषद से निर्वाचित जनप्रतिनिधि सड़क निर्माण में एक से दूसरे ब्लकों को नहीं जोड़ पाएंगे, जिससे विकास कार्य बाधित होगा। मेरा अनुरोध है कि जिला परिषद के सदस्यों को मनरेगा से एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कराने का अधिकार प्रदान किया जाए।

बिहार में 2 करोड़ 25 लाख 28 हजार मनरेगा मजदूर हैं। 1 करोड़ 54 लाख 33 हजार परिवारों को जॉब-कार्ड तैयार किया गया है। राज्य में सक्रिय जॉब-कार्डधारी मजदूरों की संख्या 3,88,000 है, जबकि कुल सक्रिय मजदूरों की संख्या 47 लाख 9 हजार है। मनरेगा के तहत 100 दिनों की रोजगार और काम की गारंटी है, किन्तु बिहार में 30 दिन का भी काम नहीं मिल रहा है। साथ में यह भी कहना चाहता हूँ कि बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरी 163 रुपये है, जबकि सबसे ज्यादा 500 रुपये केरल में है। इसका पुनः निर्धारण होना चाहिए, क्योंकि महंगाई दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है और बिहार में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी देश में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है।

साथ ही सरकार से बिहार राज्य को मनरेगा के तहत बकाया राशि 341 करोड़ रुपये को निर्गत करने का आग्रह करता हूँ। क्योंकि पहले के कई वित्त वर्षों का भी बकाया शेष राशि निर्गत नहीं की गयी है। इसका परिणाम है कि बिहार में मनरेगा मजदूरों को पिछले तीन वर्षों से मजदूरी नहीं मिली है। मजदूरों का

राज्य में पलायन हो रहा है। मजदूरों के परिवार भुखमरी के कगार पर है। अतः बिहार को मनरेगा के पिछले सभी बकाया राशि को निर्गत किया जाए।

(xxvi) Regarding upgradation of ESIC hospital in Hisar Parliamentary Constituency, Haryana

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): The Employees' State Insurance Scheme provides medical facility to the insured beneficiaries and also to their dependents. In Hisar Lok Sabha constituency, there are five ESIC dispensaries functioning including two in Hisar city but without adequate number of medical officers, nurses, para medical lab and beds for inpatient. There should be at least five medical officers, four nurses and other para medical staff available in each dispensary as per the norms of ESIC. All these dispensaries cover more than 65000 beneficiaries who have enrolled themselves under ESIC. Further, there is a hospital building adjacent to Hisar city dispensary, functioning as diagnostic centre. However, at present only manual lab is functioning which undertakes normal routine tests and there is a need for digital diagnostic system in this dispensary. Therefore, I urge the Government to upgrade the existing hospital building in Hisar city and convert the same into 50 bedded hospital placing adequate number of medical officers, para medical staff and fully digital diagnostic laboratory system.

**(xxvii) Regarding construction of Angamali-Erumali Sabari
Rail Project in Kerala**

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): The construction of the Angamali-Erumeli Sabari Rail project was commenced in the year 2006. During the past 16 years, only 8 kilometers out of 116 kilometers could be constructed, due to many reasons including the inadequate allocation of funds. Detailed estimate has been sanctioned for the establishment of railway line from Angamali to Perumbavoor for a length of 17 km's in the year 2014. The railway ministry has allocated an amount of Rs. 67 crores, Rs. 213 crores and Rs. 220 crores in the year 2016-17, 17-18 & 18-19 respectively. So an amount of Rs. 500 crore is available for the said project from the Central Government as of now. However, there is no progress in the work as of now and the land owners who are supposed to give up their land are in limbo. So urgent intervention of the Government is requested in this matter.

(xxviii) Regarding constituting committee under ICCR

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The failure of ICCR to constitute the empanelment committee caused trouble to young artist in the country. The youths are the cultural ambassadors of the country and it is through them the various art forms of the country are spreading across the world. The norms fixed by the ICCR for the empanelment are also not acceptable. The stringent conditions imposed for presentation of video specifically made for the empanelment create additional burden to the applicants. It is very difficult for the eminent youth artist from economically backward class to submit application for empanelment. The situation is very bad and results in denying the opportunity to art ambassadors of the country to spread the different forms of Indian arts across the world.

Hence, I urge upon the Government to initiate immediate action to constitute the empanelment committee under ICCR and relax the condition for submitting application for empanelment.

14 23 hrs

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF INSOLVENCY AND
BANKRUPTCY CODE
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2018
AND
INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE
(SECOND AMENDMENT) BILL, 2018**

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, let us take Item Nos.21 and 22 together.

Shri N.K. Premachandran.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

“That this House disapproves of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2018 (No. 6 of 2018) promulgated by the President on 6th June, 2018.”

THE MINISTER OF RAILWAYS, MINISTER OF COAL, MINISTER OF FINANCE
AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, I beg to
move:

“That the Bill further to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, be taken into consideration.”

Hon. Deputy-Speaker, Sir, after years of lethargy in recovering bank loans, finally we now have a new law, the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, which

has started bringing very big bank defaulters to the book, to their knees, and make banks recover loans from them.

उपाध्यक्ष महोदय, वर्षों से हम सब ने यह बात सुनी है कि जब कोई हजार रुपये, दस हजार रुपये या दस लाख रुपये जैसा छोटा लोन लेता है, तो उसके सिर पर यह बोझ रहता है कि उसे वह लोन वापस देना है, बैंक का पैसा वापस करने की उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई व्यक्ति पांच हजार, दस हजार या पचास हजार करोड़ रुपये का लोन लेकर उसे बैंक को वापस न दे और यह समझे कि अब यह तो बैंक की मुसीबत है कि वह कैसे पैसा वापस ले और अपने आप को जिम्मेदारी से मुक्त समझे और उस पैसे को वापस लेना बैंक की जिम्मेदारी बन जाए, यह बड़ी विडंबना थी। यह भारत के बैंकिंग सिस्टम के साथ बड़ा घोर अन्याय था।

महोदय, ऐसी परिस्थिति में पहले कई प्रयोग किए गए। सरफेसी एक्ट, बी.आई.एफ.आर., सिक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक्ट (सिका) और डी.आर.टी. (डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल) जैसे अलग-अलग प्रकारों से अलग-अलग सरकारों ने कोशिश की जिससे कि बैंकों का पैसा वापस आए और इसके लिए सख्त कानून लाया जाए। ऐतिहासिक तौर पर देखें, तो लगभग वर्षों-वर्षों तक मामले टलते रहते थे। वर्षों-वर्षों तक बैंकों का पैसा वापस नहीं आता था। यह भी देखा गया कि जब तक वह पैसा लेने के लिए एसेट्स को सीज़ किया जाता था या उनकी नीलामी होती थी, तब तक उनकी इतनी कम वैल्यू रह जाती थी कि कभी 15 परसेंट या कभी 20 परसेंट पैसा ही मिलता था, बहुत कम मात्रा में रिकवरी हो पाती थी।

इस सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय का गहराई से अध्ययन किया। पूरे विश्व भर में इंसोल्वेंसी का टाइमबाउंड सोल्यूशन है। किस तरह से बैंक्स को एक्शन लेना चाहिए, कैसे एसेट्स की नीलामी होनी चाहिए और उस नीलामी के माध्यम से कैसे अधिकांश पैसा बैंक्स को वापस मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए यह इंसोल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड बिल लाया गया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्धारित किया गया कि जो बड़े बैंक्स के लोन डिफॉल्टर्स हैं, उनके अकाउंट्स की एसेट क्वालिटी को

रिव्यू करे। उस एसेट क्वालिटी रिव्यू के माध्यम से पहले 12 बड़े अकाउंट्स, उसके बाद 28 अकाउंट्स को नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल में डालकर रिकवरी के प्रोसेस को शुरू किया गया। अभी तक का अनुभव अच्छा रहा है। जितने केसेस रिकवरी में गए हैं, जिनका एनसीएलटी से रेजोल्यूशन हुआ है, उसमें क्लेम अमाउंट का 55 प्रतिशत सीधा बैंकों के पास वापस आ गया है। इसके अलावा कुछ नॉन ऑप्रेशनल क्रेडिटर्स थे, उनको भी पैसा मिला। बैंकों को कुछ इक्विटी मिली। जब उन कम्पनियों में मुनाफा होगा तो उससे बैंकों को भी कुछ कमाई हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हजारों-लाखों लोगों की नौकरी इससे बची है, उनका रोजगार बचा है, क्योंकि कम्पनियां बंद होने से बची हैं।

महोदय, यह स्वाभाविक है कि जब भी कोई बड़ा कानून बनता है और बदलाव होते हैं, तो उससे समय-समय पर कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इस कानून को बने दो वर्ष हो गए हैं। इस समय में जो अनुभव हुए हैं, उनके आधार पर हमें कुछ सीख मिली है। माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने इस सदन में यह कानून पारित करते समय कहा था कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो भी अनुभव होंगे, उनके आधार पर समय-समय पर संशोधन करके इसको मजबूत बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी श्रृंखला में आज बिल में जो अमेंडमेंट्स मूव किए गए हैं, उन अमेंडमेंट्स को हम सदन के सामने लेकर आए हैं। कुछ अनुभव ऐसे थे, जिनमें कई कम्पनियों को रिजोल्व करने में दिक्कत आ रही थी, अब इस अमेंडमेंट के माध्यम से खास तौर से एमएसएमई सेक्टर में रिजोल्व करने की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की गयी है। कुछ प्रमोटर्स के ऊपर और सख्ती बरतने की जरूरत थी, खास तौर से जब उन्होंने कुछ कॉरपोरेट गारण्टी दे रखी है। लोगों के मन में पहले धारणा थी कि अगर कम्पनी इंसोल्वेंसी में चली गयी तो Personal guarantee will no more stand and proceedings under that will fall. हमने इस कानून में संशोधन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि पर्सनल गारण्टी जिन लोगों के ऊपर है, उन पर कार्रवाई नहीं रुकेगी, वह चलती रहेगी। इसी प्रकार से एमएसएमई सेक्टर, जो छोटे उद्योग होते हैं, उनके माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। उन एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ प्रावधान

किए गए हैं और सहूलियतें दी गयी हैं। Some concessions have been given to the MSME sector. एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि होम बायर्स का है, उन्हें बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के रूप में नहीं लिया जाता था जिससे उनका पैसा डूब सकता था। जिन्होंने अपने खून-पसीने की कमाई से घर खरीदा है और वह रियल एस्टेट कम्पनी डिफॉल्ट में चली गयी है तो उन होम बायर्स को प्रोटेक्ट करने के प्रावधान भी लाए गए हैं। इसी प्रकार से कुछ क्लैरिफिकेटरी प्रावधान हैं कि अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियल इनवेस्टर के रूप में एनपीए खरीदता है या डिस्ट्रेस एसेट्स खरीदता है तो आगे चलकर कोई दूसरा एसेट खरीदने में उसको डिसक्वालिफाई नहीं किया जाएगा। Strict reading of law से अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रेस एसेट्स खरीदती है और रिजोल्व करने जाती है तो उनको यह तकलीफ आती थी कि वे एक खरीदने के बाद दूसरी के लिए इनएलिजिबल हो जाते थे। इस प्रकार के कुछ क्लैरिफिकेशन्स लाए गए हैं।

इसमें एक और प्रावधान किया गया है। इसी सदन में जब पिछली बार डिबेट हो रही थी, तब कई माननीय सांसदों ने और श्री प्रेमचन्द्रन जी, जिन्होंने इस आर्डिनेंस को अपोज किया है, उन्होंने एक वक्तव्य सदन में दिया था कि 26 प्रतिशत creditors can block the resolution of any asset और उससे हजारों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा कि ऐसी स्थिति में वहां क्या किया जाता है। तब हमें मालूम हुआ कि यू.के. में अगर 51 प्रतिशत करते हैं तो उस रिजोल्यूशन को एक्सैप्ट कर लिया जाता है। इन सब अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को देखते हुए सरकार को लगा कि पहले के प्रोविजन्स अगर हार्श हैं तो उसमें भी थोड़ी-बहुत छूट देकर ज्यादा से ज्यादा एसेट रिजोल्यूशन में जाया जाए और लोगों को उनकी नौकरियों से बचाने के लिए अधिकांश कदम उठाए जाएं। अतः इसे प्रमुख रखते हुए इन संशोधनों को मैं इस अगस्त हाउस में सबमिट करता हूं और इस पर अगस्त हाउस और सभी माननीय सांसदों का समर्थन भी चाहता हूं।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to oppose the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance and the Insolvency and Bankruptcy (Second Amendment) Bill, 2018. Sir, I fully agree with the observations which have been made by the hon. Minister that the homebuyers have been benefited by this. When the real estate companies become defaulters, the creditor or the person who has already paid the money will be put at par with the secured creditors of bank or the lenders. I agree that this is definitely a welcoming provision. Regarding MSME also, it is an appreciable and a welcoming step on the part of the Government. Giving some exemption to the MSME sector is also appreciable. But I would like to appeal to the Hon'ble Minister to kindly clarify and explain the urgency in issuing an Ordinance. That is the main point that has to be considered in the promulgation of an Ordinance.

Sir, according to me, in this case, the promulgation of an Ordinance is a clear case of crony capitalism. It is just to benefit a particular industry or a company. That is the allegation I would like to level in this case. It is not for the sake of the real estate, homebuyers etc. It is not for the MSME. It is just to safeguard the interests of a particular industry so that, that particular industry is not able to have a purchase of a particular company in the case of default.

The main question to be considered by this hon. House is whether an Ordinance can be promulgated in order to protect and safeguard a particular company. Sir, it never happened in the history of Indian Parliament. I would like to

say that this is clear case of misuse or abuse of the Constitutional provision, that is, Article 123. So many times, I have explained the provisions of Article 123 and I am not going to repeat the same. Article 123 can be applied only in the case of extraordinary circumstances or compelling circumstances by which the Government is forced to promulgate an Ordinance. This is a very specific Constitutional provision. The main point which I would like to raise is how this Article 123 is applicable in this case.

The Government is undermining the authority of the Parliament to provide undue advantage to a particular company through the promulgation of an Ordinance. Is there any emergent situation in promulgating an Ordinance? On whose demand is this Ordinance being promulgated? According to the principle of jurisprudence, whenever there is a social demand, the legislation is originated. I would like to know from the hon. Minister what social demand has forced the Government In this case to come out with the promulgation of an Ordinance. Sir, legislation begins as and when the society demands.

Yesterday, we approved an Ordinance and we have also passed the Criminal Laws (Amendment) Bill. I withdrew the Resolution. Why did I withdraw the Resolution? I think the compelling circumstances have necessitated the Government to issue an Ordinance to address the issue of the safety of women and children in the country.

Yes, a substantive reason is there. Therefore, I have withdrawn the Resolution. But kindly enlighten this House as to what is the compelling circumstances to issue an Ordinance under Article 123 in the case of Insolvency and Bankruptcy Code Ordinance. This is the question to be answered.

What is the real content of the Ordinance? You may kindly see. The existing provision of the Insolvency and Bankruptcy Code, Section 30 (4) is the crux of this Bill. But the hon. Minister may kindly see whether it is deliberately omitted or it is an illegal drafting, I do not know. If you go through the Statement of Objects and Reasons, this part is missing. I will quote Section 30 (4), which states that :

“...The committee of creditors may approve a resolution plan by a vote of not less than seventy-five per cent of voting share of the financial creditors...”.

This is the existing provision in Section 30 (4), which means that a Resolution Plan should be accepted by not less than 75 per cent of the vote share of the Committee of Creditors. This is the existing provision when Shri Arun Jaitley has piloted this Bill before this House and it is pending.

What the hon. Minister has said is absolutely correct that I raised the Point of Dispute at that time. My contention was that the Insolvency and Bankruptcy Code is always dominating the minority by majority. This is the contention that I had made, but in this case the issue is entirely different. You may please see that this is a mandatory provision because if you want to take over a company and if the

Resolution Plan has to be approved by the Committee of Creditors, then the Committee of Creditors has to accept it and there this 75 per cent vote share is required.

I am citing the example to point out why this is an abuse or misuse of Article 123. This is the point that I would like to substantiate by citing this example. Alok Industry owes the banks an amount of Rs. 30,000 crore. The Reliance Company took over the company for Rs. 5,000 crore. The bank sacrificed Rs. 25,000 crore, which means that Reliance has got Rs. 25,000 crore of benefit out of the public money.

Sir, please see the background of the situation. When the Reliance Company has approached the Committee of Creditors, they did not get the required 75 per cent of votes. They only got 72 per cent votes. So, Reliance Company could not take over Alok Industry. Now, what have they done? They have waited for the Ordinance, and the Ordinance has come. Subsequent to the Ordinance, now the 75 per cent threshold vote share has been reduced to 66 per cent by which definitely any company can be taken over and the Insolvency Plan can be approved. This means that this Ordinance is being issued only for the sake of benefiting a particular Company or interest of a particular corporate. ... *(Interruptions)* Is it fair on the part of the Parliament? Is this Parliament for enunciating or approving an Ordinance, which has been issued just to benefit the corporates? What is the urgency in making this Ordinance? You kindly enlighten

us, and I will withdraw it as I have withdrawn the Resolution yesterday. Today also, I am ready to withdraw the Resolution if you can enlighten us about it.

On 6th June 2018, the Insolvency and Bankruptcy Code Ordinance is promulgated. For whom was it done? Rs. 30,000 crore worth debt liabilities came down to Rs. 5,000 crore. What is the haircut? The haircut is Rs. 25,000 crore. What is the percentage in it? It is 83 per cent haircut. The total liability was Rs. 30,000 crore; it has been adjusted; this Insolvency Plan has been approved; and as a part of approval 83 per cent haircut has been given. It is looting the public money. Bank money means that it is money of the public. What about the farmers? What about the educational loans? What about the students? At the time of the UPA Government, Sir, you may be remembering, that the total amount for waiving off due to death of farmers was less than Rs. 1 lakh crore. Here, in one case, minimum of Rs. 25,000 crore haircut is being allowed.

Coming to the second case, in the case of Bhushan Steels, the loan outstanding referred to the National Company Law Tribunal (NCLT) was ... *(Interruptions)* I do not know these companies and these persons, but only from the records I am saying this. ... *(Interruptions)*

In the case of Bhushan Steels, the loan outstanding referred to the National Company Law Tribunal was Rs.56,000 crore. Tata Steel has taken over the company for Rs.32,500 crore. The NPA account is closed; everything is settled; Bhushan Steel is relieved from all the liabilities, and Tatas gained Rs.21,000 crore.

The haircut is 40 per cent. Sir, Rs.21,000 crore benefit is given to Tata Steel with its taking over this company and the insolvency plan has been approved.

Then, I come to the Electro Steel deal. Bank dues were Rs.13,600 crore; Sterlite has purchased it for Rs.5,320 crore and the bank has sacrificed Rs.8,400 crore. Vedanta company has gained Rs.8,400 crore. Here, the haircut is 60 per cent. This is only the beginning. More such deals will follow. The Government is keen to bail out all these corporate defaulters at the cost of the peoples' money in banks. This is going to happen in the country.

If this loot is allowed, if the loot of the public money is allowed to continue in India, India will become the capitalist republic and will not be a democratic republic. That will be the fate of this country. This is going to happen if this is going to continue in our country.

Promulgation of the Ordinance is unfair, unjust and unconstitutional. Why? Article 39(3) of the Constitution states and I quote: "The State shall, in particular, direct its policy towards securing that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment". This is Article 39(3). This Ordinance is detrimental to the common interest and would result in the accumulation of wealth in few individuals or few companies. Therefore, it is against the principles of the Directive Principles of State Policy as envisaged in Article 39(c) of the Constitution.

The hon. Minister has already made his opening remarks on the original Insolvency and Bankruptcy Code. It was enacted in 2015. It has come as a law in January 2016. Mr. Deputy Speaker Sir, you may be remembering that at that time also the entire Opposition of this House has raised its voice demanding that the Insolvency and Bankruptcy Code should be sent to the Standing Committee on Finance or a Joint Committee because 11 Statutes were getting amended; two Acts were getting repealed; and more than 252 clauses were there in the Bill. Such a huge Bill was not being sent to the scrutiny of the Standing Committee. We have all demanded for sending the Insolvency and Bankruptcy Code Bill to the Standing Committee.

It is the consolidation of laws relating to reorganisation and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner. That is the main purpose of the Insolvency and Bankruptcy Code. At the time of introduction of the Bill, we have suggested that such a huge Bill should be sent to the Standing Committee for close scrutiny but the Government has not cared to heed the demand of the Opposition. An undue haste and undue hurry have been shown by the Government in getting the Bill passed at the earliest.

The Bill was passed in December, 2015; it was notified in January, 2016. Within two years from the date of passing the Bill in Parliament, two Ordinances on the same Bill have been promulgated, that is, the first Ordinance on the 23rd November, 2017; and the second Ordinance on the 6th June, 2018.

What does it indicate? The Government has not applied its mind in-depth regarding various provisions of the Bill. That is the indication. It is very clear. The views expressed by the Opposition at the time of introduction of Bill is fully vindicated by bringing two Ordinances within two years from the date of notification or coming into effect of this Bill. There was no long-term perspective and no in-depth thinking in bringing this Insolvency and Bankruptcy Code Bill.

Sir, no transparency and bona fide intention were there in bringing this legislation. That is why, I have said in my opening remarks that the basic principle of jurisprudence in making these amendments is lacking. A bona fide intention is lacking. We want an explanation from the Government as to why the threshold of 75 per cent vote share of the Committee of Creditors has been brought down to 66 per cent. The Parliament is not meant to protect the individual corporate's interest. This Ordinance and the Amendment Bill is an abuse of the provisions of the Constitution to protect 'crony capitalism'. Hence, I strongly oppose the Ordinance as well as the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motions moved:

"That this House disapproves of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2018 (No. 6 of 2018) promulgated by the President on 6th June, 2018."

and

"That the Bill further to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, be taken into consideration."

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, काश यह बिल यहाँ पर पेश करने की नौबत नहीं आती, काश एन.पी.ए. शब्द अस्तित्व में नहीं होता, काश मेरे सहयोगी मित्र प्रेमचन्द्रन जी को इस प्रकार से अपना रेजोल्यूशन मूव करने की इच्छा नहीं होती, अगर हमारे मित्रों ने दस साल के समय में जनता का पैसा, बैंकों का पैसा, गवर्नमेंट के बैंकों का पैसा लुटा नहीं दिया होता तो यह नौबत ही नहीं आती।

हमारे सहयोगी प्रेमचन्द्रन जी का बहुत ही सिन्सिअर व्यक्तित्व है। वे जिन-जिन कम्पनियों का नाम ले रहे थे, मैं अपने मित्र, भाई पीयूष गोयल जी से प्रार्थना करूँगा कि वे अपने उत्तर में यह जरूर बतायें कि उन कम्पनियों को कर्जा किसने दिया, कब दिया और किस प्रकार से दिया। अगर वे यह जानकारी प्रेमचन्द्रन जी को दे देंगे तो बेहतर होगा...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कब दिया?

डॉ. किरीट सोमैया : आप फिर आगे बढ़कर यह कहेंगे कि क्यों कर्जा दिया, वह पैसा कहाँ-कहाँ गया, किस-किस के पास वह पैसा गया, आप मुझसे यह सब पूछने लगेंगे।

वास्तव में, पीयूष जी एक अच्छा काम कर रहे हैं। वे एक बहुत ही सुन्दर रेजोल्यूशन लेकर आए हैं। मुझे यह पता है कि जब वे इंट्रोड्यूस कर रहे थे और कुछ उदाहरण भी दे रहे थे कि India is a story of growth. There is no doubt about it, लेकिन इस ग्रोथ के साथ में अगर हम संयम बरतें तो यह स्थिति नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पाँच-छह साल के लिए आई। उस समय वापस एन.पी.ए. पर कंट्रोल आया था। मैं दूसरा एक उदाहरण देता हूँ कि housing loan is one of the major contributors in development, growth and credit. उसमें इस प्रकार की नौबत नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ पैसा लुटा नहीं दिया जाता है। वहाँ पर पैसा देने के बाद में किकबैक, वापस नहीं लिया जाता है। उसके कारण लोन प्रमाणिकता से बंटता है और प्रमाणिकता से री-पेमेंट होता है। This is also one of the ways to handle or tackle bad loans. पहले जब हमारे पास यह समस्या आई तब हमारी कोई सरकार नहीं थी, कोई मंत्री नहीं था, Then, at that time,

BIFR was introduced. We tried to sort out this problem through BIFR. But after seeing the result of BIFR, we came to know that it has miserably failed. उसके बाद दूसरा यह किया कि दिवाला निकालो, लिक्विडेशन में जाने दो और लिक्विडेशन में क्या स्थिति है, उसके बारे में हम सबको पता है। दस-दस साल लिक्विडेटर बैठा रहता है, कंपनी की जो ऐसेट है, वह वैसी की वैसी पड़ी रहती है। मैं पीयूष जी और आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मुझे याद है कि हमने मुंबई की एक उदय आचार्य सीयू मार्केटिंग कंपनी का इसी प्रकार का घोटाला निकाला था।

उस कम्पनी का मालिक अरेस्ट हो गया। पुराने मुम्बई एयरपोर्ट के सामने हाईवे पर बाहर निकलने पर ही एक होटल है। उसमें एक बड़ा स्टैचू लगा हुआ है। अगर आप अभी भी वहां जाएंगे तो वह आपको दिखेगा। बीस सालों से उसके ऊपर लिक्विडेटर बैठा है। वह जो बिल्डिंग है, वह वैसी-की-वैसी ही खत्म हो गई। हमें क्या करना है? समस्या आप पैदा करते हैं और समाधान के लिए अगर मोदी सरकार प्रयत्न करती है तो उसमें कहां-कहां त्रुटियां हैं, उसके बारे में भी देखना पड़ेगा। हमने पहले ही कहा कि हम एक नया कानून ला रहे हैं, एक नया प्रस्ताव ला रहे हैं। It is resolution, try to understand.

महोदय, इन्होंने भूषण स्टील का उदाहरण दिया। मैं इन्हें भूषण स्टील का उदाहरण वापस देता हूँ। हम भूषण स्टील का क्या करें? वह बैंकों, लोगों, फिक्स्ड डिपॉजिटर्स, सीनियर सिटीजेंस के 60 हजार करोड़ रुपये लेकर गई है। आज वह उसे चलाने की स्थिति में नहीं है। वह कम्पनी दस सालों से बैंक डेट हो चुकी है। दस सालों से कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्या मैं 60,000 करोड़ रुपये ऐसे ही डूबने दूँ? उसकी ज़मीन है, कारखाने हैं, मशीनरी हैं, कर्मचारी हैं, उन सबका क्या करूँ? क्या मैं वैसे-का-वैसे करके उसे जीरो कर दूँ? मेरा तो देश प्रगति कर ही रहा है। सात-आठ प्रतिशत से प्रगति कर रहा है। हमारे यहां तो नया स्टील कारखाना लगने ही वाला है। Is it not a prudent way कि भैया, यह कम्पनी तो वैसे भी डूब ही रही है तो क्या मैं उसको बचाऊँ? चाहे वह टाटा स्टील हो या बाटा हो, हमें उससे कोई

लेना-देना नहीं है। Whoever will come, हम किसी को गुपचुप लोन नहीं देते हैं। हम ओपेन ट्रांसपैरेंट बिडिंग करके, बिड मंगाते हैं। उसमें रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स और एन.सी.एल.ए.टी. फाइनल करते हैं। उसमें पीयूष गोयल जी और अरुण जेटली जी उसे फाइनल नहीं करते हैं। अगर उसके कारण भूषण स्टील के 35,000 करोड़ रुपये वापस आते हैं तो आपको इसका स्वागत करना चाहिए। आपको हमारी सरकार के वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। मैं क्या करूँ? क्या मैं 60,000 करोड़ रुपये की जगह पर जीरो रुपये ले जाऊँ? मुझे वापस नया कारखाना तो लगाना ही है, क्योंकि फिर मैं नया प्रोडक्शन कहाँ से लाऊंगा? अगर मैं नया कारखाना लगाने जाऊंगा तो पाँच साल तो मुझे लैंड एक्वीजीशन में लगेगा, चार साल कॉस्ट एस्केलेशन में लगेगे तो क्या मैं नौ सालों तक वहीं खड़ा रहूँ? फिर मैं स्टील कहाँ से लाऊंगा? मुझे पूरे भारत में दस लाख करोड़ रुपये के मेट्रो के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। It is one of the best way. जो भी कोई लीडर है, उसने टाटा को इसे दे दिया। टाटा इसे छः महीने में शुरू कर देगा। इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। पाँच सालों में बैंको का जो नुकसान हुआ है, उससे ज्यादा वह सरकार के रेवेन्यू में भरपाई करके, लाखों नौजवानों को रोजगार देकर देश की प्रगति की दिशा में एक कदम आगे ले जाएगा। It is not only Bhushan Steel.

जैसे एस्सार स्टील की बात है। इस पर मुझे कभी-कभी हँसी आती है। आपने जिस कम्पनी को डूबा दिया, जो कम्पनी एक भी पैसा नहीं दे रही थी, दस सालों से बंद पड़ी है, उसे ही आज बिडिंग में प्रोमोटर पिछले दरवाजे से स्वयं खरीदना चाहता है। इसके बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप कहीं तो राजनीति करना बंद कीजिए और कहीं तो देश की अर्थनीति की दृष्टि से सोचिए।

मैं आपको बधाई देता हूँ और कहना चाहूँगा कि किसी ने कहा है कि आप एक अच्छा कदम उठा रहे हैं। किसी ने कहा है -

“जो सफर की शुरुआत करते हैं, वे मंजिल भी पा लेते हैं,
बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है,
क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं।”

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यह सोच रहे हैं कि हमारे सामने इसका अल्टरनेटिव क्या है? हम एक अच्छा प्रस्ताव इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से लेकर आए हैं। अमेरिका ने भी प्रयास किया था। पिछली बार जब यहां पर चर्चा हुई थी तो मैंने यू.एस.-64 का उदाहरण दिया था। हिम्मत करोगे तो आगे बढ़ोगे। जब अमेरिका में सब-प्राइम क्राइसिस हुआ था तो उसका हल किस प्रकार से किया गया? उसके लिए सारे पैसे वहां की सरकार ने डाल दिए। परन्तु, यह सरकार कोई पैसे नहीं डालने जा रही है। सरकार उसका कोई राष्ट्रीयकरण नहीं करने जा रही है, बल्कि सरकार यह कह रही है कि दूसरी अच्छी कम्पनियां आएँ और इसे शुरू करें। वास्तव में, what is the meaning of resolution? Liquidation versus resolution. आप लिक्विडेशन लेकर आए थे और हम रेजॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं।

Resolution is a positive thing. लिक्विडेशन यानी खत्म कर डालो, जो गया - वह डूब गया। 'चल दरिया में डूब जाए' और हम रिजोल्यूशन लेकर आए हैं। जो कंपनी बंद पड़ी है, उसको बचाएंगे, उसको चलाएंगे और नया रोजगार दिलाएंगे। मैं श्री पीयूष गोयल जी, श्री अरुण जेटली जी और माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे बैंक्रप्टसी कोड अमेंडमेंट बिल के द्वारा एक अच्छी चीज लेकर आए हैं। हाउसिंग के क्षेत्र में यह काफी अच्छी चीज है।

जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ हाउसिंग कंपनियाँ लोगों के पैसे लेकर डूब गई हैं। वहाँ कैसी स्थिति है, आप मुझे बताइए। लोग बैंकों से हाउसिंग लोन लेते हैं, अपना घर बुक करते हैं, अगर वह बिल्डर आधे रास्ते में रुक गया, केवल नई दिल्ली तथा नोएडा में लगभग दो लाख होम बायर्स के पैसे डूब गए हैं। एक ओर उनको घर नहीं मिला, अब उनका घर आगे बनने वाला नहीं है और दूसरी ओर जिन बैंकों ने लोन दिया था, वे इनसे अपना पैसा माँगते जा रहे हैं। मैं सरकार का स्वागत करता हूँ कि आप हिम्मत करके इस अमेंडमेंट के माध्यम से हाउसिंग में एक अच्छी कल्पना लेकर आए हैं। जिन्होंने अपना हाउस बुक किया था, उनको भी अपना क्रेडिटर-ट्रीटमेंट मिल रहा है। मैं पीयूष जी से प्रार्थना करूँगा कि

इस विषय में और चार कदम आगे जाना चाहिए। क्या इससे यह प्रश्न शॉर्ट-आउट हो जाएगा? अगर नहीं होता है तो I would request you to appoint an expert Committee. हम आगे भी उसको किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। हमारे सामने यह सपना होना चाहिए कि रियल इस्टेट में पार्टिकुलर्ली हाउसिंग इंडस्ट्री में जो बिल्डर्स डूबे हैं, जिन लाखों लोगों ने घर बुक किये हैं, मैं उनके हेयर-कट लेकर पचास परसेंट वापस भी दे दूँगा, यह सिर्फ पचास परसेंट का सवाल नहीं है। मैंने उसमें चालीस लाख रुपये दिये, बीस लाख रुपये वापस आएंगे, लेकिन मेरा जो घर बुक हुआ था, वह चार साल पहले के रेट से हुआ था। अगर मैं अभी घर बुक करने जाऊँगा तो मुझे डबल रेट देना पड़ेगा।

अब सरकार तीसरा तथा चौथा अमेंडमेंट लेकर आयी, क्योंकि हम रिजोलूशन को मानते हैं और लोगों की समस्या का समाधान करने में विश्वास करते हैं। उसी तरह से मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री के लिए आपने एक अच्छा कदम उठाया है कि उनको इस प्रोसेस से बाहर रखा है। लेकिन इसके साथ ही उसमें भी यह सोचना चाहिए कि हम इसको आगे और अच्छी तरह से कैसे ले जा सकते हैं। मैं दो-तीन अन्य चीजों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैंने कई बार आपसे बातचीत भी की थी।

अब मैं फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। अभी 20 से 50 कंपनियों का रिजोलूशन होने जा रहा है। उस रिजोलूशन में आप थोड़ा-सा और स्टडी कीजिए। मेरे पास कुछ फॉरेंसिक ऑडिट के रिपोर्ट हैं। मैंने लास्ट टाइम बिनानी सीमेंट का उदाहरण दिया था, उसने छह हजार करोड़ रुपये का एनपीए दिखाया और पच्चीस सौ करोड़ रुपये का स्ट्रेट-अवे कर लिया, यह फॉरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट है। उसने लिखा है कि Rs. 2500 crore have been siphoned off. हमें दुख इस बात का है कि प्रमोटर ने दूसरे किसी बिल्डर के साथ मिलकर उसकी बोली सात हजार आठ सौ रुपये की कर दी, लेकिन इसके लिए वह 25 सौ करोड़ रुपये चोरी करके भाग गया।

मैं आपको एक दूसरा उदाहरण भी देना चाहूँगा। इसमें मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यह भी करना चाहूँगा कि हमें बैंकरों से भी पूछना पड़ेगा कि क्या इसमें बैंकरों की कोई जिम्मेदारी है। हमारे फाइनेंस

कमेटी के चेयरमैन श्री एम.वीरप्पा मोइली जी अभी नहीं है। फाइनेंस कमेटी में भी इस विषय पर चर्चा हुई है कि हम रिजोलूशन तो करेंगे...(व्यवधान) हाँ, चेयरमैन, श्री एम. वीरप्पा मोइली जी हैं। We had discussed this issue in the Committee on Finance also that there has to be some accountability.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन भी आ गए हैं और हम भी आपके सामने बैठे हैं। ...(व्यवधान) जिन लोगों ने बैंकों को डूबाया है और रिजर्व बैंक ने जो रिपोर्ट दी है, वह भी आपको मालूम है।

15 00 hrs

डॉ. किरीट सोमैया: श्री मोइली साहब यहाँ बैठे हुए हैं। फाइनेंस कमेटी में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी कि we have to fix the accountability also. मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र मुलुंद के एक रियल एस्टेट कंपनी ने प्रधानमंत्री योजना के नाम से बड़ी बुकिंग शुरू की और उसे शुरू करने के बाद योजना को डूबा दिया।

बैंक का मुझे डेढ़ महीने पहले लेटर आया कि since 2014, they are defaulter. उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह जो टॉप 12 है, जिनमें रिजोल्यूशन हो रहा है, आपने निर्णय लिया, बैंकिंग सेक्रेटरी ने डिक्लेयर किया कि for Rs. 50 crore NPAs, we have asked all banks to take up forensic audit. फॉरेंसिक ऑडिट का क्या हुआ? जितने इस प्रकार के गफलत ध्यान में आए हैं, उन सबके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, मैं यह भी आपसे कहना चाहूंगा।

वर्ल्ड बैंक का मेरे पास एक आर्टिकल आया है। According to World Bank statistics, it took an average of 3.4 years to resolve a default account. जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आगे लिखा है कि इंडिया एक अच्छा प्रयास करने जा रहा है। प्रयास करते समय, जैसे-जैसे लोगों को विश्वास

में लेकर जहां-जहां जरूरत होगी, करैक्शन करने पड़ेंगे। मैं कुछ और लोगों के एग्जांपल नहीं देना चाहूंगा। मैं आपको कुछ सजेसंस देना चाहूंगा।

एक सजेशन यह है कि होल्डिंग कंपनी एंड सबसिडियरी कंपनी, अगर होल्डिंग कंपनी ने गारंटी दी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है। मेरे हाथ में एक एग्जांपल है कि एनसीएलटी के विरुद्ध कोई अपील में गया, अपीलिएट ट्रिब्यूनल ने 6 महीने पहले हियरिंग समाप्त कर दी, आर्डर रिजर्व्ड कर दिया, रिजोल्यूशन प्रोसेस अटक गया। ट्रिब्यूनल ने स्टे नहीं दिया है, लेकिन एनसीएलटी फाइनल आर्डर नहीं दे रहा है। हमारा यह अनुभव हर एक रेग्युलेटर में आया है, पॉवर रेग्युलेटर में भी आया है, कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर में भी यह अनुभव आया है कि जो ट्रिब्यूनल अनेक महीनों तक हियरिंग समाप्त होने के बाद भी आर्डर रिजर्व्ड रखती है, उस संबंध में आपको पार्लियामेंट की मदद लेनी चाहिए कि इसको किस प्रकार से टाइम बाउंड लिमिट में कर सकें।

एक और दूसरा सजेशन आया है कि जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, एक कंपनी है, उसमें रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की उम्र 80 ईयर्स है। एक बार करो, मैं यह नहीं कहूंगा, लेकिन साथ में यह कहूंगा कि इस संबंध में कोई न कोई, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे एक बात कही थी, उस दृष्टि से मिनिस्ट्री का एक नोटिस भी आया है। जो क्रॉस बार्डर इनसॉल्वेंसी है, जैसे एमटेक है या और भी कंपनियां हैं, तो उनको किस प्रकार से हम सार्ट आउट करेंगे, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा।

महोदय, मैं दो-चार सजेसंस देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इसमें इंटर रेग्युलेटर कन्फ्यूजन है। आरबीआई हो, सेबी हो, डीलिंग हो, तो इस संबंध में भी हमें आगे कुछ न कुछ करैक्शन करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक अच्छा प्रयास करने जा रहे हैं, रिजोल्यूशन करने जा रहे हैं। जो दस लाख करोड़ एनपीए है, उसमें more than Rs. 5,00,000 crore are as good as bad debts. ऐसी स्थिति है। उसमें से टॉप 24 में ही आप 2 लाख

करोड़ के आसपास का सॉल्यूशन लेकर आगे जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपको इसमें सफलता मिलेगी।

अंत में, मैं फिर से एक बार वही दोहराता हूँ कि “जो शुरुआत से सफर करता है, मंजिल तो पा लेता है”। कुछ तो लोग कहेंगे। आप कुछ भी कहोगे, करोगे। माननीय खड़गे जी, मैं आपका ध्यान चाहता हूँ।

कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

कोई जबरदस्ती गले मिलेंगे, तो कोई आंख मारेंगे।

हमें तो अपना काम करते रहना है।

HON. DEPUTY SPEAKER: Next, Shri M. Veerappa Moily.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, I just want to bring to your kind notice that after the Minister introduces the Bill and speaks, it is the prerogative of the opposition party to initiate the discussion. This is a wrong precedent. It is my request that it should not be clubbed like this. Let him raise the issues and those could be replied at the end. ... (*Interruptions*)

DR. KIRIT SOMAIYA: I have not said anything unparliamentary.... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, it is the right of the main Opposition Party to initiate the discussion. We are not given that opportunity and Members from other Parties have been allowed to speak in between. It is not a good thing.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL):

During the discussion in the BAC यह तय हुआ था कि आइटम नं 21 और 22 का डिस्कशन एक साथ किया जाएगा। जब डिस्कशन एक साथ होता है तो जो जिसके नाम पर रिजोल्यूशन है, वह इनिशिएट भी कर सकता है, इनिशिएटर हो सकता है, यह स्पीकर का डिसीजन था। ... (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: We will discuss it.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, it is misleading.... (*Interruptions*) I also attended the BAC meeting and it was never discussed.... (*Interruptions*) The hon. Minister knows that we do not discuss such things in the BAC.... (*Interruptions*) BAC only allocates time... (*Interruptions*)

SHRI M. VEERAPPA MOILY (CHIKKABALLAPUR): Mr. Deputy Speaker, Sir, the question raised by our Leader, Shri Kharge is about the right of the main Opposition Party to initiate the discussion. Kindly consider it in future.

The hon. Minister, Shri Piyush Goyal gave the contours of not only the amendments sought but also with regard to the entire Code. In fact, the NCLT is formed under the Companies Act, 2013. We brought out the most innovative Companies Law in this country and NCLT is one of those innovative policies which was taken by our Government at that time, apart from the Corporate Social Responsibility Fund. There are many other things and this is one such thing. There are now as many as 12 branches spread over the country to handle these things. We require clearer answers to particularly the turn of the questions which I would like to put across in this debate.

Does the highest bidder maximise value? This is the objective. It is not the question that you get the maximum money. What is not intended as the main objective is the recovery. What is intended is to maximise the value of an entity. All these things have been driven to the background and we think only in minute monetary terms. That is not the purpose. I happened to be the Corporate Affairs Minister when we drafted the Companies Law. This was the objective. Otherwise, there are recovery agents or recovery mechanisms. We tried so many mechanisms and some failed while others partly succeeded. I think this is the

extension of that, extension of the recovery principle. This is a very laudable objective. It is done.

The second question is, should the resolution process be changed to open bidding. This is what he has said. Of course, there is already a comment from one of the very important industrialists who just came to start an industry. In the beginning itself, he said that the Insolvency Law is a frustrate. This is the observation by one of the persons who recently wanted to come, open an industry and settle in India. This is the impression which has been created in the market world over.

How do you remove this kind of an impression? The idea is to have ease of doing business. This is one of the major ideas. But, is this helping us to facilitate ease of doing business? Rather, this kind of an arrangement is making the business difficult. This is a question on which we require total clarification. Why is the need for secrecy? It should be transparent and open. The country should know about it because it is a question of the trust money of the people of this country. How is the trust money of the people of this country being looted, exploited and mis-utilized? The people of this country would like to know about it. This has to be built into in this Code. That was the idea.

Then, should the High Court be excluded from the appeal process? Now, it is excluded. Why should it be excluded? There should be checks and balances at every stage. The idea is not to walk away with whatever you would like to have. If

you do not have checks and balances, the people will just loot the money and will go away. You will not be preventing it. But, for such things, there should be checks and balances.

Further, should the promoters be allowed to bid for their companies? That is another question. I am not responding to it. I think it is for the hon. Minister to answer this question and clarify. Should home buyers be treated as financial creditors? You have brought the amendment through Ordinance. You have given a partial answer. But, that is not just adequate. There are a number of things which are open for interpretation or defining it and again it will go to the court. When you are bringing a law of this kind, you need to define it properly with absolute clarity. Even though some answer is given to this question, but the answer is partial, confusing and it is with ambiguity. I will come back to you with some more details.

Then, are the minority shareholders protected? In the concept of democracy – whether of an entity or of any Republic – the minorities become important. If they are not protected, democracy is negated. The democracy is meant for such people who need protection. Like that, minority shareholders will have to be protected. They are neglected. I do not think that in the scheme of things, this has been addressed.

Another question is this. Are operational creditors protected? That is also in doubt. Then what happens to companies with overseas assets? The companies do not confine their operations not only to this country, but they also go abroad. What

happens to that? There is no answer for that. Do laws need alignment? It is mandatory for a resolution plan to comply with all provisions of the law. For instance, take the case of approval of shareholders under the Companies Act and SEBI for changes in capital structures under the Resolution Plan. As per the resolution, regulations approval under shareholder agreements and incorporation of accord documents are exempted. The shareholders may block any part of the resolution plan, especially matters such as capital reduction. Similar alignment is required between SEBI regulations regarding requirement.

It is not a standalone resolution. It cannot be. The company law is not a standalone law. It has to be aligned with SEBI, RBI and many others. After all, we are not working in a vacuum or in an isolated way or in a vertical way. In view of the fact that it is a company law connected with the financial regulations, it need to be connected and collated with others. The workload has increased in IBC immensely.

We also find that banks are increasingly resorting to IBC and NCLT. They are not taking any efforts on their own for recovery or resolution even though they have 180 days or 260 days time lag. In the interregnum period, they do not do anything or their creditors do not do anything. I feel they think that this is a God sent instrument and they resort to it.

They cannot afford to do it also because their decision making power itself is questioned by various agencies of this Government. They have created a fear-psychosis wherein decision-making power or a commercial decision taking power

of the banking institutions is threatened. Their autonomy is threatened. Earlier, there were Vigilance Commissions and now the CBI. Even the State Investigating Officers are also investigating. The Chairman of Maharashtra Bank was arrested by the State Government. I think tomorrow anybody can go to some court and obtain some warrant and any Chairman arrested or an Executive of a bank. This kind of uncertainty is there.

Then, of course, I will come to the larger question of how the banks are functioning. A stock answer with you is that the NPAs are all of previous legacy. But what have you done to correct that legacy except raising your hand? They are now amounting to Rs.11 lakh crore or Rs.12 lakh crore. I will come back to that. It is galloping. There is geographical progression now and not geometric progression. This is what is happening today.

The NCLT has become an easy instrument now. They feel that the corporate houses with deep pockets can bid for multiple distressed assets under the insolvency process without getting themselves disqualified under Section 29 of the Insolvency and Bankruptcy Act. They are free to do it. All these monopoly Acts have gone and now they have a free play including a defaulting party.

This is a holistic law. Your oratory power should match with your action. Of course, you have already faulted. We need to work on this in a holistic way. This Code was not referred to none of the Standing Committees. Of course, you have a readymade Joint Select Committee Chairman from the Rajya Sabha. You do not

have faith in the Lok Sabha. You do not refer the matter to us. Bhartruhari Ji, they do not have faith in anyone of us and particularly they do not have faith in the Standing Committee on Finance. We never used to do that. We invariably used to refer any financial Bill to this Committee. This was our legacy. I do not know whether it is a good or bad legacy. We used to refer all Bills to the Standing Committee on Finance.

I am sorry to repeat that I had to remind this House that when I was the administrative Minister of Corporate Affairs, I sent the Companies Law to the Standing Committee on Finance which was headed by the hon. Member, Shri Yashwant Sinha who was a former Finance Minister. We sent it to him and he raised some objections. Again, I sent it to him and third time also he did the same thing on various aspects. I again sent it to him. I had sent back four times that Bill to the Standing Committee on Finance. This is the real democracy. I think Bhartruhari Ji will agree because he was there in the earlier Committee and in the present Committee also.

We will have to accept it. But I find a sense of intolerance for the views of the Standing Committee for any number of Reports we give; for any number of recommendations we give. Of course, I do not intend to say that you only reject it which you cannot but by and large, 90 per cent of the recommendations are rejected. For any democracy to survive, sustain and to be nurtured we need to have the highest sense of tolerance. But I sent back the Report for review by the

Standing Committee on Finance four times when Shri Yashwant Sinha was the Chairman of the Standing Committee on Finance. I said that only after he approved the last sentence in the Company Law, I would adopt that and I did adhere to that statement.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The Government accepted all the recommendations of the Standing Committee.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: I accepted all the recommendations of the then Standing Committee on Finance. You have nothing to learn from that. This is the basic tenet of Parliamentary democracy. You may not agree.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: The present Finance Minister in-charge was also a Member of that Standing Committee on Finance.

SHRI M. VEERAPPA MOILY : That is correct. So, that was a bad legacy and what you are adopting now is the right legacy. I am just telling you that. Whatever it is, maybe, that is your style of running a democracy and this is our style of running a democracy. We leave it to the people to judge. I would not like to make any other comment except saying this.

Sir, here also this Bill after introduction was referred to the Joint Select Committee headed by an hon. Member from Rajya Sabha. The provisions of this Act had to be amended twice. Even today it is not perfect. How many times more would this Act have to be amended? That is why, people say that in the present state, the Insolvency Code is frustrating. It does not help business; it does not help

investment. I would like to know if this has helped in a pie of investment in the country after the introduction of the provisions of the Insolvency Code. The answer is 'no'. Think in the interest of the country. Please do not think in the interest of our Congress Party simply because we brought this law. Think of investment; think of future. I would like the Government to re-think on these aspects at least today. The Government should be fair enough to refer this Bill to the Standing Committee on Finance. It is not a matter of one or two questions. This cannot be an *ad-hoc* measure.

As has been mentioned by hon. Member Shri Premachandran, the Government got stuck up in NCLT in one case where the threshold limit has to be brought down to help that party. That is the only intention. That means that this Ordinance is tainted. How to remove that taint? It is not going to help you. There is a report and I do not know if you have gone through this Report or not. There is a report of the Insolvency Law Committee of March 2018 which was sponsored by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. The report runs into 100s of pages. The report has come out with several suggestions. The Government may go through the summary of the recommendations. There are recommendations proposing amendments to the subordinate legislation. You picked up only one suggestion from this. However, increase of the threshold limit was not a suggestion of this Committee. I think, the Government must be having its private Committee

from its own sources. I salute the Government. It is an outcome of your independent source and independent report.

You produce it before the Committee. At least let us go through it in the Committee. So, this does not help you at all. Of course, as far as home buyers are concerned, you have partially taken the suggestion mentioned in para 1.7 of page 17 of this Report. Home buyers are considered partially and not fully. There are so many other things here. My request to this House, through the hon. Deputy-Speaker, is to kindly refer this Bill to the Standing Committee on Finance along with this Report of the officials. Let it examine it and come out with a holistic Report. Where is the hurry now? ... (*Interruptions*) Is the time allotted to me over?

HON. DEPUTY SPEAKER: Yes, the time allotted to you is already over. But try to be brief and conclude your speech.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir, this is a very important discussion.

HON. DEPUTY SPEAKER: That is all right. Then you cut down the time of other speakers from your Party.

SHRI M. VEERAPPA MOILY : No, I do not want to take away the time of other Members.... (*Interruptions*) Shri Venugopal, the Government does not want a proper discussion. They want to bulldoze this Bill as they are anxious. There is greed behind this amendment. They want to respond to that greed.... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Come to the point, Shri Moily.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: They want to respond to that greed to loot the trusted money of the banks. What will happen to this Report? Should I tear it down here? Is there any value for this Report? Refer this Report along with this Bill to the Standing Committee on Finance and have a holistic approach. And majority Members are from your Party. All the 61 Reports given by me are unanimous. Nobody has disagreed with them. That does not mean that your Members are not thinking-people. They are thinking-people. There are very brilliant Members in that Committee including Dr. Kirit Somaiya. You know the nature of Dr. Kirit Somaiya. He is very dynamic and boisterous but when he comes to the Committee meeting, he is highly disciplined. ... (*Interruptions*) That is why, this requires to be referred to the Standing Committee. Have faith in democracy and the Committee system. The Committee system is a well tested system.... (*Interruptions*) When there is no time, what is the point in continuing?... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: It is not like that. You please come to the point. You have already told about the Committee system.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Then that means that till now I have not come to the point. If that is the remark of the Deputy-Speaker, then I cannot continue.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please listen to me. Your Party has been given 16 minutes. There are many other speakers to speak. Therefore, I am requesting you to be brief and try to conclude.

SHRI M. VEERAPPA MOILY : I am on the point only. I am not off the point. I have come well prepared.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir, he is the Chairman of the Standing Committee on Finance. He is initiating the discussion also. How can you hurry up in this type of Bills?

HON. DEPUTY SPEAKER: I have to accommodate other Members also.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: This House is not for accommodation. This House is for a well-considered deliberation and a good product for future. The product is a good law and not a bad law and not a half-baked law.

HON. DEPUTY SPEAKER: Do not argue on the same point. You make some other points.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Sir, you tell me what point I should speak on. I will go by your advice. ... (*Interruptions*) The amendments are half-baked. They are targeted to help only a few people. I think, some developers wanted some relief and you have come with these amendments but how about the allottees who are suffering? There is no safeguard at all for them.

Is it a secured loan or unsecured loan? Is there any definition for that? There is no definition at all. It will be open to the interpretation of the courts and interpretation of the NCLT. In a way, it is not going to help even the house allottees. What is the point in keeping the threshold at Rs. 1 lakh? In that case, there will be multiple litigations. Make the limit to Rs. 10 crore so that only such cases go to the

NCLT. Otherwise, now, you are driving every case to the NCLT. The banks cannot recover even Rs. 1 lakh. You give them the leverage up to Rs. 10 lakhs. That is also the point which will have to be properly considered. It will not help the real estate.... (*Interruptions*) It will help them because you are reducing 83 per cent haircut and making it to 66 per cent. Do you want the standard haircut of 66 per cent to be given to everybody? I think that it will help only those people. But, you are not protecting. The ultimate goal is to protect the depositors of the banks. You are not injecting any discipline into the system. If you are not introducing any discipline into the system, I think there will be a total anarchy and it is not going to help anybody except the persons whom you think that it can help. That is the intention, no doubt. In fact, you do not look at the economic environment. Of course, to a certain extent because of the world crisis, the growth plunged after 2011. This helped to bring your Government into office. Seven years later, the economy has still not recovered to its pre-2011 position. That means that you have to go. The Modi Government has to give place for a new Government. But they do not address the problem. They do not think that there is a problem within them. They think that everything is all right.

Today, the economy of the country is there on the pre-2011 position. You are not redressing it. There is a wilful blindness about the main cause of the bad loans. You shut your eyes; shut your ears about all these things and the bad loans are just raising. The recycling of the funds cannot be done because it is not within the

banks. You have taken away that kind of a right from them. There are several challenges in the banking sector- Resolution of the stressed assets. The level of the banks is such that they cannot even lend the retail loans. They have been disabled from February 12, 2018. At that stage, if you want to give haircut to the extent of 60 percent; 50 per cent and even 84 per cent, who is going to save these banks? I think there is a deliberate and conscious effort on the part of this Government to de-nationalise the banks. They want to de-nationalise and achieve that purpose. Just because you are in power, you would like to achieve that objective. You have no faith in the system of nationalisation of the banks. When you do not have faith, of course, you would like to ensure that whatever the system you have introduced, you would like to carry on with it. Twenty-four lenders have signed the pact for faster NPA Resolutions. You are not interested to resolve this. You feel that everything should be referred to NCLT. You do not want to go in for any other mechanism. All these people have already returned to the Reserve Bank of India.

It includes the State Bank of India. There should be a faster NPA resolution, but there is no action on this by this Government. Their solution is only NCLT. Now, NCLT has become the mechanism to siphon off the treasury of this Government. I think we will have to be extra careful on this.

Banks are totally disabled now. On the one side, there is NCLT which is hanging as the Damocles' sword on their head and on the other side, there is

higher provisioning because of NPAs and a sharp rise in bad loans. Then, the Reserve Bank of India has found that banks have delayed in classifying accounts as NPAs. They are blaming each other. In addition to that, the Reserve Bank of India says that they have no power to act upon the Nationalised Banks. If there is no power, it is your duty to empower the Reserve Bank of India. It is the regulator. The regulator will have to be empowered to act. They say they have no power and you say you have power. I think, in this tangle, ultimately people have become powerless. So, I want you to apply your mind on that.

In fact, the divergence in NPA as on 31st March, 2018 stood at more than Rs. 60,000 crore, as compared to Rs. 43,500 crore as on 31st March, 2016. The bad loans are more than 12 per cent today and there is no mechanism to address this issue, except asking the banks not to lend. The credit growth has come down, credit to farmers has come down, credit to investments has come down and bad loans lost to banks based on the offers made by suitors rise to a very high amount and you want to adopt more methods to siphon off the funds of the banks. All mechanisms have been strengthened to hound bankers and the indiscriminate hunt for banking staff will scare off even honest lending at a time when the Indian economy has to recover. So, you do not want Indian economy to recover.

I think this Bill is of no consequence. It will not serve the purpose. Even if it serves, it will serve only the interests of one or two individuals, rather the economy of the nation. An amount of Rs. 81,000 crore has already been waived off after this

Government came to power. But you are not prepared to give even a pie to farmers. There is no money for farmers, but there is plenty of money available for big industrialists. This will further strengthen their hands for lending adequately or more to these corporate bodies. The Congress Party is not against good corporate bodies. We are only against those bad corporate bodies who are out to siphon off the funds of banks, looting the banks and running away from this country. They are consciously moving from this country to that country because you are incapable of catching them. By merely passing an Act, you are not going to get them.

What happened to your executive hand? That has been crippled. You are not in a position to execute even the present law, but you want an additional law. I think there may be a purpose under that so that you can pick and choose cases.

With these words, I thank you very much for the time given to me. But I again insist that this Bill may be referred to the Standing Committee. If the Government is really and honestly wanting to achieve the real intent of setting up NCLT, this Bill should be referred to the Standing Committee. ... (*Interruptions*) We do not want to take the credit for this. You give 15 days' time, we can give the Report. What is the hurry? You justify it here. They have already waited for the last two months. They can wait for another month and refer this Bill to the Standing Committee.

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2018.

In effect, this Bill replaces the Ordinance promulgated by the Government on 6th June, 2018. The Interim Finance Minister while introducing this Bill in this House this week had said that 'in order to finetune the Insolvency and Bankruptcy Code, an Insolvency Law Committee was set up by the Government to suggest amendments to the IBC.' Based on the recommendations of the ILC, this Bill has been brought in the Parliament. It seems to me that this Government has a fetish for issuing Ordinances.

The IBC (First Amendment) Bill, 2018 also essentially replaced the Ordinance promulgated by the Government on 23rd November, 2017. Not only this, the Government amended the Banking (Regulation) Act on 5th May, 2017 by issuing an Ordinance authorising the Reserve Bank to issue directions to any banking company to initiated insolvency and resolution process in respect of the default under the provisions of IBC.

It is common knowledge that the Ordinance route to legislate is resorted to by the Executive to meet certain exigencies. Since the Bill under discussion, basically gives effect to the recommendations of the Insolvency Law Committee, what were the compelling circumstances that forced the Government to issue an

Ordinance when it could have easily waited for the Monsoon Session, which was hardly a month away?

A concern was raised by my dear friend Shri Mahtab-ji, when the Bill was introduced last week in this House, regarding the real intent of the Government in using the Ordinance route. Last month, in one of the resolution cases concluded under IBC, banks have taken a huge 83 per cent haircut on the sale of Alok Industries bagged by the Reliance Industries-JM Financials ARC combine for just Rs. 5,000 crore. Alok Industries owed its creditors an amount of about Rs. 30,000 crore.

The resolution plan of Reliance was put to vote before the Committee of Creditors of Alok Industries on June 20th and received the assent of 72 per cent of the total creditors. It is very interesting to note that the voting threshold required to pass a resolution was lowered to 66 per cent from 75 per cent on June 6th by issuing the Ordinance, just 14 days before the date when the CoC of Alok Industries was scheduled to meet to approve the resolution plan submitted by Reliance.

This plan to get Alok Industries at a throwaway price of Rs. 5,000 crore was rejected by the same CoC on its meeting held on 13th April especially in view of the fact that this company has an asset base of about Rs. 32,000 crore as per the latest available balance sheet.

A perception has built up that the Government is working for the benefit of some corporates that the resolution of Alok Industries was facilitated with the assistance of the Government by amending the Insolvency and Bankruptcy Code with such alacrity, which is rarely seen otherwise. It is very apparent that IBC was amended in such a haste with the objective to allow Reliance to take over Alok Industries, and in the process, the banks took a massive haircut of 83 per cent.

Sir, I would urge upon the hon. Minister that in the name of NPA clean up, the Government should not be seen promoting crony capitalism.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): But still you are supporting them. What is this? ... (*Interruptions*)

DR. P. VENUGOPAL: Now, coming to the specifics of the Bill, I would like to say that the Bill seeks to amend the definition of the financial debt under Section 5(8)(f) by providing that an amount raised from an allottee under a real estate project shall be deemed to be an amount having the commercial effect of a borrowing.

The homebuyers are now classified as financial creditors. They can now initiate the insolvency process against an erring defaulting company, and seek the benefits of the resolution plan. But if the resolution fails and the company goes into liquidation, the amended law does not state whether homebuyers being unsecured creditors will get as much claim on assets of the company as secured financial creditors. Being treated as 'secured' or 'unsecured' is important in the "waterfall" mechanism which sets out the order of priority in which, proceeds from the sale of

liquidation assets are to be distributed under the Insolvency and Bankruptcy Code. In my state Tamil Nadu, there is a practice of having two separate agreements between homebuyers and builders for land and apartment which gives the customer the status of a secured creditor. Maybe the Government can take cue from this.

Hon. Deputy Speaker, Sir, my second point is that in a big relief to MSME sector, a new Section 240 A has been inserted in the Code. The new Clause enables the promoter of MSME to bid for his enterprise undergoing Corporate Insolvency Resolution Process provided he is not a wilful defaulter and does not attract other disqualifications not related to default. It is good that the Government has realised sooner than later that MSMEs form the backbone of the Indian economy in terms of employment generation and economic growth. This is a welcome step as business of an MSME attracts interest primarily from its promoter. There may not be other resolution applicants in a number of resolution cases of MSMEs and excluding the promoter also would have only led to more liquidation of MSMEs. However, it would be better if the Government provides a debt threshold so that companies with high debt but low turnover do not misuse the carve-outs.

My third point is that the Bill seeks to amend Section 21 by allowing "class of creditors" exceeding specified number to be represented by an authorized insolvency professional. New section 25A has been inserted to provide for the rights of such authorized representatives. This will also enable the home-buyers to

have an insolvency professional as their representative in the proceedings. This is a welcome amendment as it will ensure that serious deliberations take place in CoC meetings with adequate representations of all the effected parties but without the attendant raucousness if thousands of people gather to attend the meeting of CoC.

The Bill amends Section 10 of the Code by providing for special resolution for initiating CIRP by corporate debtor itself. Since commencement of CIRP is a major decision for the corporate debtor and may have a huge impact on its functioning or even may lead to its liquidation, a special resolution passed by the shareholders of the corporate debtor is necessary.

The Bill has closed the loophole which was being exploited by unscrupulous guarantors by amending the sub-Section 3 of Section 14 by stating that moratorium under 14(1) would not apply to guarantors of the Corporate Debtor. There were conflicting views of the Allahabad High court and NCLT Mumbai over this matter. This amendment settles the debate on this issue.

The Bill seeks to amend Section 31 of the Code by providing that the resolution professional shall obtain necessary approvals required under any law for the time being in force within 1 year from the date of approval by NCLT or within such period as provided for under the law, whichever is later. This amendment basically gives effect to the suggestion of the ILC on this issue. The provision does not make it clear whether obtaining such statutory approvals within the specified

time frame is a condition precedent for maintainability of the resolution plan or a consequential mandatory obligation on the part of the successful resolution applicant. What would happen if the resolution applicant fails to get regulatory approvals within the specified time frame? I would like to know whether the hon. Minister would clarify this issue.

The Bill inserts clause (e) to Section 17(2) of the Code to provide that the interim resolution professional shall be responsible for complying with the requirements under any law for the time being in force on behalf of the corporate debtor. The amendment incorporates the recommendation made by ILC by making the IRP responsible for the statutory compliances while managing the affairs of the corporate debtor. However, it must also be provided in the Code that the IRP shall not be held liable for any acts done without his knowledge or connivance and for acts which do not arise out of his conduct.

Section 30 of the Code has been amended to waive away the requirement of shareholders' approval required under the Companies Act, 2013 or any other law for the time being in force, for implementation of actions under the resolution plan. This amendment legislates the Ministry's clarificatory circular on this issue. I would urge upon the hon. Minister to reconsider this proposal as it might have adverse impact on the rights of minority shareholders.

Section 231 of the Code has been amended to provide for bar of jurisdiction of civil courts or authorities in matters under jurisdiction of the adjudicating authority

and the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI). IBBI is a regulatory body having regulatory oversight over the Insolvency Professionals, Insolvency Professional Agencies, Insolvency Professional Entities and Information Utilities. IBBI is not a judicial body. It is very strange that the Government proposes to put the matters under IBBI beyond the jurisdiction of courts. This is not a tenable proposition and is liable to be struck down by the Judiciary. Therefore, I would propose the hon. Minister to seriously reconsider this clause in the amendment Bill.

With these observations and clarifications, I conclude.

Thank You, Sir.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Thank you, Sir. I rise to speak on the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2018. This Bill seeks to replace the Ordinance which was promulgated on June 6, 2018.

Before I speak on the Bill itself, I need to mention two points – it is nothing personal. First, I want to know whether Shri Piyush Goyal is a caretaker Finance Minister or a full-fledged Finance Minister. It is because, the question has been raised because the Twitter handle of the Finance Ministry shows Shri Arun Jaitley as Finance Minister.

HON. DEPUTY SPEAKER: Even in his speech itself, he said that Shri Arun Jaitley is the Finance Minister. He never claimed that he is the Finance Minister.

PROF. SAUGATA ROY: Let him clarify it.

HON. DEPUTY SPEAKER: No, he already spoke.

PROF. SAUGATA ROY : Sir, why is he speaking on his behalf?

HON. DEPUTY SPEAKER: It is not on his behalf but because he spoke on that day. I want to pass on the message to you.

PROF. SAUGATA ROY: Sir, at the back of the Bill, it is written: “Shri Piyush Goyal, Minister of Railways, Coal, Finance and Corporate Affairs”. So, I do not know what he speaks and what he says. I want this clarification to be made.

The other point I want to note is this. Yesterday, there was a big victory for the Opposition in this country against this Government. Shri Piyush Goyal, in a

letter to our Joint Committee on the Financial Resolution and Deposit Insurance Bill, said that they have decided to withdraw the Bill.

This is the first time, in the face of Opposition by the Opposition, that the Government withdrew the Bill about which they are very serious. There was a nationwide outcry against the bail-in provision where systemically important financial institutions could go into depositors' money to bail-in. Mr. Goyal wrote to the Chairman of the Committee. It is very wise of him because if that Bill was brought, the Opposition would not have to do anything. They would lose anyway the election. So, good wisdom has prevailed on them which is good but I see it as the victory of the Opposition.

Thirdly, I remember that when this IBC code was brought to this House, Mr. Jaitley wanted to pass it in a hurry. I had to speak for one hour on that day so that the Bill was referred to the Joint Committee. Ultimately, the Bill was passed and this Bill became the part of the law. Now, I do not know why, within two years of having a new Bill which was drafted after much consultation, the Minister and the Government wants to bring in so many changes in the Bill which is only two years old. This Government did the same with the Company's Law. The Act which is not fully tested, they went for an amendment. They are doing the same with this. ...

(Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Dubey, do not divert his attention.

प्रो. सौगत राय : उसके बाद बिल को अमेंड करने की इतनी जल्दी क्या थी? कानून पहले दो-चाल साल तक चले, उसके बाद अमेंडमेंट लाया जाए। हड़बड़ी में अमेंडमेंट लाना कोई बुद्धिमत्तापूर्ण काम नहीं है। निशिकान्त जी आप इंटेलिजेन्ट आदमी हैं, आप इस चीज को समझते हैं। This is not to say that there is nothing good about this amendment. One best thing is that the relief is given to home buyers. They will be the part of the financial creditors. The Bill clarifies that an allottee under the real estate project will be considered as a financial creditor. Now, I was wondering if this collides with the Real Estate Regulation Act where there is a regulator also. I considered and found that in RERA Act, it is limited to only one construction company. But one of my friends explained to me that if it comes under this Bill, then the whole company would be affected. Take the case of Jaypee Group. They are not giving flats to people in Greater Noida who have deposited the money. Now, this Bill will allow the flat allottees to claim as creditors and they may get the money back. So, this is a good point in the Bill. But the weakness of the Bill is that this Bill establishes the rights of the rich over the ordinary people because the unsecured creditors will be finished with this Bill. A company has dues to many small people like small suppliers, small traders and so on and so forth. Now, if you give 51 per cent resolution, then only the big capitalists will get their due and unsecured creditors will get nothing.

The other danger about the Bill which I will point out in detail later is that this Bill seeks to create a monopoly. You see Tata's are buying up Bhushan Steel which means two or three steel companies like Tata and Jindal will gobble up all

the steel industry. Then they will form a cartel and control the steel prices. Recently, Shri Gadkari Ji had said that cement companies are cartelizing. This cartelization will take place in the steel industry through this Insolvency and Bankruptcy Code.

16 00 hrs

The other good point about this Bill is this. For the first time, it covers the MSMEs. Earlier, the MSMEs were not fully touched. The Bill states that the ineligibility criteria for resolution applicants regarding NPAs and guarantors will not apply to person applying for resolution of MSMEs. The Central Government may modify or remove other provisions in the Code while applying them to MSMEs because normally there would not be many buyers for the MSMEs. So, unless you give some concessions, these MSMEs, which employ a large number of people, will just be left closed. So, this inclusion of MSMEs is a good step in this Bill.

Then, the dangerous part of the Bill is-- I will go into it later as to how it has affected--voting threshold of the Committee of Creditors. The Code specifies that all decisions of the Committee of Creditors be taken by majority of at least 75 per cent of the financial creditors. This Bill lowers the threshold to 51 per cent. For certain key decisions, voting threshold has been reduced from 75 per cent to 66 per cent. This includes (i) appointment and replacement of the resolution professional and (ii) approval of the resolution plan. This is dangerous for corporate democracy, as I will show you later.

I need not go into the actual details of what the condition of banking industry is. We are in the worst crisis and there is a slow push towards de-nationalisation of banks that Mr. Veerappa Moily had pointed it out. There are, in total, 963 wilful defaulters who together owe Rs.1,10,000 crore to the banks, according to the Government's reply. The banks are in dire trouble.

Now the Reserve Bank has stepped in and they have introduced what is known as 'Prompt Corrective Action' (PCA). What does that mean? The Reserve Bank has asked certain banks that they should not expand; they should not open new branches. It has told a bank like Dena Bank that they cannot lend at all. Now what will banks do, if they do not lend? The banks' income is by lending the money of the depositors. Now, in order to save the banks, the Reserve Bank is talking of PCA. You do not lend at all.

In this crisis, under Mr. Veerappa Moily's Chairmanship, the Committee on Finance met all the top bankers of the country many times. They say they see some hopes in the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC). Now, the moot question is: whether the IBC is the solution? What is IBC leading to? The IBC is leading to what? Even Mr. Venugopal, whose Party supported the Government on the No Confidence Motion, said this is leading to crony capitalism.

I will give you a few examples. Let us see the case of Bhushan Steel where the loan outstanding referred to NCLT was Rs.56,000 crore. The Tatas have taken over that company for Rs.35,200 crore. So, the banks have lost Rs.21,000 crore.

That is a haircut of nearly 40 per cent. Is it resolution? श्री किरीट सोमैया जी ने बोला कि कुछ तो मिला, 21 हजार करोड़ रुपया एन.सी.एल.टी. का है या सरकार का है, यह गरीब डिपॉजिटर्स का है, उसको आपने टाटा के लिए हेयरकट दिया।

Look at Electrosteel. It is a factory in Bokaro. The dues to the banks were Rs.13,600 crore. Vedanta, Anil Agarwal-led company has purchased it for Rs.5,320 crore.

Banks sacrifice Rs.8400 crore and haircut is 60 per cent. In Bhushan Steel, the haircut was 40 per cent. In Electrosteel Steel Ltd., the haircut is 60 per cent. Now, comes the Alok Industries' deal. The company owes to the banks Rs.30,000 crore. Do you know how much Reliance has taken it over for? It is just for Rs.5000 crore that Reliance took it over. The banks sacrificed Rs.25,000 crore and the haircut in this case is 83 per cent.

Mr. Mahtab, who opposed the introduction of this Bill, pointed this out very boldly. He said that this Ordinance was brought so that Reliance could acquire Alok Industries for a cheap price and the voting percentage was brought down from 75 per cent to 66 per cent. It means, if 66 per cent stakeholders agree, the deal is through. So, it is just for the sake of Reliance that the Government brought in an Ordinance.

Sir, the Insolvency and Bankruptcy Code in which all parties participated is a good law. When the bankers come to us, they say that the only hope they see is in the IBC that they can recover some of the money that has gone. But, Sir, the

Insolvency and Bankruptcy Code is not a panacea; it is not a cure for all ills of the banking system. So, we have led the country into a morass, into a blind alley and I really do not know as to how we would come out of it.

Sir, one of the strong points of the Insolvency and Bankruptcy Code is that it has said that within 180 days corporate insolvency would be resolved. The Insolvency and Bankruptcy Code is essentially limited to the corporate in the sense that it deals with only the corporate part. The Part-III of the Code, which deals with insolvency, resolution and bankruptcy for individual and partnership firm is yet to be commenced. So far, the Insolvency and Bankruptcy Code is regarding the corporates and their insolvency resolution.

Now, let me take the example of Ruia's, that is, Essar Steel. In the case of Essar Steel, it has crossed 270 days because both the companies, which were bidding, Numetal and ArcelorMittal, were belonging to Lakshmi Mittal and were found by the resolution professionals to be ineligible to participate in the bidding process, that is, Numetal – because of its association with Rewant Ruia, son of the promoter of Essar Steel and ArcelorMittal – because of it owes bankers money in its capacity as a promoter of Uttam Galva Steel. Despite of IBC's specifying that it has to be resolved within 180 days, it has not happened. So, I would urge the Minister that in the deepening gloom that surrounds the banking industry, it is putting the hard-earned money of depositors at risk and putting the future of country's economy at risk. The Insolvency and Bankruptcy Code may have been a

shining light, but if the Insolvency and Bankruptcy Code continues in this way in its effort to support crony capitalism in giving hair cut – this is the word that I learnt from my friend, Shri Uday Singh, who talks of haircut, waterfall mechanism of bitcoins, cryptocurrencies. ... (*Interruptions*) Sir, he is very knowledgeable ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Do not reply to others.

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : Sir, the other thing that I want to mention is that only 12 companies were referred to NCLT by RBI, but under IBC ... (*Interruptions*) another 30 have gone in for liquidation. The problem is that you are not resorting companies. Shall I read the list of companies which have gone into liquidation?

HON. DEPUTY SPEAKER: No. Please conclude.

PROF. SAUGATA ROY: Bhupen Electronics, Wind-Ways Packaging, REI Agro etc. have gone into liquidation.

HON. DEPUTY SPEAKER: Everybody knows that.

PROF. SAUGATA ROY: I would like this law, caretaker Finance Minister, to succeed because as an Indian, I cannot afford to see our banking industry collapsing. If this provides a ray of hope in the pervading gloom, this is good. I would request him to please see that the haircut advantages do not go to the pockets of the money-bags of the country.

I also support Mr. Moily's proposal to send it to the Standing Committee headed by him.

Thank you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy Speaker, Sir, this is the second amendment relating to the Insolvency and Bankruptcy Code Bill that we are deliberating today, which has been followed by the Bill. Actually, the gazette notification was issued on 6th June, 2018. This date is very specific because it is the day when a decision was taken by the Government to support one specific company and that promoted this Ordinance. ... (*Interruptions*)

It is a big amendment. A number of clauses are there. This amendment runs into 40 clauses. I was not opposed to all the clauses the day I stood up and I had specifically mentioned this. Today also, I am mentioning that it is clause no. 25 relating to Section 33 of the principal Act, about which my friend, Mr. Premachandran has mentioned, Dr. Venugopal has mentioned and Prof. Saugata Roy has also mentioned.

There was a Secretary-level committee which was entrusted with the task, after the November Ordinance, after the first amendment was moved and it was passed in this House and by the Parliament. The Secretary-level committee gave a report to the Government. I would like to understand from the hon. Minister specifically whether they suggested an amendment to Section 33, which he has incorporated in clause 25? Was it there in their recommendations or not? If there was some recommendation from the Secretary-level committee, then one can say that it has nothing to do with the specific company and you can justify. If it is not

there, then you have to explain what prompted you to bring an Ordinance in the month of June.

The House had adjourned and it was supposed to be convened in the month of July. What prompted you to bring an Ordinance hurriedly or why could you not wait for another 30, 40 or 50 days? You could have brought a Bill during this Session. During this period, what has happened and what specific steps have been taken through this Ordinance that has helped the NCLT, that has helped to do away with bad debt and that has helped different banks or different industries where resolution has not taken place.

If that can be explained to us, as Shri Udasi always says, the country will be benefited. It will also help to understand what specific steps have been taken because of this Ordinance, what it has forced the Government to think that there is a necessity of an Ordinance and the Hon'ble President has been forced to sign it.

It is mentioned there that the corporate Houses, with their deep-pockets, can bid for multiple distressed assets under the insolvency process without getting themselves disqualified under Section 29A of the Insolvency and Bankruptcy Code. This Section was incorporated in the original Act through an Ordinance in November, 2017. Again, another amendment with a number of clauses has come in this Second Amendment Bill also. This is provided in this second amendment. Why could it not be thought of in the first amendment itself, in November, 2017? This clearly demonstrates that we are trying to amend this Act just as and when the

matter comes and when our wisdom dawns upon us. I think that this Government is a thinking Government. At the time of demonetisation, a new notification was coming every day. It is a sign of a thinking Government. So, in this case also, a number of sections are being amended repeatedly.

In the new Bill, Section 29A, will apply to a resolution applicant holding a non-performing asset account due to the acquisition of a distressed assets with an NPA account for three years and from the day of such acquisition. This will ensure that the corporates that have already bought a distressed asset are not prohibited from bidding for more such assets. I think It has a different connotation.

This will also offer a disqualification breather to financial entities holding NPAs. They, too, will be exempted from Section 29A.

This Bill, most importantly, treats the homebuyers as financial creditors giving them a better say in the resolution plan of developers. Any amount raised from an allottee of a real estate project will be deemed to be an amount having the commercial effect of debt or borrowing. The Bill has defined the expression 'allottee' and 'real estate project' which was not there earlier.

Further this Bill allows the promoters of MSMEs to bid for their companies in any insolvency process. It also empowers the Union Government in public interest to exempt MSMEs from application of any other provisions of the Code. I will come to this aspect a little later. I will seek the clarification from the Hon'ble Minister of MSMEs, how it is going to benefit the entrepreneurs to a greater extent.

The Bill provides for the insertion of a new Section 12A to permit the withdrawal of application admitted for initiation of insolvency resolution process. The application can be made only with the approval of 90 per cent of voting share of the Committee of Directors.

There are other provisions in the Bill. The Insolvency and Bankruptcy Board of India will be given a developmental role similar to other regulators such IRDAI and PFRDA. It will also be given the power to regulate the working and practice of certain professionals under the Insolvency and Bankruptcy Code(IBC). The Bill further provides that the Limitation Act of 1963 will be applicable to the proceedings or appeals under the IBC. These are the new provisions which have come under this Amendment. But the objections that I have relates to the provision of the lowering of the voting threshold for various important decisions of the Committee of Creditors to 66 per cent, and to 51 per cent for routine decisions.

Here, I come to what this Section says. Clause 25 states that :

“In section 33 of the principal Act, in sub-section (2), after the words "decision of the committee of creditors", the words "approved by not less than sixty-six per cent of the voting share" shall be inserted.”

In the Statement of Objects and Reasons in No. 4 (h) it is written that :

“reduction of voting threshold for various decisions of the committee of creditors to sixty-six per cent for important decisions and fifty-one per cent for routine decisions;”.

Subsequently, in the 'Notes on Clauses' on Page No. 19 regarding Clause 25 it states that :

“Clause 25 of the Bill seeks to amend section 33 of the Code to provide a reduced threshold from seventy-five per cent to sixty-six per cent of voting share for obtaining the approval of the committee of creditors for making an application to the Adjudicating Authority to pass a liquidation order.”.

So, one has to go through three steps to understand as to what actually the Bill intends to do. This is my allegation, which I am repeating because the other day the Minister did not respond to my query. Of course, it was just an introduction stage. This lowering of the voting threshold of COC to 66 per cent was done only to benefit a corporate house as it did not get adequate support of 75 per cent initially. After the introduction of this Ordinance, again the meeting was called. This Government has exposed itself to criticism and has blatantly gone to issue an Ordinance because it thought that it is very urgent. This is totally unacceptable. I will be moving my amendments in this regard at a later stage.

Almost two years ago, the Parliament passed a landmark law called IBC. This is one of the most important structural reforms of the past four years. Some say that the Insolvency and Bankruptcy Code ranks at par with industrial delicensing of 1991 -- the Acme of Reforms from those tumultuous years. Capitalism and market economies need free entry and free exit to function efficiently. Delicensing made exit relatively painless. It is not as if we have not tried

to legislate on how to close down businesses. The ghost of Board of Industrial and Financial Reconstruction that we all know as BIFR and the Sick Industrial Companies Act still haunt us of failed attempts at reviving or closing down sick industries. The Insolvency and Bankruptcy Code provides a mechanism and forum that is quick in resolving or liquidating failing businesses.

The kingpin of IBC is the time limit hard-coated in the law itself. From the moment an insolvency case is admitted, it has only 270 days for the distressed firm to be restructured or be sold-off to a new owner, or else liquidation is automatically triggered on the terminal day.

The amendment to IBC, currently being considered, relates to who can or cannot participate in the process. This reform is to prevent promoters or related parties from getting back control of their firm at a distressed value. This is the crux of the problem, which was addressed by this law. But an important reform to consider relates to something that happens even before the IBC process has begun. This is the point when the case is admitted.

In the current framework, an application has to be subject to a judicial review for the case to be admitted to the insolvency process after which the discipline of the clock starts. Therefore, if a company has defaulted on its payment due to a creditor and there is an authenticated paper trail of purchase order, invoice, payment reminder notices and so on, then surely admitting such a case should be an administrative matter.

16 25 hrs(Shri Ramen Dekha *in the Chair*)

If you default on your own will, EMI on home loan or credit card payment, action follows without it landing in court. Similarly, if a checklist approach is adopted to verify the claims of a creditor, surely the process of admission would be quicker. I hope the Minister is listening to me.

However, a Supreme Court judgement states that the admission requires application of judicial binding. What if the defaulting company has a counter claim against the creditor? What will happen if there is an error in the calculation, or if the service wasn't fully provided for which claim is being made, or if it is a frivolous claim? For all this, the apex court has said, Judicial Bench should 'hear out' the parties. But it can lead to untold delays by adjournment. The Law Minister is before us today. It can lead us to a number of adjournments. Therefore, a template approach is made to reduce the time drastically. It is high time to strengthen the IBC by templatising the admission process and make it largely procedural. Only in small minority of cases will a judicial hearing and scrutiny be needed. This will go a long way in making this landmark law more effective. These are suggestions which I am making before this House, and also through you, to the Government.

The Code postulates two types of creditors, namely, a financial creditor, and an operational creditor. Financial creditor is defined as any person to whom a financial debt is owed. An operational creditor is one to whom operational debt is owed. On 23rd November, 2017, by an Ordinance, Section 29(a) was inserted after

Section 29 of the principal Act. The purpose of this amendment was to restrict people who with their misconduct 'contributed to default of company' or who are otherwise undesirable or could misuse their position due to lack of restriction and regain control of the corporate debtor.

However, the element of misconduct is conspicuously absent. 'Misconduct', I would say, is conspicuously absent in Section 29(a). Why am I saying this? I am saying this because the Chairman of the Finance Committee repeatedly requested you to refer it to the Finance Committee for consideration. These are certain questions which remain unanswered. Therefore, the question that begs answers are these. How can misconduct be established without adjudication? Why should stakeholders, who are victims of *bona fide* business failures, be excluded from the resolution process? A legal challenge to this amendment could well result in the amendment being declared as *ultra vires* of Article 14 and 19(1)(g) of the Constitution, that empowers the citizens.

Coming to the MSME sector, it actually is restricting. This amendment, I apprehend, may restrict relief proposed for MSMEs. The exemptions for MSMEs from the provisions of Section 29(a) has been considered, after it was found there was little investor interest, apart from promoters. While earlier it provided exemptions for MSMEs from all disabilities under Section 29(a), the exemptions are now proposed to be restricted to only two situations – under Clause C and Clause H. There is a need to reconsider.

I had stated earlier in May this year that Bhushan Steel was sold to Tata Steel. Almost 65 per cent of the loan was recovered; and 35 per cent was written off. This was termed as a very successful resolution of a bad loan. I had drawn the attention of the House to Alok Industries, a textile company, where a haircut was done for about 83-84 per cent.

This is exactly the opposite of the Bhushan Steel Resolution. Reliance Industry and JM Financial Asset Reconstruction Company combined were the sole bidder and had given a 'take it or leave it' offer to the Committee of Creditors in April and this Ordinance came in the month of June. The CoC could not gather enough votes to act on the resolution plan. The proposal got 70 or 71 per cent of the votes while 75 per cent votes were needed. An Ordinance amending the Insolvency and Bankruptcy Code lowered the minimum votes needed for passing a resolution plan to 66 per cent from 75 per cent. I fail to understand as to how this 66 per cent came in. It could have been 50 per cent, 51 per cent or 67 per cent, a little bit of arithmetic could be done, but it came to 66 per cent. The NCLT accepted the resolution plan. There was a re-do of voting of the voting process. The sole bid went through after the match was fixed.

The issue is that when a haircut is being done, all are happy; the bank is happy, the auditor is happy, the promoter is happy and this Government is also happy. We heard that another member from the Treasury Bench was also very happy. If any member from this side raised the objection relating to the massive

amount of money being siphoned off by promoters in active connivance with bankers and auditors, we hear jeers from the Treasury side.

An hon. MP from the Treasury Benches was singing eloquence about the resolution mechanism being followed now. I would like to remind him of one Shri Rajendra Ganatra, a Mumbai-based resolution professional, who estimates that bad loan average recovery will only be 10-15 per cent. We know the amount of bad loan is expanding and is getting multiplied. It is becoming a humongous affair. What would it actually be? This is what Shri Rajendra Ganatra has said, "it would not be more than 10-15 per cent even if IBC come into force".

Before I conclude, I must say that the bad loan resolution does nothing to break the nexus between bankers in Public Sector Banks and promoters. Banks face no punishment for writing off 84 per cent of the loan. Where are the reports of forensic audit? Should nobody be held responsible? Public money of billions of rupees looted by promoters in connivance with bankers is being written off but here, it is being hailed as a success. This is not something one should relish. The bigger question is: Who is going to protect the public money? This law is framed to retrieve as much money from the bad debt. But adequate measures need to be taken to go into the issue of loot of public money. If IBC is unable to do that, let the Minister of Finance and Corporate Affairs, who is a wise person, share his wisdom with this House.

SHRI PIYUSH GOYAL: Three- four hon. Members have repeatedly talked about such thing. I thought it would be appropriate to set the record straight because I was also surprised when this issue was flagged off by Shri Mahtab earlier when I introduced the Bill. But I had forgotten about it because I never took it seriously and I never thought that there was any merit in the baseless allegation. But since Shri Premachandran, Shri Moily and Shri Mahtab have raised the same point, I thought for the benefit of the hon. Members first.

Let me set that one issue right so that everybody looks at this whole Amendment with the positive spirit.

Hon.Chairman Sir, the report of the Insolvency Law Committee came on 26th march, 2018. Several Members including Moily sahib, Chairman of the Standing Committee on Finance, have referred to the report. In fact, Moily sahib said that we have not considered 90 per cent of the report. I can give the details of how almost every clause of the report has been considered and accepted and brought into this amendment, which is why this is such a large amendment.

There are a few things and we can put in public domain as to why we did not accept just a few parts of the report. The Committee has very illustrious members. If you look at the list of members, there are very eminent lawyers on the Committee. Presidents of Institute of Chartered Accountants, Company Secretaries Institute, Cost Accountants Institute; eminent bankers, Dr. M.S. Sahoo, Chairman of the IBBI, all of them are members. In a very elaborate way they have explained

about voting share threshold for decisions of the COC. I would like to read, Sir, with your kind permission, from this report of March, 2018. They begin by saying, "Section 21(8) of the Code provides that all decisions of the COC shall be taken by a vote of not less than 75 per cent of the voting share of the financial creditors." Then they talk about all the representations that they had received. They also say that liquidation is often not passed because consensus is not being built up because of a small minority. That is something which an hon. Member himself had raised. Incidentally, I was reading the proceedings of Rajya Sabha and this has been raised in both Houses. In Hindi there is a saying, "*Chit bhi meri, pat bhi meri*". That is what I think is happening today.

It was being talked by the other side that because we have kept a very high threshold of 75 per cent, many possible resolutions, as hon. Kirit-ji said, are not going through which may lead to liquidation. In liquidation the value will be much less. So, bankers stand to lose much more. I will reply about why these banks are losing money and the so-called haircut which has not been understood by several Members, when I respond to the debate, but I thought this merits closure at this stage.

Then they have looked at the US example and said, "The Committee also noted that globally bankruptcy laws prescribe different voting thresholds for decisions of the COC. In USA, approval of a plan requires 66 per cent or more

voting. In UK, the approval of a plan under administration requires a simple majority.” Then, what are their recommendations? I would like quote para 11.6 which says, “After due deliberation and factoring in the experience of past restructuring laws in India and international best practices, the Committee agreed that to further the stated object of the Code that is to promote resolution (The object is not to close all companies and make all people jobless.), the voting share for approval of resolution plan and other critical decisions may be reduced from 75 per cent to 66 per cent or more of the voting share of the financial creditors. In addition to approval of the resolution plan under Section 30(4), other critical decisions are extension of the CIRP beyond 180 days, replacement or appointment of RP, passing a resolution for liquidation under Section 33(2). Further, for approval of the other routine decisions for continuing the corporate debtor as going concern, the voting share threshold may be reduced to 51 per cent of the voting share of financial creditors.” This is as of March.

I just saw the date of the company that all of you have been referring to. In respect of Alok Industries, the voting got 70 per cent share from Committee of Creditors on 13th April, 2018.

The voting happened after the recommendations of the Insolvency Law Committee. It has nothing to do with that particular case.

HON. CHAIRPERSON: You can state that in your reply.

SHRI PIYUSH GOYAL: I can, Sir. But I thought since many hon. Members are under the wrong impression, let me clarify *ab initio* that this voting happened after this Committee report which we have accepted almost *in toto*. ... (*Interruptions*) Further, there is no resolution which is complete as yet. It is not that the Committee of Creditors said that they are now considering this report or Ordinance. The NCLT itself directed the Committee of Creditors to consider the resolution afresh, possibly because there was only one resolution applicant who had approached the NCLT for resolving or taking over the company. ... (*Interruptions*) The other option was liquidation and consequential loss of over 23,000 jobs directly or indirectly. Possibly the NCLT in their wisdom thought otherwise and asked for a re-vote. I think the hon. Members are casting aspersions on the judiciary which, to my mind, is not a very good sign.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदय, मैं इन्सालर्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड, 2016, सेकेंड अमेंडमेंट बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। जैसा कि माननीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने अपने प्रस्तावना में बताया था कि अनुभव के आधार पर कई नए संशोधन करने की जरूरत पड़ती है। मैं गोयल साहब से पूरी तरह से सहमत हूं कि शासन करते वक्त कई ऐसे 100 वर्ष पुराने कानून हैं, खासकर के जो फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट्स हैं, उनमें ऐसे नए संशोधन लाकर लोगों को या आम जनता को फायदा हो सकता है यानी जो ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं। उनके पैसे और टैक्स का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में अच्छी तरह से संशोधन करके जो नया कानून लाना पड़ता है, उसका मैं समर्थन करता हूं। जैसा कि समाचार-पत्र में एक खबर आयी है कि इस कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद तकरीबन 83 हजार करोड़ रुपये की वसूली ऑटोमेटिकली हो चुकी है। यह इस विधेयक की एक बड़ी सफलता है। मैं कहना चाहता हूं कि भविष्य में इस विधेयक के माध्यम से आम आदमी के पैसे का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसकी तरफ आप अच्छी तरह से ध्यान दें।

सभापति महोदय, देश के कई लोगों को कई तरह के लोन लेने पड़ते हैं, लेकिन खासकर दो वर्ग के लोग कर्ज लेने वाले हैं। एक आम आदमी है, जो ईमानदारी से कर्ज लेता है, ईमानदारी से बिजनेस चलाता है, ईमानदारी से व्यवसाय करता है और ईमानदारी से चाहे नेशनल बैंक हो, स्टेट बैंक हो, डिस्ट्रिक्ट बैंक हो या कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाएटी हो उनके पास से जो लोन लेता है और रीपेमेंट सही वक्त पर करने की व्यवस्था करता है। लेकिन दूसरा वर्ग ऐसा है जो करोड़ों रुपये का कर्ज लेता है, उनका उद्देश्य यह होता है कि अपने बिजनेस के लिए एक बैंक से कर्ज, स्टेट बैंक से ले और अपना बिजनेस लिक्विडेशन में डालें और पैसे की लूट करें और लोगों को फंसाए। ऐसे वर्ग के ऊपर पाबंदी लगाने का काम इस विधेयक के माध्यम से जरूर होगा, ऐसी मेरी आशा है। मैं इच्छा व्यक्त करता हूं कि अगर यह कानून बीस वर्ष पहले आता तो मुंबई की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें कम से कम दो लाख वर्कर्स काम करते थे। वे सारे फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट्स का गैर-कानूनी उपयोग करके बर्बाद हो चुकी हैं। इसके कारण

लाखों की संख्या में काम करने वाले गिरनी कामगार और उनके परिवार धवस्त हो चुके हैं। ऐसे आदमी और भी हैं, जैसे हमारे रत्नागिरी में भारतीय शिपयार्ड, मुम्बई के खम्बाटा एविएशन जहां हजारों लोग काम करते थे, उन्होंने कई फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट से कर्ज लिया। उसका सही उपयोग अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए एवं बिजनेस के ऊपर डिपेंड रहने वाले जो लेबर हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। पैसे का दुर्व्यापार किया और लोगों को फंसाया। इसके साथ-साथ असलियत से टैक्स पे करने वाले हिन्दुस्तानियों को भी फंसाने का काम किया।

सभापति महोदय, इस विधेयक में मैं देखता हूं कि आम आदमी के लिए क्या किया गया है? आप बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर पाबन्दी लगाएंगे, उनके पास से पैसा वसूल करने की व्यवस्था करेंगे। आज एनपीए सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है। एनपीए चाहे नेशनल बैंक का हो, स्टेट बैंक का हो डिस्ट्रीक्ट बैंक का हो या कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का हो, जो भी वर्ग एनपीए में जाते हैं, उनके पास से पैसा वसूल करना बहुत मुश्किल काम होता है। कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जनता के नजदीक की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है यानी जिस इंस्टीट्यूशन का उपयोग लोगों के हर दिन के काम के लिए होता है, उनके पास कई सामान्य आदमी जाते हैं और अपनी हर रोज की आवश्यकता के लिए धन की व्यवस्था करते हैं। कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में ज्यादा संख्या में जो एनपीए होते हैं, उनकी रिकवरी करने के लिए आज कानून है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं होता है। इस विधेयक में आम आदमी को क्या मिला है? आम आदमी को यही मिला है कि जो हाउसिंग सिस्टम है, उसे इस विधेयक के माध्यम से संरक्षण देने का बहुत बड़ा काम हो चुका है।

सभापति महोदय, भारत देश का सबसे बड़ा शहर है- मुंबई। चाहे मुंबई हो, पूना हो, दिल्ली हो या कोलकाता हो, ऐसे बड़े शहरों में आज हजारों की संख्या में बड़ी इमारतों का निर्माण होने का काम होता है। बड़े-बड़े एडवर्टाइजमेंट्स दिए जाते हैं। चाहे दशहरा हो या दिवाली हो, बड़े-बड़े एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं और कई तरीके से उनमें लोगों को भूल-भूलैया करने का काम किया जाता है। एक लाख रुपये में एक

करोड़ रुपये का फ्लैट बुक करने जैसे नए-नए लालच दिए जाते हैं, जिनमें लोग फंस जाते हैं। लोगों को अच्छा घर लेने की जरूरत होती है और अच्छा घर लेने के लिए वे कई तरीके से कर्ज लेकर बुकिंग कराते हैं। बुकिंग कराने के बाद अनुभव ऐसा होता है कि पांच-पांच, दस-दस वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें फ्लैट नहीं मिलता है, घर नहीं मिलता है। ऐसे फंसे हुए लोगों को घर प्राप्त करके देने का एक महत्वपूर्ण काम इस विधेयक के माध्यम से होने वाला है, यह सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं जानता हूँ कि यह एक नया सिस्टम है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि आप एक नया सिस्टम रोल करने जा रहे हैं। जब आप नया सिस्टम रोल करेंगे तो इसका सही तरीके से आम जनता को लाभ मिले, इसके लिए इसमें कई नए लोगों की जरूरत भी पड़ेगी। अगर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी हो तो सीए लोग होते हैं, कोर्ट में जाना हो तो वहां एडवोकेट रहते हैं, उसी तरह इस सिस्टम में काम करने के लिए या एनसीएलटी के पास जाने के लिए, एक नई कैटेगरी का निर्माण करने की जरूरत है, जैसे इनसॉल्वेंसी एंड रिज्योल्यूशन प्रोफेशनल्स। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इस सिस्टम में, इस कैटेगरी में काम करने के लिए जिन लोगों की जरूरत है, आप उनको तैयार कैसे करेंगे? आपने अभी बताया है कि आज के वक्त इस कैटेगरी में काम करने के लिए करीब 23 हजार नए लोग तैयार होने वाले हैं। इस सिस्टम में काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लगाने की जरूरत है, ताकि आम जनता को इसका फायदा मिल सके। एक नया कानून लाने की कोशिश इस सरकार के माध्यम से हो रही है, उसका सही फायदा लोगों को हो और आम जनता का पैसा न डूबे, लोगों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स पर भरोसा रहे, यह मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। मैं फिर एक बार विधेयक का समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): सभापति जी, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा भाषण दिया है, वे फिर हम लोगों के साथ पूरे मन से आ गए हैं।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you Chairman, Sir. Sir, the main thrust of the Bill is to provide relief to homebuyers as the amendment proposes to give them the status of financial creditors which helps them to represent in the Committee of Creditors and also make them an integral part of the decision-making process. If you look at the recommendations of the Committee, it says and I quote:

“It has been recommended that home buyers should be treated as financial creditors owing to the unique nature of financing in real estate projects...Notably, classification as financial creditors would enable home buyers to participate equitably in the insolvency resolution process under the Code. ”

But, the Bill is silent on whether the allottees are secured or unsecured financial creditors. I am asking this because if there is no clarity on this, then there will also be uncertainty about their priority at the time of receiving dues after the insolvency proceedings. I would request the Finance Minister to please clarify this.

The second point is, there is no doubt – I was also a Member of the Select Committee on the IBC – that there was a discussion while considering the Bill that the Government would come back to Parliament if any changes are to be made and this is one positive change. But, I would like to know from the hon. Minister whether the amendment relating to homebuyers is prospective or retrospective. This has also to be made clear.

The third point is, the Insolvency Law Committee headed by the Secretary, Ministry of Corporate Affairs, had submitted its Report in March, 2018 and gave some nine key recommendations. So, I would like to know from the hon. Minister whether all the nine recommendations have been incorporated in the Bill. If not, I would like the Minister to apprise the House the recommendations that have not been accepted and the reasons for not accepting the same.

My fourth point is, if you look at Sections 234 and 235 of the Code, they deal with cross-border insolvency. But, if you look at them closely, they do not provide any comprehensive framework for cross-border insolvency matters. I personally feel that the global investor community is keenly observing when India is going to have the Cross Border Insolvency framework. Once we have this, I am sure we would be having more cross-border deals.

If you look at the FDI flow, it was 62 billion US Dollars in 2017-18 compared to 60 billion US Dollars in 2016-17. It also helps further to enhance the ease of doing business, to provide a mechanism of cooperation between India and other countries in the area of insolvency resolution and to protect creditors. So, there is a need to have a framework for cross-border insolvency. I would like to know what the Ministry is doing in this regard and whether the Insolvency Law Committee was asked to look into this. If so,

what are the recommendations made by this Committee? I feel had it been brought with this Bill, it would have sent a positive message among the global investor community.

Sir, my next point is relating to Clause 37 of the Bill which aims to amend Section 240 by inserting a new Section 240A. The crux of the clause says that Section 29A of the Code does not apply to MSMEs. It is welcome. But, Clause 3 says that every notification issued shall be laid on the Table of both the Houses of Parliament and if both the Houses make any modification to the notification, the notification would accordingly be modified as agreed upon by both the Houses of Parliament. But, I have every apprehension about this and let me justify my apprehension by giving an example. Though it is unrelated, I think you will understand why I am bringing this up.

Section 6(a)(7) of the Inter-State Water Disputes act, 1956 says that every scheme or regulation made shall be laid before each House of Parliament and if both Houses agree in making any modification then such regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect. But this is not being followed when you have recently framed a scheme for the Cauvery river water distribution between upper and lower riparian States. So, how can we believe that you will place that notification before both the House and if the Houses modify them, you will change it accordingly when you are not doing it in another such Acts?

I want an assurance from the hon. Minister on this issue.

Sir, while we welcome the IBC, since we are talking about bankruptcy, I would just like to take a minute to remind the House and the hon. Finance Minister that due to the unfair, unscientific and undemocratic way AP was bifurcated, the residual State of AP continues to suffer from a budget deficit.

Hon. Finance Minister, we demand that the Special Category Status should be accorded to Andhra Pradesh to bring a structural stability to our financial situation in our State also.

Sir, these are some of the observations which I wanted to make. With these words, I conclude my speech and request the hon. Minister to look into the issues raised by me holistically and bring necessary changes to the Code. Thank you, Sir.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Thank you, Sir.

Sir, the Indian economy has been continuously growing for the last two decades and in the process of growth, we have accumulated a lot of bad '*karma*' -- bad '*karma*' in the forms of NPAs and insolvency. I think this is a time for that spring cleaning of whatever bad '*karma*' or bad goods, that we have accumulated. We should clean it.

For the economic growth and for attracting foreign investments, ease of doing business is important. But, equally important is the ease of resolving insolvency. As per Doing Business Index-2016, released by World Bank, India is among the lowest. At 136th rank, we are the worst nation in terms of insolvency ranking. The recovery rates of insolvency are extremely low. I mean it is 25 per cent as opposed to 80 per cent, 87 per cent or 89 per cent for Singapore. Amongst big countries, we are quite lower down the order. The nature of fraud and the sheer size of fraud triggering insolvencies have increased. So, we need this to continuously review and amend the insolvency law. This is one of such opportunities.

But, before I go into the Bill itself, I just like to ponder over a point. Why is there such a stark difference in recovery that it is 80 per cent in foreign countries and 25 per cent in our country? Are we a nation of fraudsters and thieves? No, Sir, I do not think that we are a nation of fraudsters and thieves. We are, by and large,

honest people. But, in many situations, our law treats the honest people in the same way we deal with fraudsters, including in this case.

Let us also clearly understand one more thing that not all bankruptcy cases are cases of fraudsters. There are many hardworking and honest businessmen who go bankrupt. So, we have to be very clear. These insolvency laws are not only meant for nailing the fraudsters, but also it is meant for protecting the honest businessmen, who because of reasons beyond their control, go bankrupt. Probably, that is why we have such contradicting views from this side of the House and that side of the House.

Sir, should the law be very tight or should it be liberal enough? Should it be tight to nail the fraudsters or should it be liberal enough to protect the honest and hardworking people? Should it be 75 per cent or should it be 66 per cent?

Now, I come to the Bill. The Code defines financial creditors to protect the real estate home buyers. But, I would like to note one point. If a builder has about 200 buyers for flats, all of them together will have one representative. If that one representative colludes, then this is a problem. Yes, they can complain and replace the representative. But, sometimes it is too late. By that time, he has already entered into an agreement to sell a hundred crore land for about ten crore.

I think the threshold for CoC is the most contentious point in the Lok Sabha today, that is, 76 to 66 per cent. I agree with the hon. Minister, Goel Ji, and his clarification. In some cases, 75 per cent is very harmful. Let me give you an

example. If by selling one asset of a company with that money they can resolve the company, a small percentage will protest selling that asset. It is because they want the company to be bankrupt and liquidated so that they can buy it at a much lower price. In such cases, it is beneficial to have 66 per cent and harmful to have 76 per cent. So, I think, we have to look at it on a case to case basis.

17 00 hrs

So I think the clarification from the Minister is good but the Ordinance route definitely raises the eyebrows and definitely raises a lot of voices in the Parliament.

As per the changes proposed in the Bill, there is only one point protecting the honest businessmen, *i.e.*, regarding MSME. The promoter can buy it back if the bids are too low. I think that will really help in protecting the honest businessman who has gone bankrupt not because of his fault but because of various market circumstances or because of customers who refused to pay money or the suppliers who after taking advance do not pay him or because of the changes in the Government policy.

Another important point is regarding the definition of wilful defaulter. If he is a wilful defaulter, he cannot bid for his own company. But the definition of wilful defaulter is given by the RBI. In one of the definitions, it says, 'anyone who diverts the funds away from the company'. If he has given a cheque from this company to another company for siphoning off the money, yes, he can be caught. But more often than not, the mechanism of diversion is through over-invoicing purchases and

then taking money back from the supplier or under-invoicing. You sell your own property or goods to a colluding buyer and then take it at a much lower price. So, over- invoicing and under-invoicing are mechanisms for siphoning off. There is no mention of this in the Bill. These cannot be proven easily. They can be proved by the CBI. They cannot be proved by audits or by the bankers.

Sir, I will take the case of ABG Shipyard. It has more than Rs.18000 crore claim from creditors like ICICI and CBI. The offer that they got was for Rs. 5600 crore from a buyer but that will be paid after ten years or so. The other offers from Reliance and others were not even worth considering. But if it is liquidated, it is only Rs.2200 crore which they would get out of Rs.18000 crore. But to make matters worse, this company has got the Navy orders to build ships. Now if they cancel this, it will set the Navy back by ten years. In such cases, how do you resolve? I think we need to focus more on resolution and mechanisms of resolution. In fact, the very term 'resolving insolvency' itself in literal terms is a contradictory term. Insolvent means, it cannot be solved but you are trying to resolve it. It needs great expertise or it needs support of the existing promoter to resolve the company.

Why is there difference in recovery rates *versus* in other countries? I think the same law treats dishonest, wilful defaulting bankruptcies as well as honest together. That is why, I think we have all these issues between the Opposition and the Minister which he is trying to clarify. How do other countries deal with it? Why

are the recovery rates so high in other countries? It is because they have separate laws.

Like I said, not all defaulters are fraudsters. Many eminent people are defaulters starting with Abraham Lincoln who applied for bankruptcy twice; Thomas Jefferson – once; Ulysses S. Grant, the American civil war hero who went on to become the President applied for this; the Ford Motor Company went bankrupt; and even World Disney went bankrupt.

So, we need laws to protect the honest defaulters and this Bill does not fully address it.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I would like to participate in the discussion on the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2018.

Sir, before I go to the Bill, I appreciate the Government as they have taken a decision to withdraw the FRDI Bill. I appreciate the Government because it has taken a decision to withdraw the FRDI Bill. At the time of its introduction in the House, the Government said that it is a landmark Bill for solving the financial issues.

Now, the FRDI has become a dark-mark Bill as far as this legislation is concerned.

Sir, we discussed this Bill – the Insolvency and Bankruptcy Code – in 2016. I remember, I myself had participated in that discussion. Many hon. Members of this House, especially from the Opposition, had pointed out the basic reason as to why the NPA is increasing and banks are unable to take action. We agreed that the 2016 Bill with limited purpose was useful, especially to take action against wilful defaulters and persons who have been mismanaging the institutions and flying away from the country.

I would like to know what the urgency of this Ordinance is as has been questioned by other hon. Members of the House. Government has a right to bring an Ordinance. This may be for social need, or economic need or for administrative need. Can the Government cite any reason for bringing this Ordinance?

The hon. Minister intervened in the discussion and said that there was a 14-member Committee which suggested for promulgation of an Ordinance. I agree that there was a 14-member Committee. Irrespective of whether it was a 14-member Committee or a four-thousand-member Committee, the issue is, what is the purpose? What is the objective of promulgation of this Ordinance? It was not for reasons of any social demand, or an economic demand or an administrative demand. But this was promulgated for reason for one person. That is why I am strongly opposing the promulgation of the Ordinance.

The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2018 was promulgated on June 6, 2018. It amends the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The Code provides for a time-bound process for resolving insolvency in companies and among individuals. Insolvency is a situation where individuals or companies are unable to repay their outstanding debts.

The Code defines a financial creditor as a person to whom financial debt is owed. Such debt includes any amount raised, that has the commercial effect of borrowing. Financial creditors are a part of the Committee of Creditors which is responsible for taking key decisions related to the resolution. The Ordinance clarifies that an allottee under a real estate project will be considered a financial creditor. An allottee includes any person to whom a plot, apartment or building has been allotted, sold or transferred by a promoter. I do agree that there are a few beneficiaries that is with regard to the MSME or the home buyers. But the main

focus of this amendment Bill is that the Code specifies that all decision of the Committee of the Creditors be taken by a majority of at least 75 per cent of the financial creditors. The Ordinance now lowers the threshold to 51 per cent and for some decisions, the voting threshold has been reduced to 66 per cent. That includes appointment and replacement of the resolution professional and approval of certain actions of the resolution professional during the insolvency resolution process.

Sir, here the Government has to clarify for whom this amendment has been made. What is the reason for reducing the voting share from 75 per cent to 51 per cent and in some cases from 75 per cent to 66 per cent?

Sir, as has been stated by other hon. Members it is very clear that Alok Industries has got a benefit of Rs. 25,000 crore out of this and ESSAR steel company has got a benefit of Rs. 21,000 crore. So, it is not for social, economic or administrative purpose for which this Ordinance was promulgated. But it is very clear that it was meant to benefit one company, namely M/s Alok Industries.

It is true that it has been reduced from 75 per cent. As we have discussed earlier during the debate on the Bill, 2016, why have you reduced it? It is said in those days that Shri Jaitley has assured that you are going to take stern action. Many suggestions have been given. Now you are diluting the basic principle that you have taken in those days. That is why this 75 per cent has been reduced to 66 per cent. It is done only to assist some companies.

]

Now it is very clear that it is not for the general purpose or the social purpose but only to assist someone. The cat is out of the bag which shows that this industry is related to Reliance. So, I strongly oppose the amendment which is to promote one person and not brought for the welfare and stability of the banking system or institutions.

We have very serious experiences of mismanaging the institutions looting public money. All these were done under the protection of loopholes of some legislation. Even though there were strong legislations, we could not take any action. For example, consider the issue of Vijay Mallya. He has taken loans from various banks with securities. He has to pay at least Rs. 900 crores to various banks and he left the country safely.

As regards Punjab National Bank, Nirav Modi has taken Rs. 13,000 crore and left the country. Now PNB is in a stage of collapse. The Government has to become the guardian and guarantor of public banks but the changes that have come in the lending policy especially in the real estate sector and related projects have collapsed many of the banks. This House has agreed to give Rs. 1000 crore to public banks to sort out their cash drain problem. During the debate of the Insolvency Code, 2016, we had discussed these issues in detail. Now the Government has again shown green signal for such wilful defaulters and persons

who are mismanaging the institutions. The purpose of the amendment is not clear there from the intervening of the hon. Minister.

So, I strongly oppose this Bill and also the untimely Ordinance that the Government has issued.

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Sir, I am extremely privileged to speak on this Bill as a continuation of my earlier speech when the Bill was introduced in 2016.

We have been watching how this piece of legislation has come handy for the creditors in realising their dues in a speedy and systematic manner. It is not only realising the loans given by banks and other financial institutions, but it is more significant that it will put the industries on track under new managements improving productivity. Recycling activity in economy will get stimulus leading to employment creation and growth in economy.

Probably with a view to further strengthening the insolvency and bankruptcy mechanism and after watching the situation for about two years, the Government is bringing this legislation so as to fine tune the Code. I welcome the amendments to the Code which are meant to further improve the efficiency and effectiveness of the resolution process.

After we opened up our economy and started soliciting investments from abroad, such investors have been making their investments based on not only the return on investments but also the statutory and legal framework for the protection and safety of their investments.

Insolvency and bankruptcy laws of our country have been the major bone of contention for many investors mainly because of the multiple number of laws and

the time taken for the resolution of disputes. This makes recovery of debt a cumbersome process.

17 14 hrs

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

The earlier Bill, to a large extent, has met these expectations. However, certain irritants have been noticed and this Amendment Bill ensures plugging of loopholes.

These amendments primarily aim at securing all real estate buyers. This will provide a lot of relief to home buyers who are generally middle-class salaried people. They will become on par with other creditors. This requires further clarification as there is some confusion with regard to their status. Reduction of voting threshold is another step aimed at quick dispersal.

The passage of this Bill will enable quick and prompt action to be taken in the early stages of debt default by a firm, maximising the recovery amount. The creditors will not become victims of red-tape and promoters will directly become accountable for any financial lapses. Bankruptcy laws accept that business ventures can fail and allow entrepreneurs to get a fresh start.

We all know that our banks are saddled with huge amounts of NPAs thereby choking the financial system. The time has come to overhaul the laws prevalent in our country, especially the laws concerning the financial sector. Amendments to the principal Act are welcome initiatives for creditors, investors and debtors alike. The streamlining of procedures, simplification of the insolvency process and fast-

tracking of recovery are hallmarks of the Insolvency and Bankruptcy Code, which will have a positive effect on India's lending climate.

Sir, even while supporting the amendments, I would like to express my concern and reservation on one aspect and that is the appeal process provided in the Bill subject to correction, if any. As per the provisions of the Bill, the National Company Law Tribunal and the Debt Recovery Tribunal are the adjudicating authorities. Their decisions could be challenged in Appellate Tribunals. These Appellate Tribunals are located in the National Capital or, at the most, in Metropolitan Cities and the further appeal can be done only in the Supreme Court of India. This will increase the cost of appeal process and put burden on the people. If the appeal process could be restructured to allow the appeals from the National Company Law Tribunal and the Debt Recovery Tribunal or even from the Appellate Tribunals to the High Courts and finally to the Supreme Court, it will be of great convenience and financial relief to all the parties involved. With these words, I conclude.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने आईबीसी के दूसरे अमेंडमेंट पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके पक्ष में खड़ा हुआ हूँ। आईबीसी वर्ष 2016 में लागू हुआ। इसके लागू होने के बाद काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। सबसे बड़ा परिणाम यह था कि छोटे-छोटे सप्लायर्स जो बड़ी कम्पनियों को माल सप्लायी करते थे, उनको पेमेंट नहीं होता था। ड्यू डेट पर पेमेंट न करने के बाद भी उनके पास कोई चारा नहीं होता था, लेकिन आईबीसी के लागू होने के बाद यह परिवर्तन आया है कि यदि वह ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं देता है तो वह इंसोल्वेंसी के प्रोसेस के तहत एप्लीकेशन लगा सकता है। इससे सभी छोटे सप्लायर्स को यह फायदा हुआ कि उनको समय पर पेमेंट मिलने लगी। जो कम्पनियां जान-बूझकर उनका पेमेंट रोकती थीं, वे समय पर पेमेंट देने लगीं। इससे छोटे सप्लायर्स की जो वित्तीय स्थिति खराब होती थी, वह ठीक होने लगी।

यह बिल वर्ष 2016 में पास हुआ था। इसमें एक अमेंडमेंट वर्ष 2018 में आया था। वह अमेंडमेंट इसलिए जरूरी था क्योंकि इंसोल्वेंसी प्लान में कुछ एप्लीकेंट ऐसे आ गए थे जिनका कम्पनी की वित्तीय स्थिति बिगाड़ने में भी हाथ था। ऐसे एप्लीकेंट्स को रोकने के लिए पहला संशोधन वर्ष 2018 में लाया गया और उसमें सेक्शन 29(a) जोड़ा गया। उसमें सर्व्टन पर्सन्स को डिसक्वालिफाई किया कि वे रेजोल्यूशन प्लान के आवेदक नहीं हो सकते हैं। उसके बाद यह दूसरा संशोधन लाया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट यह है कि लोग बचत करके अपने लिए घर बुक कराते थे।

मकान बुक कराने के बाद जो रियल एस्टेट की कंपनी है, वह समय पर मकान नहीं देती थी और अगर वह इंसोल्वेंसी प्रोसेस में चली गयी तो मकान बुक कराने वालों का पैसा डूबने की स्थिति में आ गया। अब इस अमेंडमेंट के जरिए उसको फाइनेन्शियल क्रेडिटर की परिभाषा में लिया गया है। फाइनेन्शियल क्रेडिटर अर्थात् जिन्होंने भी मकान बुक कराया है, सारे लोग मिलकर, जो भी रिजोल्यूशन प्लॉन होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, क्योंकि उनका वोटिंग राइट फाइनेन्शियल क्रेडिटर व क्रेडिटर

ऑफ कमेटी में होता है, इसलिए वे अपना पक्ष रख सकेंगे। इस अध्यादेश से पहले जो अपना पक्ष नहीं रख सकते थे, अब वे अपना पक्ष रख सकते हैं।

इसके साथ-साथ मेरा एक और आग्रह है कि जिन्होंने अपनी जिन्दगी भर की कमाई बचाकर मकान लेने के लिए उसे बुक कराया है, अगर उनको प्रॉयोरिटी क्रेडिटर में ले लें, तो उन्हें बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। यह मंत्री जी से मेरी रिकवेस्ट है।

एक अमेंडमेंट यह भी है कि पहले जो कॉर्पोरेट इंसॉलवेन्सी के लिए इनिशिएट करना चाहते थे या एप्लीकेशन लगाना चाहते थे, वे अपने आप बोर्ड में रिजोल्यूशन पास करके एप्लीकेशन लगा देते थे। परंतु इस अमेंडमेंट के बाद, बोर्ड का रिजोल्यूशन ही नहीं बल्कि 75 प्रतिशत शेयर होल्डर्स की सहमति के बाद ही कॉर्पोरेट अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है। पहले जो डायरेक्टर बोर्ड में होते थे वे अपने इंटेरेस्ट के हिसाब से काम करते थे, लेकिन अब इसको रोका गया है और शेयर होल्डर्स को यह पावर दी गयी है कि रिजोल्यूशन के लिए एप्लीकेशन दी जाए या न दी जाए, ऐसा करके बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया है। एम.एस.एम.ई. सैक्टर को भी इसमें छूट दी गई है क्योंकि जब सैक्शन 29(ए) में रिजोल्यूशन प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए, डिसक्वालिफिकेशन दिए गए और उस एप्लीकेशन में इनको बाहर निकाला गया। अगर कोई छोटी कंपनी किसी कारण से बैंक को पैसा नहीं दे सकी या उसकी लॉयबिलिटी एन.पी.ए. हो गई तो केवल एम.एस.एम.ई. की जो कंपनी हैं, यानी माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेस जितने भी हैं, उनको अब इसके कारण डिसक्वालिफाई नहीं किया जाएगा। यह बहुत बड़ा परिवर्तन इस अमेंडमेंट में लाया गया है। पहले जो मेन आई.बी.सी था, उसमें यह प्रोविजन नहीं था कि अगर किसी ने एप्लीकेशन लगाई है और उस पर प्रोसेस भी चालू हो गया है तथा रिजोल्यूशन प्लॉन भी आ गया, तब क्रेडिटर ऑफ कमेटी मिलकर एप्लीकेशन को विड्रा करना चाहें, तो यह प्रोविजन भी इसमें

अभी डाला गया है। 90 प्रतिशत कमेटी के क्रेडिटर्स जो वोटिंग शेयर रखते हैं, वे अगर एग्री हो जाते हैं तो उस एप्लीकेशन को वे विड्रा कर सकेंगे। महोदय, चूंकि आपने घंटी बजा दी है और मैं बहुत अनुशासित मेंबर हूं, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2018 के लिए हो रही चर्चा में शामिल होने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जहां तक बिल का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि यह बिल जिस तरह स्टैंडिंग कमेटी तथा बैंकिंग कमेटी में होकर आया है। वहां इस पर विचार-विमर्श होने के बाद फैसले हुए हैं। इसलिए अब इस बिल के संबंध में कोई विरोध नहीं होना चाहिए। इसकी इंप्लीमेंटेशन में अगर कोई शंका है तो उसके लिए सवाल खड़े किए जा सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज कोई कैसी भी नुक्ताचीनी करे, सच तो यह है कि देश की बैंकिंग प्रणाली पर से विश्वास उठ गया था। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस हाउस में कहा था कि 52 लाख करोड़ रुपए के एन.पी.ए. सही मायने में हैं, तो इस पर सब चिल्लाने लगे। 15 लाख करोड़ रुपए के एन.पी.ए. हमारे कागजों में हैं।

यह बहुत आश्चर्यजनक बात थी। अब इस पैसे को कैसे लाया जाए। मैं समझता हूँ कि यह सही बात है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब सब कुछ जाता देखिए तो आधा दिये बांटा। यह भी कहा जाता है - भागते चोर की लंगोटी ही सही। जो मिलता है, वह तो ले लें। देश में क्या हो रहा था - लोग बैंकों में घोटाला करके भाग रहे थे, कोई बाहर जा रहा था, कोई अपनी फर्म का नाम बदल रहा था। हमारी आंखों के सामने यह खेल पिछले कई वर्षों से हो रहा है। हम इस सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि कम से कम थोड़ा बहुत तो लाए, नहीं तो कुछ भी नहीं मिल रहा था।

जहां तक इस बिल का सवाल है, मैं इस बिल के पक्ष में हूँ। ... (व्यवधान) जितना मिलता है, उतना तो ले लें, मगर बिल के बिना भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जरूर जानना चाहूंगा। मैं मंत्री जी से पहला सवाल यह पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतने फ्रॉड और स्कैंडल किए या जिन्होंने करवाये, उनका क्या हुआ, उनके बारे में आपने क्या सोचा?

दूसरा सवाल यह है कि ऐसी स्थिति आगे पैदा न हो, हमारी बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास हो, हमारी अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर चले, उसके लिए परमानेंट मैकेनिज्म क्या तैयार किया है?

तीसरा सवाल यह है कि आपने इंडस्ट्री और कारपोरेट सैक्टर में जितना मिला, उतना लाने की बात की है। हम चाहते हैं कि किसानों के लिए आप कुछ करें, क्योंकि कृषि आज बहुत घाटे में जा रही है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं। किसानों के लिए कोई वन टाइम सैटलमेंट प्रोग्राम या लोक अदालतों के द्वारा उनके मामलों का निपटारा हो, जिससे किसान कर्जमुक्त हो जाएं। जैसे आप इनसोलवेन्सी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, इसी तर्ज पर क्या सरकार किसानों को कर्जमुक्त करने के लिए, उनके सारे मामलों का निपटारा करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म ला रही है या ऐसी कोई व्यवस्था बना रही है? आज देश में किसान खुदकुशी कर रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, यह आप सब जानते हैं। हमारे पंजाब में इतना विश्वास दिलाया गया कि बैंकों का कर्जा, आढ़तियों आदि सबका कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन वह नहीं हुआ तो किसान खुदकुशी के रास्ते पर जा रहे हैं। हमारे कोऑपरेटिव सैक्टर के इंदारे बंद हो रहे हैं, उन्हें डिफाल्टर डिक्लेयर कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में, मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि इन सबके लिए भी आप इसी तर्ज पर कोई बिल लाएं तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे दिवाला और संशोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018 पर बोलने की अनुमति दी है, मैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। सदन में दिवाला संशोधन बिल पेश किया गया है, यह सदन में क्यों पेश किया गया है और किसके लिए पेश किया गया है? क्या यह प्रो-पुअर है, गरीबों के लिए है, दलितों के लिए है, शोषितों के लिए है, उपेक्षितों के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए है, किसान के लिए है, बेबस और लाचार के लिए है या दरवाजा, फाटक कहीं बंद किया जा रहा है और दूसरों के लिए खोला जा रहा है। इस पर हमें सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि यह प्रो-पुअर नहीं है। यह बड़े उद्योगपतियों के लिए गतिशील है। इसका दरवाजा उधर खुल रहा है। खास व्यक्तियों के लिए खुल रहा है। पूंजीपति और उद्योगपति इन दोनों ने हमारे देश को खोखला किया है। जैसे नोंच-नोंच कर खाते हैं, ऐसे नोंच-नोंच कर खाया है। जैसे बकरी घास से दोस्ती नहीं करती है ...(व्यवधान) आप शांत रहिए, यदि आप एक सौ भी उठेंगे तो हम अकेले आप लोगों के लिए काफी हैं। ...(व्यवधान) आप बैठ जाइए।

एक बेटा, माननीय लालू जी हैं, जिन्होंने कहा कि हम अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी अगर गरीबों, पिछड़ों और दलितों पर अन्याय करेगा तो लालू यादव मरना पसंद करेगा, लेकिन अन्याय नहीं करेगा। ...(व्यवधान) इसलिए शांति से सुनिए। ...(व्यवधान) सत्ता में हैं तो विपक्ष का वार सहने के लिए कलेजा चौड़ा कर के रहिए, वर्ना हम बैठने वाले लोग नहीं हैं। ...(व्यवधान) बैंकों और किसानों को खोखला किया गया है। ...(व्यवधान) चंद बड़े उद्योगपतियों ने खोखला किया है। ...(व्यवधान) हम ऋण से गरीबों को मुक्त करना चाहते हैं, किसानों को मुक्त करना चाहते हैं। किसानों के गले में गमछा लगा होता है। उन्हें दिन दहाड़े कहा जाता है कि तुम ऋण लिए हो तो जेल चलो। लेकिन बड़े उद्योगपतियों को माफी मिल जाती है। नीरव मोदी चला जाता है, विजय माल्या चला जाता है, मेहुल चोकसी चला जाता है, ललित मोदी चला जाता है। ...(व्यवधान) गंगा की सफाई नहीं होती है, लेकिन दिन-दहाड़े बैंक को साफ कर के नीरव मोदी चला जाता है। ...(व्यवधान) मुझे दो मिनट बोलने का मौका दीजिए। ...(व्यवधान)

अब जमीनों की बैंकिंग हो रही है। ...(व्यवधान) नया जमींदार पैदा हो रहा है। गदरे के भाव से जमीनों को झारखण्ड में खरीदा जा रहा है। हमारे बैंक का दिवाला हो गया है। नोटबंदी में उद्योगपतियों को माफ किया और गरीबों को साफ किया है। जीएसटी ने खुदरा व्यापारी का सर्वनाश किया है। कहते थे कि स्विज़ बैंक का काला धन लाएंगे और अब कहते हैं कि वहां उजला धन है। ...(व्यवधान) कहते हैं कि स्विज़ बैंक का स्विच ऑन करते हैं तो ऑन ही होता नहीं है, ऑफ हो गया। ...(व्यवधान) सन् 2019 में देश की जनता आपका भी स्विच ऑफ कर देगी। ...(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। ...(व्यवधान) पांच सौ उद्योगपति देश से बाहर चले गए। आज टाटा हो, स्टील हो, टील हो, चिपकने का हो या जो भी हो। हम प्रम से यही कहना चाहेंगे कि एसोसिएशन बनाया जाए। जो कार्य है, रियल एस्टेट में मकान बने हैं, बिल्डर्स भाग गए हैं, उनको एसोसिएशन बना कर मकान दिया जाए और जो बिल्डर्स हैं, उन पर कठोर से कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। देश सबका है, चमन-ओ-बगीचा सबका है। इसलिए सबको न्याय मिलना चाहिए और प्रो-पुअर काम होना चाहिए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे दिवाला और शोधन, अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, 06 जून, 2018 के अध्यादेश के अनुरूप यह प्रस्ताव आया है और इसके अंतर्गत धारा 5 के खण्ड 8, धारा 10 और धारा 14 को संशोधित कर कानून को सुगम और स्पष्ट बनाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। एक नई धारा 12 (क) को जोड़ा जा रहा है। इससे कोई भी आवेदन वापस लेने की अनुमति दी जाएगी। जहां तक कुछ सदस्यों की आशंका है, चाहे मोइली साहब हों या प्रेमचन्द्रन जी हों, बहुत लोगों ने आशंका जाहिर की है कि इस बिल से कुछ लोगों को फायदा मिलेगा। कुछ लोगों के लिए यह बिल लाया जा रहा है। अभी जय प्रकाश जी भी बोल रहे थे। ये लोग चाहते हैं, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, तो हमको याद है कि पिछली बार कई तरह के घोटाले रोज सामने आते रहते थे, लेकिन कोई कानून नहीं बनाया जाता था। जब कोई संशोधन कानून लाया जा रहा है कि गरीबों का पैसा वापस आ जाए, तो यह तो अच्छा कदम है। गरीबों का पैसा वापस कैसे आएगा, बड़े-बड़े उद्योगपति, बड़े-बड़े बिल्डर्स मकान लेने के नाम पर पैसा लेते थे और वे पांच-दस साल मकान बना कर लोगों को नहीं देते थे। उसके लिए यह बिल लाया जा रहा है, न कि अभी हमारे साथी जय प्रकाश जी जैसा बता रहे थे। हम लोग उस बिल का समर्थन करने के लिए यहां बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार में हमने देखा है कि लगातार कई तरह के घोटाले किए गए, लेकिन कोई बिल ला कर उसको सुधारने का प्रयास नहीं किया गया। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मेरा एक छोटा सा सुझाव होगा कि ईमानदार कर्ज देनदारों को, अगर मौका मांगा जा रहा है तो उस पर भी विचार करने का प्रावधान होना चाहिए, साथ ही बैंकों ने भी कई धांधलियां की हैं, इसके लिए बैंकों को भी दण्डित किया जाना चाहिए।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बिल दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे माननीय मंत्री जी लेकर आए हैं, पर बोलने का मौका दिया। मैं बहुत देर से सबको सुन रहा था। मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूँगा, उन बातों को दोहराना नहीं चाहूँगा। हम सभी लोग अवगत हैं कि इस देश में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता आने के पहले क्या स्थिति थी? कितने लॉज थे, कंपनी एक्ट था, सरफेसी एक्ट था, सीका था, बहुत कंप्यूजन था, कान्ट्रिडिक्शंस थे कि अगर कोई कंपनी इन्सॉल्वेंसी में चली गई तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगता था। जबकि इंग्लैंड में एक साल में इन्सॉल्वेंसी का कोई रिजोल्यूशन प्लान बन जाता था, यू.एस. में 1.5 साल में बन जाता था और यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इसमें तीन साल लगते थे।

मैं तो सरकार को बधाई दूँगा कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाकर, इस देश में वर्षों से एनपीए का जो बोझ हमारी सरकार को विरासत में मिला, आज उस एनपीए को या उस बैंकिंग सिस्टम को सुधारने की दिशा में एक बहुत बड़ा कारगर कदम हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं वर्ष 2018 के इकोनॉमिक सर्वे की बात करना चाहता हूँ। The Economic Survey 2018 has said that the Insolvency and Bankruptcy Code is helping to improve the health of the banking sector. It says that the IBC mechanism is being used actively to resolve the NPA problem of the banking sector. पूरे देश के लोग, चाहे सत्ता पक्ष में हों या प्रतिपक्ष में हों, हम हमेशा बैंक के बढ़ते हुए नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट्स (एनपीए) की बात करते थे। अगर आज इस नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट्स (एनपीए) को हल करने की दिशा में हमने एक कदम बढ़ाया है तो मुझे लगता है कि आज जो यह सेकेंड अमेंडमेंट आया है, यह बहुत क्लियर है और clarity of thought है। The amendments to the Insolvency and Bankruptcy Code are intended to provide relief to home buyers by recognising their status as a financial creditors, thus, giving

them due representation in the Committee of Creditors(CoC) and making them an integral part of the decision making process. जिसकी चिंता सब कर रहे हैं, उसको हमने इस अमेंडमेंट से डिसिजन मेकिंग प्रोसेस बनाया है। उनको हमने फाइनेन्शियल क्रेडिटर्स के रूप में दिया है।

इस कोड के आने से पहले क्या स्थिति थी? गवर्नमेंट के ड्यूज, बैंक के ड्यूज, लेबर्स के ड्यूज और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का तो पैसा मिलता ही नहीं था। आज कम से कम यह अमेंडमेंट आया है, निश्चित तौर से आज जब हम इसे पास करेंगे तो इसका असर केवल इस पार्लियामेंट के अंदर तक नहीं होगा। चाहे एनसीआर हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, लखनऊ हो, पटना, कानपुर, मुंबई, अहदाबाद, सूरत आदि देश के तमाम शहरों में जिन लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई के पैसे लगाकर, लोन लेकर मकान खरीदा, फ्लैट बुक किया था, उनको मकान नहीं मिला, फ्लैट नहीं मिला, लेकिन उनके वेतन से बैंक की ई.एम.आई. कट रही है। उनके ऊपर लगातार ब्याज की देनदारी बढ़ रही है, लेकिन मकान फिर भी नहीं मिला है, उनका पैसा भी वापस नहीं हुआ है। आज का दिन उनके लिए ऐतिहासिक दिन होगा, जब हिन्दुस्तान के उन गरीबों को, उन मध्यम वर्ग के लोगों को, उन होम बायर्स को एक लीगल स्टेट्स हम इस अमेंडमेंट से दे रहे हैं। यह कोई साधारण अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि यह बड़ा महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है। इसकी भी आलोचना की जा रही है। प्रेमचन्द्रन जी कह रहे हैं कि हम वर्ष 2016 से दो अमेंडमेंट लेकर आए हैं। हम दोनों अमेंडमेंट जनहित में लाए हैं। आप एक तरफ इन्डोर्स भी कर रहे हैं कि हम ठीक अमेंडमेंट लेकर आए हैं और दूसरी तरफ कन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं। आपने कहा भी है कि चाहे होम बायर्स के लिए हो, उनकी रक्षा होगी, चाहे एम.एस.एम.ई. हो, यह उसके हित में होगा। The promoters of MSME can bid for their own unit.

जो मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, वह हो सकता है। जो दो साल का प्रॉजिक्शुन हो चुका है, वे बिडर्स नहीं बन सकते, वे बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जो पहले प्रोमोटर्स थे, वे नहीं कर सकते थे, उनको प्रॉफिट किया है। जो भी हमने कदम उठाए हैं, वे हमने इसी

इंटररेस्ट में उठाए हैं। आज दुनिया में आप देखिए। उन्होंने कहा कि यह किसी को फायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। अगर सी.ओ.सी. में 90 परसेंट लोग तैयार होंगे कि हम उस रिजोल्यूशन को वापस करने की अनुमति दे रहे हैं तो वह निश्चित तौर से कोई कबाड़ के भाव जाए, उसके बजाए अगर वापस होकर के उसकी कीमत मिल जाए और लोगों के हक-हुकूम की हिफाजत हो सके तो मुझे लगता है कि उनको अपना अमेंडमेंट वापस ले लेना चाहिए। उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि आज यह बिल कितना जनहित में लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात को केवल उन अमेंडमेंट्स तक ही सीमित रखा है।

“The voting threshold for routine decisions taken by the Committee of Creditors has been reduced from 75 per cent to 51 per cent.” आज पीयूष गोयल जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने जिस बात का उल्लेख किया है, आज अगर यूरोप में, यू.एस. में, सभी जगहों पर रूटीन वर्क के लिए 51 प्रतिशत की वोटिंग पर सी.ओ.सी. कोई निर्णय ले सकता है तो हमारे यहां 75 प्रतिशत पर क्यों नहीं ले सकता है? यह स्वाभाविक है कि फिर हम कोई फाइनेंशिएल रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहें, लिक्विडेशन में जाना चाहें तो इसमें जो स्टैकहोल्डर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उन्हें कितने वर्षों तक यह सब करना पड़ेगा? आज जब एक तरफ हम उन्हें लीगल आईडेंटिटी दे रहे हैं तो इस बिल के माध्यम से उन्हें सिक्योरिटी देने का काम भी है।

“For certain key decisions, this threshold has been reduced to 66 per cent.” मुझे लगता है कि यह एक प्रगतिशील कदम है। इस संशोधन का तो सर्वसम्मति से स्वागत करना चाहिए।

इसके बावजूद, इस सदन में हम चाहे सत्ता पक्ष से हों, चाहे प्रतिपक्ष से हों, लगातार इन मुद्दों को हम उठाते रहे हैं।

आप देखिए कि जो वाटरफॉल मैकेनिज्म था, वह पहले क्या था? वह पहले था - The Insolvency resolution process cost and the liquidation cost paid in full. इसका मतलब कि जो प्रोसेस होगा, पहले उनकी तनख्वाह दी जाएगी, उन्हें पैसे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद था -

“(i) Workmen’s dues for the period of twenty-four months preceding the liquidation commencement date; and

(ii) Debts owed to a secured creditor in the event such secured creditor has relinquished security in the manner set out in Section 52.

(c) Wages and any unpaid dues owed to employees other than workmen for the period of 12 months preceding the liquidation commencement date.

(d) Financial debts owed to unsecured creditors.”

इसका मतलब सबसे अन्त में, जो अपने जीवन में अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई के पैसे से, चाहे वे होम बायर्स हों या जो लोग हों, आज मैं समझता हूँ कि जब यह सदन इस अमेंडमेंट बिल को पास करेगा तो निश्चित तौर पर देश के उन लाखों लोगों को, चाहे वे नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे और जिन्हें लगता था कि उनके सामने अंधकार है तो यह बिल केवल पास नहीं होगा, बल्कि उनकी जिन्दगी में इसके माध्यम से एक उजाला आएगा, एक नया सबेरा आएगा।

इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इंसॉल्वेंसी एण्ड बैंकरप्टसी कोड (सेकन्ड अमेंडमेंट) बिल, 2018 पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूँ कि इसे एक एक्ट के तौर पर सरकार लेकर आई है। पर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि इसकी क्या जरूरत पड़ी थी कि इसके लिए एक ऑर्डिनैस लाना पड़ा? जब इस बिल को इस सदन ने पास किया था, तब सरकार ने एक उम्मीद बंधाई थी कि इससे कहीं-न-कहीं व्यवसाय को फायदा मिलेगा और इस कोड के माध्यम से उसका बेनिफिट मिलेगा। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इस बिल के माध्यम से, जो फाइनेंशिएल क्रेडिटर्स हैं, वे एन.सी.एल.टी. में जाकर अपील कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी का ही राज्य सभा के अन्दर एक जवाब है, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि 9,073 केसेज एन.सी.एल.टी. के अन्दर दिनांक 31.01.2018 को पेंडिंग हैं। जिसमें 1,630 केसेज मर्जर के हैं, 2,511 इंसॉल्वेंसी के हैं और 4,932 केसेज कम्पनीज एक्ट के हैं। जब आप रियल एस्टेट को भी इस बिल के माध्यम से एन.सी.एल.टी. के अंदर डालने का काम करेंगे तो क्या आप इस सदन को बता सकते हैं कि और कितने हजार केसेज को हम एन.सी.एल.टी. के अंदर डालेंगे? जब हम एन.सी.एल.टी. की बात करते हैं तो हमारे एन.सी.एल.टी. में मात्र 22 मेम्बर्स हैं और उसके मात्र दस स्पेशल कोर्ट्स हैं। जब हम दस स्पेशल कोर्ट्स की बात करते हैं और हजारों की संख्या में और ज्यादा नए फाइनेंशिएल क्रेडिटर्स अपनी अपील को ट्रिब्यूनल में लेकर जाएंगे तो आप यह मानकर चलिए कि आज कोर्ट से तो शायद यह आसरा था कि दो सालों में या तीन सालों में इंसाफ मिल जाएगा। अभी जगदम्बिका जी बड़ी अच्छी तरह से बोल रहे थे कि आपने उसे आस दिखा दी जो आदमी आज ई.एम.आई. से बैंकरप्ट होता है। जब ये मामले एन.सी.एल.टी. में चले जाएंगे तो पांच-पांच, सात-सात सालों तक आप उस प्रॉपर्टी के मालिक को उसका हक दिलाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। आप उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप इनकी और पीठ बनाने का काम करेंगे। आप दस से लेकर और 100 कोर्ट्स बनाएंगे और अभी 22 मेम्बर्स से बढ़ाकर आप 222 मेम्बर्स बनाने का काम करेंगे, नहीं तो आपके

इस बिल के पारित होने के बाद आप यह मानकर चलें कि इससे आप फाइनेंशिएल क्रेडिटर्स को जो फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, वह उसे नहीं मिलेगा, पर उस उद्योग के मालिक को, उस कम्पनी के मालिक को इसका फायदा आप जरूर पहुंचाने का काम करेंगे।

महोदय, मेरी एक क्लैरिफिकेशन थी कि आपने इस बिल के माध्यम से फाइनेंशिएल क्रेडिटर्स की डेफिनिशन के अन्दर, एक प्रॉपर्टी का मालिक, जो आज ई.एम.आई. भरता है, उसे डालने का काम किया है। अगर मैं एक घर लेना चाहता हूं तो क्या आप मुझे अधिकार दिलाएंगे और क्या आप मुझे 'क्रेडिटर्स' में डालेंगे?

अगर मेरी प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुई, तो क्या मुझे उसका अधिकार मिलेगा? यदि मैं अपना पैसा रिफंड चाहता हूं, तो क्या मुझे उसका अधिकार मिलेगा? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर लोगों को डालना चाहते हैं, तो आप उन्हीं लोगों को डालिए, जो लोग अपना पैसा लेना चाहते हैं, न कि उन लोगों को जो अपना घर लेना चाहते हैं। आज लोगों ने नोएडा, गुडगांव में एक-एक दशक पहले से अपना पैसा दे रखा है, लेकिन आज तक वहां बिल्डिंग की शुरुआत नहीं हुई है। अगर आपने उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में डाल दिया, तो उनका ब्याज भी गया और उनकी आय जाने का भी काम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज आप द्वारका एक्सप्रेस-वे के साथ वाले एरिये में देखिए। गुडगांव में हजारों-लाखों की तादाद में फ्लैट्स बन रहे हैं। अधिकतम कंपनीज़ ऐसी हैं, जिन्होंने आम जनता का पैसा ज़रूर लेने का काम किया, लेकिन अब तक उन्हें पोज़ेशन तो बहुत दूर की बात है, वहां फ्लैट्स बनाने का काम नहीं किया। मैं मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने 75 परसेंट सी.ओ.सी. को कम कर के 66 परसेंट किया है। आज इसकी ज़रूरत थी। अगर हम यह कदम उठा रहे थे, तो हम 66 परसेंट पर आकर क्यों रुके? आप उसको 51 परसेंट पर ले आते। उस कंपनी के जो छोटे शेयरहोल्डर्स हैं, उनका अधिकार भी तो 51 परसेंट पर होना चाहिए। कहीं न कहीं आपके इस फैसले से वह छोटा शेयरहोल्डर

इस मुहीम के अंदर दबेगा। इसलिए मेरा आप से यही आग्रह और अपील है कि सरकार ने जरूर कदम उठाया है, कुछ जल्दबाजी के अंदर कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए काम हुआ है। मैं खासतौर पर टर्म करूँगा कि उन लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए, जो आज रियल इस्टेट में लोगों के पैसे हड़प कर बैठे हैं और बिल्डिंग नहीं बना पाए हैं।...(व्यवधान) इस तरफ या उस तरफ की बात नहीं है। मेरे साथी कह रहे हैं कि उस तरफ बोलिए। ...(व्यवधान) आज हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फ्लैटों के मामले में अगर सबसे ज्यादा पैसे लूटे गये हैं तो ... * शासित राज्य में लूटे गये हैं। अगर आप लोग अधिकार दिलाना चाहते हैं तो आप इस सदन में विश्वास दिलाइए कि गुडगांव व नोएडा के लोगों को उनके फ्लैट का पैसा दिलाने का काम करेंगे।

* Not recorded.

श्री राजेश रंजन(मधेपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून बार-बार बने, यह अच्छी बात है। जब भी कोई अच्छा या खराब कानून बनता है, तो उसमें कुछ-न-कुछ नयी व्यवस्था लायी जाती है। लेकिन कानून को चलाने वाले लोग कितने अच्छे होंगे, आप इस पर कभी विचार करते ही नहीं हैं।

नोटबंदी के समय जो हालात पैदा हुए, बैंकों के कर्मचारी करोड़पति हो गए। आपने उसकी चर्चा नहीं की। मैं आज राजनीति की बातें छोड़कर यह कहना चाहता हूँ कि बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ घाटा दिखाकर कम रुपये में अपना सामान बेच देती हैं, उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा है।

बड़े-बड़े उद्योगों और पूँजीपतियों के लिए तो सारे रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन लघु और कुटीर इंडस्ट्रीज के लिए लिये गये ऋण के कारण जो हालात पैदा होते हैं, उनके कारण वे दिवालिया हो जाते हैं और ऋण कभी नहीं लौटा पाते हैं। आपने ऐसी स्मॉल और कुटीर इंडस्ट्रीज के लिए कुछ नहीं कहा है।

सबसे ज्यादा कालाधन बैंकों के सिस्टम से जेनरेट होता है। इसमें रीयल इस्टेट, शराब माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया आदि भी शामिल हैं।

बिहार में एक बड़ी राजनीतिक पार्टी या एक बड़ा परिवार है या कई राजनीतिक लोग हैं, जो बड़ी-बड़ी कम्पनियों में शेयर-धारक बन चुके हैं। जिन लोगों के पास कुछ भी पैसे नहीं थे, आज वे अरबपति और खरबपति हैं। वे कई कम्पनियों के शेयर-धारक हो चुके हैं। उन लोगों से पैसे को कैसे वापस लाया जाए, उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं, बैंक्स उनको पैसे कैसे दे देती हैं, आदि बातों पर आप ध्यान नहीं देते हैं।

कम पैसे देकर अधिक पैसे बैंकों से लिये जाते हैं। बैंकों में बीस लाख रुपये जमा करके बीस करोड़ रुपये के ऋण ले लिये जाते हैं। बड़े-बड़े उद्योगपति, पूँजीपति, पॉलिटिशियन, माफिया लोग एक तरह की चोरी करते हैं और इसमें बैंक उनको सपोर्ट करते हैं। यह कैसे संभव है?

आम लोगों से बैंक प्रणाली चलती है। मैं छात्रों के बारे में कहना चाहूँगा। जो छात्र बैंक से ऋण लेता है, उसे नौकरी मिलती नहीं है और आप उससे ऋण वसूलने के लिए तैयार हो जाते हैं।

क्या आप स्टूडेंट ऋण की वसूली उसके रोजगार या उसकी नौकरी के प्रावधान से करेंगे? जो युवा हिंदुस्तान में बेरोजगार है, जिसको बीए, एमए करके नौकरी नहीं मिलती है, बैंक उनको ऋण देती है। 20 या 30 लाख रुपये प्रावधान करने के बाद युवाओं के रोजगार की गारंटी के साथ जो उनकी इनकम होगी, उस इनकम के साथ वह बैंक को लौटाये। क्या अन्य देशों की तरह हम इसकी व्यवस्था करेंगे?

चौथा, जो गांव में सूदखोर हैं, इनके चलते किसानों की आत्महत्या होती है। साइकलोन आता है, बाढ़ आती है, तूफान आता है, छोटे व्यापारी प्रकृति के कारण या वैश्विक बाजार में जब घाटा होता है, उसके कारण मर जाते हैं। उनकी स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। उद्योगपति, पूंजीपति सभी जगह से संरक्षित हो जाते हैं। जो हिंदुस्तान का छोटा व्यापारी है, भौगोलिक और सामाजिक कारणों से, राजनैतिक उथल-पुथल के कारण या कई वैश्विक बाजारों के कारण जो हालात पैदा होते हैं, उसके लिए आपने कोई प्रावधान नहीं दिया।

किसानों के लिए आपने कोई दरवाजा नहीं खोला। जो दुनिया की सबसे बड़ी रीढ़ है, उस पर आपने कोई चर्चा नहीं की है। बैंकों की वजह से किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हैं। छात्रों पर भी आपने कुछ नहीं कहा। आप बार-बार इस बात को कहते हैं।

पाकिस्तान में प्रधान मंत्री को सजा हो जाती है, वह जेल चला जाता है। हिंदुस्तान में क्या कभी बड़े उद्योगपति, पूंजीपति, नेता या माफियाओं को किसी बैंक के ऋण में जेल जाते देखा है, कितने लोगों को सजा हुई? कानून का इंप्लीमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। रियल एस्टेट पर बहुत बड़ा शिकंजा कसने की आवश्यकता है।

बैंक प्रणाली 120 करोड़ मिडल क्लास से चलती है। 120 करोड़ का जो मिडल क्लास है, वह युवा है, छात्र है, किसान है। बैंक ऋण की वसूली को आप थोड़ा एक रास्ता दीजिए। किसानों को ऋण की सुविधा हो। छात्रों को ऋण के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। युवाओं को ऋण नहीं मिलता है। उन्हें बीटेक, एमटेक करने के बाद नौकरी नहीं मिलती है। उनकी सम्पत्ति पर बैंक कब्जा कर लेता है। मेरा आग्रह है कि

आम लोगों के लिए अध्यादेश लाना ही एक बड़े राज को दर्शाता है। अध्यादेश जैसी चीज को 130 करोड़ लोगों से जुड़ा होना चाहिए। पूंजीपति और उद्योगपति जैसे लोगों को बेनेफिट देने के लिए अध्यादेश को मशीनरी नहीं बनाया जा सकता है। अध्यादेश को मशीन बनाइए, हिंदुस्तान के एससी, एसटी, दलित के लिए, जिसे गोयल बेंच ने खत्म कर दिया, उसको अध्यादेश बनाइए। यह मेरा आग्रह है।

मेरा इतना आग्रह है कि उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के लिए कानून न बने। कानून उनका राहगीर न बन जाए। सूदखोरों के लिए कानून न बने। कानून आम आदमी के लिए हो। मैं ऐसा चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। यह बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों ऐसे कड़े प्रावधान की आवश्यकता पड़ी, जबकि इसके पहले सरफेसी, बीआईएफआर, डीआरटी जैसे तमाम ऐसे तकनीकी संस्थान थे, जिनके माध्यम से ऋण माफी के लिए लोग आवेदन करते थे। उसमें उलझाकर बैंक लोन बढ़ता चला जाता था और एनपीए बढ़ता जाता था। हमारी सरकार को लगभग 9 लाख करोड़ रुपये एनपीए विरासत में मिला। 8 लाख 25 हजार करोड़ रुपये से 9 लाख करोड़ रुपये तक एनपीए विरासत में मिला। जब समीक्षा हुई, तो समीक्षा के दौरान यह मिला कि वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2014 तक ऐसी कंपनियों को ऋण दिया गया, जिन कंपनियों का धरातल पर कोई विशेष अस्तित्व नहीं था। ये कंपनियां केवल इसलिए खोली गई थीं कि उसमें कुछ बिचौलिए उन कंपनियों को ऋण दिलाने के कारण कुछ बीच की धनराशि लेते थे। यह पहले से तय होता था। मैं छत्तीसगढ़ का उदाहरण देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में एक साथ पॉवर प्रोजेक्ट के लगभग 14 ऐसे संयंत्र लगाए गए, जिनको चलाने के लिए जो उनकी लिक्विडिटी थी, जिसको पैसा लगाकर वे चलाते, वह पैसा और वे कौन से लोग थे, इसको सारा देश जानता है।

मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता नहीं तो उस पर भी एक आपत्ति खड़ी होगी। सारा देश जानता है कि उन कंपनियों को वास्तव में चलाने और काम करने के लिए बहुत बड़ी धनराशि निकाली थी, जिसे कंपनी चलाते वक्त आवश्यकता थी। उस धनराशि में से कुछ लेकर उनको लोन दिलाए। उसके बाद जब कंपनी चलाने की बात आई, आज ये कंपनियां फिर से ऋण के लिए दौड़ रही हैं कि हमको कंपनी चलाने के लिए फिर से फाइनेंस की आवश्यकता है। उनके संयंत्र बन कर पड़े हुए हैं। हमारी प्रदेश सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए उसमें अपना पूरा योगदान दिया। यह सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जब इस बिल की आहट हुई, आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है और आदरणीय

पीयूष गोयल जी वित्त मंत्री के रूप में इस सदन में बैठे हुए हैं, पहले कंपनियों के पीछे बैंक दौड़ते थे लेकिन इस बिल के आइटम मात्र से ही तीन सौ कंपनियां बैंकों के पीछे दौड़ रही हैं कि हमारा ओटीएस कर दीजिए, वन टाइम सैटलमेंट कर दीजिए। हमारे विद्वान वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। इन्होंने इसमें नये सीएलटीटी, एनसीएलटी के जरिए प्रावधान किए हैं। उसको एक साथ टाइम बाउंड किया है। इसमें 180 दिन का बाउंडेशन है। एनसीएलटी में अब तक तीन सौ आवेदन आ चुके हैं। जिन कंपनियों की तलाश बैंक करती थी कि इनसे ऋण कैसे वसूला जाए, अब तक तीन सौ ऐसे आवेदन आ गए जिसका निस्तारण बहुत ही पारदर्शी तरीके से हो रहा है। कुछ लोग उद्योगपतियों और उसकी बात कर रहे हैं। बहुत ही पारदर्शी तरीके से छह-सात कंपनियों का एनसीएलटी कोड बिल के तहत 180 दिनों के अंदर निपटारा होना है। उसके तहत इस आधार पर अब तक सात कंपनियों का निपटारा हमारी सरकार ने किया, जिसमें एक कंपनी को दूसरी कंपनी ने खरीद कर साबित कर दिया कि हम इस कंपनी को चला सकते हैं। अगर वे नहीं चला सकते थे, उसमें रोजगार पाए हुए लोग थे, उन लोगों का रोजगार बचाने का काम हमारी सरकार ने किया। ऐसी कंपनियां जो हाउसिंग का बहुत बड़ा काम कर रही थीं, अभी कुछ लोग लाभ पहुंचाने की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार ने ईमानदारी से उस कंपनी का पूरा ऐसेट्स जब्त करके लोन की भरपाई की है। आज मुद्रा योजना प्रधान मंत्री जी द्वारा चलाई जा रही है, उसको चलाने में जो दिक्कतें आ रही हैं। युवाओं की बात की जा रही है, आज इस देश के बैंकों में फिर से पैसे की वापसी की शुभ दौड़ शुरू हुई है। आज युवा समाज को विश्व का सबसे बड़ा युवाओं का देश कहा जाता है। उनमें स्वयं रोजगार सृजन की क्षमता आई है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, thank you. I rise to oppose the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill.

In a span of one-and-a-half years the Bill has undergone two Ordinances and two Amendments. The Ordinance-savvy Government has been frequently resorting to Ordinance much to the detriment of Parliamentary democracy in our country.

I would simply refer to two issues. Firstly, the first list of 12 large corporate defaulters -- who have been recognised as the 'dirty dozen' -- owe banks around Rs. 2.7 trillion. Out of this, only Rs. 1.28 trillions is estimated to be recoverable, which means on an average the country's banks are taking a haircut of 52 per cent on the first list of over-indebted corporates. If you go in such a pace for haircut, then a day may come when the country will be turned into a bald-headed country in terms of economy. So, you should be very careful of the haircut proposition.

Secondly, the Finance Minister's decision to have a new fast-track debt resolution programme for public sector banks with the help of the Asset Management Company may undermine the IBC process, brought with much fanfare, to resolve NPAs.

I am simply referring to the rationale for classifying allottees as financial creditors, which could be questioned. It could be argued that the money raised from allottees under a real-estate project is an advance payment for a future asset (the property allotted to them). It is not an explicit loan given to the developer against

receipt of interest or similar consideration for the time, value of money and, therefore, may not qualify as financial debt.

18 00 hrs

The Minister may elaborate on this issue. During a corporate insolvency resolution process, a Committee consisting of all financial creditors is constituted to take decision regarding the resolution process. This Committee may choose to resolve the debtor company and liquidate the debtor assets to repay loans. While the Ordinance classifies allottees as financial creditors, it does not specify whether they would be treated as secured or unsecured creditors. Therefore, their position in the order of priority is not clear.

May I ask a distinct question to the Minister? After the IBC in existence, Is the performance of the IBC administration impressive to the hon. Minister? The country has been infected with the syndrome of suit, boot, loot, scoot; have a life in comfort by managing a passport. ... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Hon. Deputy Speaker, Sir, I request you to extend the time of the House till the reply and passing of the Bill.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Yesterday, we cooperated with the Government. We sat till 7.30 p.m. The Minister can reply to the debate, followed by voting, tomorrow.

SHRI ANANTHKUMAR: Sir, we will continue till the reply of the Minister and the Bill is passed. I think, the reply would be over short.

SHRI PIYUSH GOYAL: I would give a short reply.

SHRI ANANTHKUMAR: The Minister has assured that he would make a short soon.

HON. DEPUTY SPEAKER: Already the hon. Minister has said that he would give a short reply.

SHRI K.C. VENUGOPAL : No, you should fix the time, otherwise, reply would take two hours.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): They have got brute majority. That is why always Shri Dubey ji says that sense of the House should be taken. When you don't have sense, why should you argue? ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: 'Sense of the House' means unanimously we would resolve the issue.

... (*Interruptions*)

SHRI ANANTHKUMAR: For 50 years, they had the brute majority. They should understand that. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: We are extending the time of the House till the Minister's reply and passing of the Bill.

Now, the Finance Minister.

SHRI PIYUSH GOYAL: Hon. Deputy Speaker, Sir, I must thank the 20 hon. Members of Parliament who have very actively participated in this debate. They had expressed very enlightened views; they had brought to the fore various facets of the Bill. This gives all of us confidence in the maturity of democracy and the very high quality of debate that this House is repeatedly accustomed to. कई माननीय सांसदों ने विषय उठाया कि इस ऑर्डिनेंस को लाने की जरूरत क्या थी। जब भी कोई चीज हमारे समक्ष आए, जब भी कोई सुधार की संभावना हो, मैं समझता हूं कि जो सरकार तुरंत रिस्पांस करे, वह अच्छी सरकार मानी जाती है। जनता चाहती है कि सरकार तुरंत एक्शन लेकर लोगों की समस्याओं का समाधान करे। कई रिप्रेजेंटेशन्स अलग-अलग प्रकार से आए, सदन में भी चर्चा हुई और पहले अमेंडमेंट के समय कुछ अच्छे सुझाव आए थे।

एक सुझाव माननीय प्रेमचंद्रन जी का भी था कि 75 प्रतिशत बहुत ज्यादा है, इसे कम करना चाहिए, जिससे रेजल्यूशन हो, लिक्विडेशन न हो। इन सबको देखते हुए 14 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। इन्सॉल्वेंसी लॉ कमेटी ने 26 मार्च, 2018 को बहुत ही अच्छे और सार्थक सुझाव सरकार को दिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले मोइली जी को थोड़ा सा करैक्ट करना चाहूंगा। इस कमेटी ने नौ प्रमुख मुद्दों पर अपने सुझाव दिए और हमने नौ के नौ प्रमुख मुद्दों को पूर्ण रूप से स्वीकार किया।

इसके अलावा उन्होंने एनेक्शर -तीन में कई सारे प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स दिए, जो पेज नम्बर से शुरू होते हैं। Amendments to the Regulations, Amendments to the Law, तेरह-चौदह पन्ने के रिकमेंडेशन दिए। मुझे आप सभी को उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि सिर्फ दो को छोड़कर उनके सभी प्रोपोज्ड अमेंडमेंट के सुझाव को स्वीकार किया है। उनमें से एक सुझाव था कि चैप्टर-चार जिसमें फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस सेक्शन 55 से

58 प्रोवाइड करता है, उसको छोड़ दिया जाए। सरकार की विजडम में यह महसूस हुआ कि फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन जहां हो सके, वहां अच्छा है। इससे नौकरियां बचेंगी और लोगों को काम करने को मिलेगा। जितनी जल्दी रिजोल्यूशन होता है, उतनी अधिक वैल्यू मैक्सिमाइज होती है। इसलिए हमने इस सुझाव को एक्सैप्ट नहीं किया। आप सभी सरकार के निर्णय से सहमत होंगे। एक दूसरा सुझाव था कि सेक्शन 240 (ए) इन्सर्ट किया जाए, जिसमें केन्द्र सरकार अपने पास अधिकार रखे to exempt or vary applications of provisions of the court by way of a notification for a certain class or classes of companies including for MSMEs. हमने उसमें संशोधन किया, हमने इसको सीमित रूप में स्वीकार किया, सिर्फ एमएसएमई के लिए अपने पास अधिकार रखा, बाकी कंपनियों के लिए अपने पास अधिकार नहीं रखा। So, we tightened our own powers. कमेटी ने बहुत बड़े पॉवर के लिए सुझाव दिया था कि हम किसी भी क्लॉस ऑफ कंपनीज को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। हमने कहा कि नहीं हमें यह पॉवर केन्द्र सरकार को नहीं देना चाहिए। इन दो संशोधनों के अलावा हमने पूर्ण रूप से इस कमेटी के सभी सुझावों को एक्सैप्ट किया है। मैं समझता हूं कि मोइली साहब इससे खुश होंगे। तेज गति से इसका लाभ रिजाल्यूशन प्रोसेस में आए, इसलिए इसको आर्डिनेंस के रूप में लाया गया है। मैं समझता हूं कि रिजोल्यूशन हो, लिक्विडेशन न हो, जिसकी चर्चा माननीय किरीट सोमैया जी ने बड़े विस्तार से की है यह हमारा लक्ष्य है। हम जितना विलम्ब करते हैं, कंपनियों द्वारा लिक्विडेशन में जाने से जॉब लॉसेज होने की संभावना उतनी बढ़ सकती है। इसलिए इसको आर्डिनेंस के रूप में लाया गया to promote resolution and the interest of various stakeholders.

इसी के साथ-साथ होम बायर्स का विषय भी बड़ा ज्वलंत था। कई केसेज एन.सी.एल.टी. में चल रहे थे। इनमें से कुछ का नाम क्या यहां भी जिक्र हुआ था। कुछ केस सुप्रीम कोर्ट तक चले गये थे। उसमें होम बायर्स को प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी थी और उसको हमने निभाया है, जिसके कारण यह आर्डिनेंस लाना जरूरी था। इसी तरीके से एम.एस.एम.ईज को प्रोटेक्ट करना था एम.एस.एम.ई में

बड़े लोगों द्वारा ज्यादा इन्ट्रेस्ट न लेने के कारण लघु उद्योग बंद न हो जाए, उसके लिए हमने सेक्शन 29 (ए) में एम.एस.एम.ई को एकजम्पशन देने का निर्णय इस कमेटी के सुझाव के तहत लिया।

दूसरा, जो लोग सिक यूनिट्स को खरीदते हैं और उसको चालू रखकर उसको रिजाल्व करते हैं, उनको भी एकजम्पशन देना था क्योंकि 29 (ए) की स्ट्रिक्ट रिडिंग है कि अगर एक बार व्यक्ति कोई एन.पी.ए. एकाउंट को ले ले, तो वह डिबार हो जाता है। इसलिए एक क्लैरिफिकेटरी नेचर का अमेंडमेंट लाना जरूरी था, नहीं तो बिडर्स बहुत कम हो जाते।

माननीय मोइली जी ने कहा कि ज्यादा-से-ज्यादा बैंक का लोन रिकवर हो, वैल्यू मैक्सिमाइज हो, वह करने में हमें तकलीफ होती है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आर्डिनेंस लाने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आर्डिनेंस के सभी प्रावधान प्रॉस्पेक्टिव हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है। यह चिंता का विषय नहीं है कि किसी को लाभ देने के लिए या कोई एक कंपनी के लिए यह किया गया है। इसकी मैंने विस्तार से सूचना आप सबको पहले ही दी थी। इस कमेटी के सुझाव मार्च में आए और सी.ओ.सी. की मीटिंग अप्रैल में हुई। उसके बाद भी निर्णय सरकार का या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नहीं था। उसको एन.सी.एल.टी. ने आर्डर किया कि उसके पुनर्विचार के लिए सी.ओ.सी. को दिया जाए।

मैं अभी उसकी डिटेल्स पढ़ रहा था। उसमें रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के वकील ने बहुत फोर्सफुली अपोज किया कि इसे सीओसी में वापस जाना चाहिए। लेकिन एनसीएलटी ने अपने विवेक से यह तय किया कि चूंकि एक ही बिडर है, दूसरा पर्याय लिक्विडेशन है। अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो आज जो पैसा मिल रहा है, उसके आधे से भी कम पैसा मिलेगा, इसलिए वह लिक्विडेशन में न जाए। लगभग 23 हजार से 25 हजार लोग, जो डायरेक्टली या इन्डायरेक्टली उस कंपनी में काम करते थे, उनका रोजगार न खराब हो, उनके परिवारों का जीवन न नष्ट हो और उसके इको-सिस्टम में शायद लाखों लोग, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े थे, शायद इस कारण से एनसीएलटी ने यह डिसीजन लिया

होगा। मुझे उसकी जानकारी नहीं है। यह कोर्ट का निर्णय है और मैं जूडिशियरी का सम्मान करते हुए, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।

महताब जी और जैदेव गल्ला जी ने एक विषय उठाया, उसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूँ कि हमारा अधिक बल रिज्योल्यूशन पर है, liquidation is the last option. मैं समझता हूँ कि जैसा विश्वेश्वर रेड्डी जी ने कहा, वास्तव में हरेक बिजनेसमैन बेईमान नहीं होता है और हरेक व्यक्ति जो बिजनेस में फेल हो, वह बेईमान नहीं होता है। हरेक ने जीवन में अपने बिजनेस की कोशिश की होगी, उससे लाखों लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं। लघु उद्योग, बड़े उद्योग आदि सभी लोग मिलकर करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, काम देते हैं, उत्पादन करते हैं, देश की जरूरतें पूरी करते हैं और देश के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। हो सकता है कि कोई विलफुल डिफाल्टर हो या कोई फ्रॉड केस हो, लेकिन सभी बिजनेसमैन को उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए, अन्यथा देश के विकास, देश के आर्थिक विकास और नौकरियों का साधन बन्द हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि यह हम में से किसी की भी मंशा नहीं है।

इसी प्रकार से, होम बायर्स की डेफिनिशन की बात मोइली साहब ने की। हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इसकी जो डेफिनिशन रेरा में है, होम बायर्स की वही डेफिनिशन इसमें भी ली जाएगी। रियल इस्टेट कंपनी की डेफिनिशन भी रेरा से ही ली गई है। दुष्यंत जी को जो गलतफहमी है कि होम बायर्स और रियल इस्टेट के सभी केसेज एनसीएलटी में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। होम बायर्स और रियल इस्टेट के केसेज रेरा में जा रहे हैं, जिसके लिए अलग प्रावधान है। अगर कोई कंपनी एनसीएलटी में है, जो बैंक या क्रेडिटर्स को डिफाल्ट कर चुकी है, उसमें होम बायर्स का जो पैसा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर के रूप में लिया गया है। उनके प्रतिनिधि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में होंगे, वोट करेंगे और इससे उनको सुरक्षित रखा जाएगा।

एक सवाल उठा कि यह सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, यह निर्णय केस टू केस हो सकता है। यहां बैठकर हम निर्णय नहीं ले सकते हैं कि they are all secured or unsecured. एनसीएलटी और रिज्योल्यूशन प्रोफेशनल इसको केस टू केस बेसिस पर तय कर सकते हैं।

एक सवाल यह भी आया था कि वैल्यू को मैक्सिमाइज करेंगे या नहीं करेंगे और मोइली साहब ने ऑक्शन की बात की। मोइली साहब ने बहुत अच्छा विषय उठाया, लेकिन मैं समझता हूं कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य है वैल्यू एडिशन करना। अगर कंपनी चलानी है तो कंपनी चलाने के बहुत से पहलू होते हैं, जैसे नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ सकती है, अगर चार लोग हैं, जिन्होंने बिड किया है और उसमें एक-दो ऐसी कंपनीज हैं, जिनके पास कंपनी को बढ़ाने की क्षमता नहीं है तो उनके बजाय दूसरी कंपनी, जिसमें ऐसी क्षमता और टेक्नोलॉजी है, वह ज्यादा अच्छी होगी। ये सभी निर्णय कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स लेती है, सरकार अथवा हम कानून के द्वारा यह निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया, दोनों को मद्देनजर रखना पड़ता है। इसलिए इसका कोई फिक्स्ड प्लान नहीं है। जैसे हमने कोयले की खदानों का ऑक्शन किया, उसमें स्पष्ट था कि एक वैल्यू के ऊपर ऑक्शन हो रहा है और जो सबसे अधिक वैल्यू देगा, उसे कोयले की खदान मिल जाएगी। हमने अपने रिश्तेदारों या अपने मित्रों या मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट को कोई मुफ्त में कोयले की खदानें नहीं बांटी, ईमानदार ऑक्शन की प्रक्रिया की, लेकिन यहां पर रिज्योल्यूशन प्लान है, उसमें चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मैनेजमेंट, गवर्नेंस, एक्वीजिशन या डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, मोडिफिकेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आदि कई पहलू होते हैं। इसलिए इसमें सिम्पल ऑक्शन की प्रक्रिया संभव नहीं है।

यह पैराडाइम शिफ्ट है जिसमें हरेक को ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स सबको सम्मिलित करके, सबकी नीड्स, रिक्वायरमेंट्स को असेस करके, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स उचित निर्णय लेगी। इसके लिए जो क्राइटीरिया पहले से निर्धारित होता है। अभी-अभी मैंने कहा है कि हम इसका एक रेगुलेशन भी बना देंगे कि जब एक्सप्रेसशन ऑफ इंटररेस्ट्स इंवाइट किये जाते हैं, उसके पहले ही हम

इवैलुएशन मैट्रिक्स भी तय करके फाइल में रखेंगे। बाद में कभी ऐसा नहीं हो कि इवैलुएशन मैट्रिक्स में भी हमारे ऊपर कोई गलत आरोप लग सकें कि इवैलुएशन मैट्रिक्स में किसी को सूट करने के लिए एडजस्टमेंट किये गये हैं। वह भी पहले से बनकर सीओसी की फाइल में होगा।

इसी प्रकार से हेयर-कट्स के बारे में बहुत ही गलतफहमी है। मोइली साहब ने तो शायद गलती से कह दिया कि हमने सुनिश्चित कर दिया है कि हरेक लोन में 66 प्रतिशत हेयर कट हो जाएगा। यह सुनकर मैं बड़ा हैरान हूँ। वास्तव में यह हेयर-कट क्या है, यह हम सबको समझना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से इस सदन में बड़े दावे के साथ कहना चाहूँगा कि ये सभी केसेज जो आज देश, उसकी आर्थिक-व्यवस्था और बैंकों को बड़ा परेशान कर रहे हैं, इसमें अधिकांश और शायद 95-99 प्रतिशत तक ये सब केसेज पुराने हैं और ये वर्ष 2014 के पहले के हैं। आखिर वर्ष 2007-2008 से 2014 तक ये कैसे हुआ कि जो बैंकों के लोन हैं, ये तीन गुना बढ़ गये? 18 लाख से बढ़कर 53-54 लाख हो गये। ये कैसे इतने बढ़े? इसके पीछे क्या कारण था? जो उस समय के आर्थिक-विकास की बात होती थी, क्या वह सही में आर्थिक-विकास था या सिर्फ ऐसे ही लोन दिये गये?

एक माननीय सदस्य ने कहा कि कई बार ऐसे लोगों को भी लोन दिया गया जिनके पास न ज़मीन थी, न सही मायने में उन्होंने प्रोजेक्ट लगाने में इस पैसे को इस्तेमाल किया। जब मैं बिजली मंत्री था तो एक केस ऐसा आया कि 4000 करोड़ रुपये लोन दिये गये, लेकिन 600 करोड़ रुपये के ऐसैटेस भी नहीं थे। अब इन सब केसेज की जैसे कि माननीय किरीट जी ने कहा, स्टडी हो रही है और जहां-जहां जरूरत पड़ रही है, फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है। कई जगह एस.एफ.आई.ओ. स्टडी कर रहा है। हम अलग-अलग माध्यम से इसके ऊपर पूरी तरह से जांच-पड़ताल कर रहे हैं। समझिए, वर्ष 2007 में या 2008 में लोन 100 रुपये का दिया गया। फिर समय पर लोन पे नहीं हुआ तो 20 रुपये और लोन पुराने लोन का ब्याज भरने के लिए दिया गया। तो 120 हो गया। फिर दुबारा समय पर पे नहीं हुआ तो इसे री-स्ट्रक्चर कर दिया। 120 को 150 करके री-स्ट्रक्चर कर दिया और कहा कि लोन अब 150 हो गया है। अब आप इसे

20 साल में देना। फिर आगे चलकर देखा कि यह भी नहीं हो पा रहा है तो सेकेंड री-स्ट्रक्चरिंग कर दिया- एस.डी.आर. या अन्य किसी नाम से री-स्ट्रक्चर कर दिया। इस तरह से 150 का 200 करके उसको री-स्ट्रक्चरिंग में डाल दिया। ऐसे करते-करते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि जो उस समय के लोन दिये गये थे, रिजर्व बैंक ने एक अनुमान लगाया कि उसमें अब लगभग 25 प्रतिशत से ज्यादा लोन के खराब होने की संभावना रखते हैं। They are either stressed or evergreen loans or NPAs.

इस सरकार ने आने के बाद जब यह देखा कि ब्याज कोई नहीं दे रहा है और सरकार ने देखा कि बैंकों को कमाई नहीं हो रही है। सिर्फ री-स्ट्रक्चरिंग और एवरग्रीनिंग करके फर्जी एकाउंट एंट्री बन रही है, ताकि सो-कॉल्ड क्लेम के लिए कि इतना पैसा बैंकों को वापस आना है। मैं समझता हूं कि बैंकों की बैलेंस शीट फर्जी रखकर भारत की साख पूरी दुनिया में खराब हो रही थी। भारत के बैंकों की विश्वसनीयता खत्म हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में इस सरकार ने साहस किया और अगस्त 2015 से एक एसेट क्वॉलिटी रिव्यू करके रिजर्व बैंक ने एक-एक केस स्टडी करके जहां-जहां पर ये सब चीजें पाई गईं, उनको एन.पी.ए. घोषित कराया। एनपीए घोषित करके, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम आई.पी.सी. का कोड लाये और उसके तहत अब एनसीएलटी में जाकर या अगर कोई सैटिल करता है तो सैटिल करने देते हैं। अभी-अभी माननीय विनायक राव जी ने ठीक कहा, इस कानून के आने के बाद 83000 करोड़ रुपये तो लोगों ने अपने आप आकर भर दिये, before admission of the cases.

यह डर भी रहना चाहिए। बड़े लोन ले जाने वाले लोग कभी डरते नहीं थे। कभी उनकी इच्छा नहीं होती थी कि हमें लोन वापस देना है, एक मज़ाक होता था। छोटे लोनधारक चिंतित रहते हैं कि उन्हें लोन वापस देना है। पहले के जमाने में बड़े-बड़े उद्योगपति, बड़े-बड़े पूंजीपति निश्चित जीवन जीते थे, क्योंकि उन्हें चिंता ही नहीं थी कि कभी लोन वापस देना पड़ेगा। उनको ऐसा लगता था कि अब यह बैंक की रिस्पांसिबिलिटी है और बैंक को यह किसी तरह रिकवर करना पड़ेगा और, लोन वापस करने की

जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम ने उस परिस्थिति को बदला है। आज बड़े से बड़े व्यक्ति को स्टील प्लांट, जमीन और रिफाइनरी बेचने पड़ रहे हैं, और बैंकों का लोन वापस आ रहा है।

मैं समझता हूँ कि लिक्विडेशन में न जाने देना, समझदारी है। लिक्विडेशन में कंपनियां कौड़ियों के दाम चली जाएंगी, नौकरियां और रोजगार जाएंगे, इसलिए आईबीसी पूरी कोशिश करता है कि हर कंपनी को कैसे चालू रखा जाए। उन्हें चालू रखने में जो ससटेनेबल डेट है, जितना ऋण के ऊपर ब्याज दे सकते हैं, उसी ब्याज पर तो लोग ऋण लेंगे। आप जो हेयर कट समझते हैं, वह आपके जमाने के दिए हुए खराब लोन और आपके जमाने में दिए हुए लोन को एवरग्रीन और रीस्ट्रक्चर करके फर्जी एंटीज, हम उन एंटीज का पर्दाफाश करके दुनिया के सामने रख रहे हैं।

बैंकर्स के बारे में कहा गया कि वे रिकवर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मोइली साहब, बैंकर्स ने एक सशक्त योजना बनाई है। सभी बैंकर्स ने एक इंटर बैंक क्रेडिटर अरेंजमेंट की एक एग्रीमेंट बनाई है और सभी ने फैसला लिया है कि बैंकों के कामकाज को कैसे सुधारेंगे, बैंक्स कैसे एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे। पहले यह होता था कि चार बैंक का लोन खराब हो रहा है और अन्य चार बैंक्स नया लोन दे रहे हैं, अब ये सभी चीजें खत्म होंगी। सभी एक-दूसरे से बात करेंगे। मैंने पहले सशक्त की घोषणा की, मैंने कहा था कि सबसे बड़ी जो तकलीफ बैंकों में थी, वे एक-दूसरे से बात नहीं करते थे। चार बैंक्स बीमार पड़े हैं, because of somebody's loan. दूसरे चार बैंकों के करेंट एकाउंट में पैसा आ रहा है, जा रहा है। अब वह सब खत्म होगा। बैंक्स एक-दूसरे का सहयोग करेंगे और सहयोग करके, एक बड़े आर्गेनाइज पैशन से भारत का क्रेडिट ग्रोथ होगा, भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगी और पूर्ण रूप से हम बैंकिंग में एक ईमानदार व्यवस्था बनाने के लिए संकल्पित हैं।

मोइली साहब ने एक प्रश्न पूछा कि क्या डीनेशनलाइज करने की योजना है। मैं आपके माध्यम से सदन में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो पब्लिक सैक्टर बैंक्स, बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट के तहत आते हैं, किसी को डीनेशनलाइज करने की कोई योजना आज सरकार के सामने नहीं है। इसी प्रकार से जो काम-

काज आईबीसी के तहत काम किया जा रहा है, वह बैंकों को और ज्यादा मजबूत बनाने और ज्यादा ऋण देने की काबिलियत लाने के लिए किया जा रहा है।

जैदेव गल्ला और किरीट जी ने क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेसी की बात की है। इस कमेटी ने उस पर भी विचार किया, क्योंकि यह बहुत पेंचिदा विषय है। इसे और ज्यादा समझने की जरूरत है। इसमें विश्व स्तरीय अनुभव लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि वह इसकी रिकमेंडेशन बाद में देंगे। आज उन्होंने इसके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है। जब वह रिकमेंडेशन आएगी तो हम उसे सदन के समक्ष लेकर आएंगे।

विनायक राऊत जी ने आम आदमी, युवाओं और महिलाओं के लिए बात की है। मैं समझता हूं कि शरद त्रिपाठी जी ने उसका अच्छा जवाब दिया है। वास्तव में इस सरकार ने गांव और गरीब लोगों को लोन दिलाने के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। केवल 'मुद्रा योजना' से 12 करोड़ से अधिक लोन्स, चार लाख करोड़ रुपये से अधिक पैसे दिए गए। आखिर ये किसको मिले, यह छोटे लोगों, युवाओं और 70 प्रतिशत मुद्रा लोन महिलाओं को मिले हैं।

इस लोन से करोड़ों लोगों को रोजगार, स्वावलम्बी जीवन जीने और अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत मिली है। इसी प्रकार से प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत एक करोड़ घर बनाए हैं। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत छह लाख तक के लोन में हम साढ़े छह प्रतिशत इंटरेस्ट की छूट बीस वर्ष तक के लोन पर देते हैं। जो मध्यम वर्गीय परिवार नौ लाख तक लोन लेते हैं, उन्हें चार प्रतिशत की छूट बीस साल के लिए देते हैं। जो मध्यम वर्गीय परिवार 12 लाख तक का लोन लेते हैं, उन्हें तीन प्रतिशत की छूट बीस वर्ष के लिए देते हैं। यही काम एक गरीब को ताकत देता है और मध्यम वर्गीय परिवार को अपने घर का मालिक बनने का सपना साकार करता है। प्रधान मंत्री जी का पक्का इरादा है कि वर्ष 2022 तक देश में हर व्यक्ति के सिर पर उसके घर की छत हो।

महोदय, मैं एक आखिरी बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। पुराने जमाने में जो रेज्योलूशन होता था जैसे सरफेसी, बीआईएफआर etc, उसमें नौ प्रतिशत खर्चा होता था और चार- आठ साल लगते थे, उसके बावजूद रेज्योलूशन कभी खत्म नहीं होता था। उसके कारण किसी कम्पनी में यदि पूंजी सौ रुपये लगी है और रिजाल्व करके 70-80 रुपये मिलने की संभावना है, तो चार-आठ साल बाद दस पैसे, बीस पैसे या पच्चीस परसेंट ही पूंजी रह जाती थी। उस समय को देखें तो 25-26 परसेंट रेज्योलूशन में रिकवरी होती थी। आईबीसी के तहत अभी तक जो केस हुए हैं, उसमें एक परसेंट से कम कॉस्ट आई है और यदि एवरेज रिकवरी देखें, तो कुछ केसेज़ में तो शत- प्रतिशत रिकवरी हुई है। कुछ केसेज़ में पूरा प्रिंसिपल आया और आगे चलकर रीकॉम्पेंसेट के लिए इक्विटी हमारे पास आई, लेकिन ऑवर ऑल 55 प्रतिशत से ज्यादा रिकवरी आईबीसी केसेज़ में हुई है। मैं समझता हूं कि यह भी दर्शाता है कि कैसे आईबीसी से टाइमली एक्शन लेने से हम रिकवरी मैक्सिमाइज कर पाएंगे और आगे के लिए यदि कोई केस खराब होता है, कोई कम्पनी तकलीफ में जाती है, फास्ट एक्शन के कारण पहले बैंकों का जितना नुकसान होता था, उतना नहीं होगा।

Just to make it light, अधीर रंजन जी, आप इसे व्यक्तिगत तौर पर मत लीजिएगा, आपके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, लेकिन व्यवस्था को आप देखें तो वर्ष 2007 से 2014 तक आपने हेयर कट ही नहीं बालों को भी नोच लिया था। उसमें कई लोग तो बिना बाल के रह गए, लेकिन हमने कोशिश की है कि हेयर ट्रांसप्लांटिंग करके जो पुराने लोग बुरी तरह से नोच लिए गए थे, उन्हें ट्रांसप्लांट करें। इसी प्रकार से बैंकों की जो हालत थी, उसे भी हम एक प्रकार से हार्ट ट्रांसप्लांट करके उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए आईबीसी में अमेंडमेंट लाए हैं।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir. Even after a very detailed and structured reply by the hon. Minister the pertinent, the sole question remains unanswered, that is, what was the urgency to promulgate the Ordinance. That was the main questions which has to be answered and it still remains unanswered.

SHRI PIYUSH GOYAL: I did reply.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I do agree with the fact that the Insolvency Law Committee, which consists of 14 Members, has submitted a Report on 26th March, 2018. They have given a number of recommendations and almost all the recommendations have been accepted by the Government. Immediately after accepting all those recommendations, they have issued an Insolvency and Bankruptcy Code Ordinance on 6th June, 2018. A very pertinent question has been raised by Mahtab ji as to what has happened during the gap between 26th March, 2018 and 6th June, 2018 or what has happened during the gap between 6th June, 2018 and 18th of this month, that is the date of commencement of the Monsoon Session of Parliament.

What has happened? Can the Government explain and convince the House that these are the benefits that have occurred due to the promulgation of the Ordinance? Then, we can very well say that the promulgation of the Ordinance was of an urgent necessity. It was due to unavoidable circumstances that compelled the Government to issue the Ordinance. There we have cited the examples. If the

Government is not able to satisfy and convince this august House regarding the promulgation of the Ordinance, then definitely the allegation -- which has been raised regarding the *bona-fides* of the Government in promulgating the Ordinance, to just help some industrial groups, especially regarding the resolution process which was pending and which has happened after 6th June, 2018 -- is correct. That is a very pertinent question and a specific allegation which was raised by all the hon. Members in this House. So, such a necessity was not shown in any of the other cases. That is the first point.

The second point which I would like to state is that the hon. Minister has referred to my speech at the time of consideration and passing of this Bill. That is, the hon. Finance Minister, Shri Arun Jaitley Ji, has replied to the debate also. I had raised the point that the minority dominates over the majority's interest. That was entirely in a different provision. I would like to clarify that. I remember my speech and have taken the records from the Parliament Library also. Even a minor default will place the company into the hands of the insolvency experts. Unless 75 per cent of the creditors agree to continue the operation of the company and 75 per cent of the creditors agree that the company should go into operation, it should be against the insolvency proceedings.

Here my suggestion at that time was that 26 per cent of the creditors, even unsecured creditors, can move for insolvency resolution and thereby, go for the liquidation proceedings. It is very specific. Kindly see it. About 26 per cent of the

unsecured creditors can dominate the interests of the secured creditors of 74 per cent. I have sought the amendment at the time of passing and consideration of the Bill. Here, I have moved the amendment that even 26 per cent of the unsecured creditors can dominate the interest of the 74 per cent of the secured creditors. So, the secured creditors are in a bad position and those unsecured creditors are in a beneficial position. That was the point that I had made at the time of consideration and passing of the Bill.

But, here there is no amendment. At that time also, I had moved the amendment. Unfortunately, no amendment is coming. Amendment is coming in case of resolution process which has to be approved by 75 per cent of the financial creditors. Sir, the figure of 75 per cent of the financial creditors has come to 66 per cent. What is the significance of this 66 per cent? Even we can understand 51 per cent. ... (*Interruptions*) America has done this. Now, we are all following the economic philosophy of America. But, the social and financial conditions of India is entirely different from that of the US economy and the conditions which are being prevailing there.

Sir, the point is this. I have also moved some amendments regarding this issue. I am concluding. The pertinent point is that after 6th June, 2018, the industrial resolution process has been approved and this is the subsequent action of coming to this 66 per cent. That is a point which we are highlighting. How many issues and records are there? Even the reports of Law Commission are here. How

many reports of the very eminent committees are there? Why is the Government not coming forward with an Ordinance so as to ensure the proceedings at the earliest? So, thereby, we are challenging the credibility of the Government and the *bona-fides* of the Government regarding the promulgation of the Ordinance. That is why, since the Government is not able to convince the august House regarding the specific allegations that have been made that this is just to help some industrial houses, we once again would like say that we are opposing the Bill and I am pressing for my amendments. With these words, I conclude. Thank you very much, Sir.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : सर, इस बिल पर बहुत अच्छी तकरीरें हुईं और उनका जवाब भी मंत्री जी ने अपने ही स्टाइल में दिया। ...(व्यवधान) मैं इस वक्त यही पूछना चाहता हूं कि हमारे डॉ. किरीट सोमैया जी ने अपने भाषण में यह कहा कि आज जो एन.पी.ए. इतना बढ़ा है, उसका कारण यू.पी.ए. सरकार है, ऐसा उन्होंने कहा। ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। ...(व्यवधान) फैक्ट्स को तो आप भी इरेज़ नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के मुताबिक 2012, 2013 और 2014 में जो एन.पी.ए. सिर्फ 2 लाख 63 हजार रुपए था, आज वह 12 लाख करोड़ रुपये है। ...(व्यवधान) यह वजह है कि आप इसके बावजूद भी अपने आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है।

मैं एक दूसरी चीज़ भी आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। जिन 12 कंपनीज़ को रिज़र्व बैंक ने यह कहा था और उनके बारे में प्रेस में भी आया था - 12 डर्टी कंपनीज़, डर्टी डज़न। उसको उन्होंने डर्टी डज़न का नाम दिया था। उस डर्टी डज़न में एक है, जिसका हमारे प्रेमचन्द्रन जी ने बार-बार नाम लिया। ...(व्यवधान) मैं उन कंपनियों के बारे में पढ़ना नहीं चाहता हूं, भूषण स्टील, इलैक्ट्रॉन स्टील, अमित ऑटो, मॉन्टेक्स, लैंको, एस्सार, मैं इन सबको नहीं पढ़ता हूं। ये 12 कंपनीज़ हैं। ...(व्यवधान) इन 12 कंपनियों में से एक कंपनी ऐसी है, ...(व्यवधान) हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है, किसी और के साथ भी होंगे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। ...(व्यवधान) लेकिन इस सदन के नोटिस में मैं यह लाना चाहता हूं। मैं एक ही मिनट लूंगा।

“The fact that Reliance JM Financial ARC was the sole bidder for Alok Textile Company and bid multiple times is suspicious. Initially, JMARC did not disclose the strategic partner resulting in cancellation of bid since it is in violation of Section 29A of the IBC Act.”

जब बिड हो रहा था, तो उस वक्त इसे कैंसिल किया और उन्होंने इसे डिस्क्लोज़ नहीं किया।

“Since the bid amount is approximately Rs.5000 crore. Of Rs.29600 crore owned by Alok Industries, lenders have to take a deep haircut.”

पांच हजार करोड़ में से 29,600 रुपये उनको गए। इसमें एक कंपनी का कितना फायदा हुआ, उन्होंने यह बताया। आपने इसके बारे में रिप्लाय नहीं दिया। आपने इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्टसी के बारे में सारी चीजें बोलीं, यह ठीक है, लेकिन आपने किया क्या? किस के लिए किया?

“Those 270 days deadline for insolvency under IBC ended on April 14 without successful resolution.”

270 दिनों में यह रेजोल्यूशन सक्सेसफुल होना था। यह इसकी डेडलाइन थी। लेकिन यह नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास केवल 72 परसेंट शेयर्स थे।

“On June 6, the IBC amended Ordinance was promulgated with reduction in voting percentage of 51 per cent from the earlier 75 per cent, i.e., 66 per cent for key decisions. On June 11, the NCLT ordered re-look at this deal.”

मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका जो टाइम 6 जून का था, उसमें तो इनको मेजोरिटी नहीं मिली। जितने भी लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया।

On June 20, RIL GM got the deal with 72 per cent votes in favour. उसके बाद आपने एक ऑर्डिनेंस निकाला। क्योंकि 75 परसेंट चाहिए था और इनके पास 72 परसेंट थे। इसके लिए इसको 66 परसेंट पर लेकर आए। 66 परसेंट आप जो लेकर आए, वह इनके लिए लेकर आए। मुकेश अंबानी के लिए लाए या किसी और के लिए लाए? आलोक इंडस्ट्री का ऑनर कौन है, रिलायंस? मैं जानना चाहता हूँ कि आप एक तरफ इस तरह से एडवोकेट कर रहे हैं कि पहले के लोगों ने जो भी काम किया, वह बेकार था और उसमें केवल करप्शन ही हुआ था। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने 75 परसेंट से

घटाकर 66 परसेंट क्यों किया? इसके पीछे कौन से अनदेखे हाथ हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहिए?

मैं दूसरी बात आपसे यह जानना चाहता हूँ कि Sole bidder repeatedly bid despite rejection concealing the name of Reliance. रिलायंस का नाम उसमें नहीं आया था, मैंने नहीं लिया, लेकिन आपने, भर्तृहरि महताब जी ने लिया। यह अच्छा हुआ। Ordinance passed by BJP to reduce voting facilities. आपने एक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए और उनके फायदे के लिए ऑर्डिनेंस निकाला। आप आज कानून ला सकते थे, लेकिन नहीं लाए? आपने इतनी जल्दबाजी में काम किया, so fast and war footing पर आपने काम किया। इस तरह से तो आप फ्लड के समय में भी काम नहीं कर रहे हैं। आपने वार फूटिंग पर काम करके फायदा पहुंचाया है। इसलिए इनका रिप्लायी ठीक नहीं है और जो प्वाइंट हमने रेज़ किया, उनका उत्तर इनके पास नहीं है, इसलिए हम प्रोटेस्ट करके वॉकआउट करते हैं।

18 42 hrs

At this stage Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members left the House.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने क्लेरिफिकेशन में यह बताया कि यह जो कानून है यह रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोसपेक्टिव है। रिलायंस से उनको क्या परेशानी है, यह उनको सोचना है, लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है और जिसको भी कानून की समझ है 66 परसेंट आलोक इंडस्ट्री के केस में लागू नहीं होगा। मैं यह बात बड़ी ही गम्भीरता से बोल सकता हूँ क्योंकि यह रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं है। मंत्री जी से मेरे दो क्लेरिफिकेशंस हैं, जो मैं उनसे आपके माध्यम से जानना चाहूंगा...(व्यवधान)

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Are you authorised?

श्री निशिकान्त दुबे : मैं जॉइंट कमेटी का मेम्बर था और मैंने वह कानून बनाया है और मुझे पता है कि यह कानून रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यह प्रोस्पेक्टिव है। आलोक इंडस्ट्री का केस पहले से चल रहा है, इसलिए उसके ऊपर यह लागू नहीं होगा।

मैं जानना चाहता हूँ कि सीडीआर, एसडीआर, S4A, 520 और एआरसी ये पांच चीजें ऐसी हैं जो एनपीए के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। वर्ष 2014 के पहले के जो लोन हैं, वही लोन आज की डेट में एनपीए हुए हैं। सात-आठ लाख करोड़ रुपये के एनपीए में से हमारी सरकार के समय में दिए हुए लोन में से मुश्किल से एक-दो हजार करोड़ रुपये के लोन एनपीए हुए होंगे। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि इन सारी कम्पनियों के लिए कंसल्टेंट थे, क्योंकि 20-25 बैंक्स कंसोर्शियम बनाकर लोन दे रहे थे और उसके लिए आरबीआई के रूल्स को फॉलो कर रहे थे, जिसका रेगुलेटर कांग्रेस की सरकार ने अपने आदमी को बना लिया। एसबीआई का चेयरमैन जो कम्पीटेंट नहीं था, उसको बना दिया गया। इन सभी का कंसल्टेंट एसबीआई कैप्स थे, यह सारी पॉलिसी आरबीआई की थी तो क्या इस आधार पर भारत सरकार उस वक्त के तत्कालीन आरबीआई गवर्नर और एसबीआई कैप्स के हेड के ऊपर क्या कोई इनक्वायरी बैठाएगी?

दूसरा, जिसमें 29 A का सवाल है? जैसा कि 29 A में किरीट सोमैया जी कहा था। मंत्री जी आपने फॉरेन्सिक ऑडिट की जो बात की है कि इसमें बिनानी इंडस्ट्री और डालमिया इंडस्ट्री का जो बड़ा केस चल रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि जो भी प्रत्यक्ष तौर पर नहीं पा रहे हैं, वे अप्रत्यक्ष तौर पर जा रहे हैं। यदि दोबारा कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, एन.सी.एल.टी. गलती कर रही है और उसमें भारत सरकार भी गलती कर रही है तो भविष्य में यह काम नहीं हो, इसके लिए भारत सरकार क्या उपाय करना चाहती है? यदि आप यह बात देश को बता देंगे तो बहुत कृपा होगी।

SHRI PIYUSH GOYAL: I have already clarified earlier on what the leader of the Congress Party has said and what Shri Premachandran has said. This Report is of

March and the decision was taken in April. Ultimately, it is the NCLT order and I have a copy of the NCLT order. In that also, it is written that the resolution professional actually made an appeal that all these decisions should not be referred to CoC and actually an order should be passed to start liquidation.

So, I find that the role of RP and CoC was absolutely correct. It is a decision of the court and I do not think that we, in the House, are competent to start questioning the decisions of the court.

Similarly, on whatever the hon. Member has said, these are matters on which the court is deciding. The Government is not interfering in the NCLT process. We have left it to the courts to interpret the law and take necessary action as they deem fit.

HON. DEPUTY SPEAKER: As Shri N.K. Premachandran is not present, I shall now put the Statutory Resolution to the vote of the House.

The question is:

“That this House disapproves of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2018 (No.6 of 2018) promulgated by the President on 6th June, 2018.”

The motion was negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill. Since Shri N.K. Premachandran has to move the amendments and he is not present, I shall put clauses 2 to 24 together to the vote of the House.

The question is:

“That clauses 2 to 24 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 24 were added to the Bill.

Clause 25 Amendment of Section 33

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Mahtab, are you moving amendment No. 21 to clause 25?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I was a bit convinced after my friend, the hon. Finance Minister in charge, Shri Piyush Goyal said that it is prospective in nature. But after hearing Shri Nishikant Dubey specially relating to Alok Industries that this will not impact Alok Industries by 66 per cent, I need a little bit of clarification. If I am convinced, then I will not move my amendment.

SHRI PIYUSH GOYAL: That is for the honourable court to decide. As I just mentioned, the employees of Alok Industries probably moved the NCLT in which the resolution professional categorically opposed it and he insisted that it should go

in for liquidation because this is a prospective law, but in their wisdom, the NCLT decided to refer it back ... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : My limited question is whether it is 75 per cent or it is 66 per cent.

SHRI PIYUSH GOYAL: The reference to CoC was made by the NCLT and not by the resolution professional. Resolution professional opposed it and insisted that it should go for liquidation. The NCLT decided that it should be referred back to the CoC. In any case, even after that, the RP has filed a report in the NCLT but in the meanwhile, objections have been received from several quarters like Kotak Mahindra, SITCOM and AIPOA and it is now pending before the NCLT and the NCLAT. The case is not yet adjudicated. We will have to wait for the honourable judgement of the NCLT and the NCLAT. The NCLAT has passed a judgement on 23rd July but the same is reserved and all the parties have been asked to file their submissions by 25th July which, I am sure, they might have done.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I am not moving amendment No. 21 to clause 25.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 25 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 25 was added to the Bill.

Clauses 26 to 40 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again on Wednesday, the 1st August, 2018 at 11.00 a.m.

18 51 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 1, 2018/ Shravana 10, 1940 (Saka).
